हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 सितम्बर, 2006

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 20 सितम्बर, 2006

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1—17
राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन	18
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	18—26
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	34—35
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/प्राइवेट सदस्य विधेयक की सूचनाएं	35—38
वाक आउट	38
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	38
उप-मण्डल अधिकारी नारनौल द्वारा नागल चौधरी के अस्पताल पर दीवारा छापे मारने सम्बन्धी	38

वक्तव्य— 39

स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी 39—41

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव 41—42

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव 42

विधान कार्य—

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2006 42—65

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2006 65—66

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड इविक्शन एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 2006 66—69

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 2006 69—71

छोटूराम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी मुरथल बिल, 2006 71—78

वाक आउट

विधान कार्य—

छोटूराम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी मुरथल बिल, 2006 (पुनरारम्भ) 79—85

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2006 87—89

दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2006 89

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद 93

अनैक्शचर 'ए' 94—95

अनैक्शचर 'बी' 96

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 20 सितम्बर, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

Residential Colonies

***497. Shri. Dharampal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact some private colonizers under the banner of TDI, Parswanath, Ansal, Sahara etc. have purchased the agricultural land of farmers of Sonepat District for establishing residential colonies especiallly on National Highway No. 1; and

(b) if so, whether the said purchases are in violation of the rules and regulations ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस जमीन के बारे में मेरा प्रश्न है यह बहुत ही प्राइम लैंड है। जी०टी०रोड के साथ इन्कुल दिल्ली के कुंडली बॉर्डर के साथ लगती यह जमीन है। कुछ कालोनाइजर्ज ने यह जमीन खरीद ली है और अब ये बहुत मंहगे भाव में प्लॉट बेच रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल भी यही है कि यह ऐग्रीकल्चर लैंड है और अगर ऐग्रीकल्चर लैंड है तो क्या उन्होंने सी०एल०यू० ले लिया है या नहीं और किस तरह से ये रजिस्ट्रियां कराई जबकि रजिस्ट्रियां बंद की हुई हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज ऐक्ट, 1975 है जिससे लैंड यूज रैगुलेट किया जाता है। जहां तक स्पैसिफिक कालोनाइजर्ज का संबंध है, जिनका माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, इन्होंने चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए ऐप्लाई करके बाकायदा सभी चार्जेज जमा कराकर लाइसैंस लिया है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि कुल जमीन प्लाट के लिए 1841 एकड़ है जिससे सरकार को 323 करोड़ 32 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, रेजीडैंशियल ग्रुप

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हाउसिंग में 55.8 एकड़ जमीन है जिससे सरकार को 10 करोड़ 71 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और कॉमर्शियलाइजेशन 8.30 एकड़ जमीन का हुआ है जिससे सरकार को 12.36 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कुल जमीन 1905 एकड़ है जिसके कालोनाइजर्ज ने लाइसैंस लिए हैं और जिससे सरकार को 346 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल कालोनाइजर्ज को ही लाइसैंस नहीं दिये गये बल्कि हुडा ने भी खुद यहां पर सस्ते दर के प्लॉट देने के लिए 4830 एकड़ जमीन ऐक्वायर की है और 10-11 हजार प्लॉट हुडा दे भी चुका है और आने वाले दिनों में 10 हजार प्लॉट और यह देने वाला है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि सोनीपत-रोहतक यह ऐसा एरिया है जिसमें छोटे छोटे किसान हैं, जिनकी बहुत स्मॉल होल्डिंग्स हैं। ये बेचारे गरीबी की वजह से अपनी जमीन सस्ते में बेच जाते हैं और उसके बाद कालोनाइजर्ज उन जमीनों के लिए अपने मुंह मांगे पैसे लेते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हुडा जमीन ऐक्वायर करता है उसके बाद ऐप्लीकेशन इन्वाइट करके ड्रा से प्लॉट निकालते हैं क्या उसी प्रकार से सरकार के सामने इस प्रकार की कोई प्रपोजल है कि कालोनाइजर्ज को भी डायरैक्शन दे सके कि वह फिक्स प्राइज कर दे और उस प्राइस के आधार पर लोगों से ऐप्लीकेशन ले और फिर ड्रा से निकाल दें ताकि जो लोगों का शोषण होता है वह शोषण बंद हो जाए ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के गठन से आज तक प्राईवेट कोलोनाइजर्स को हम जमीन एक्वायर करके नहीं देते । सभी सरकारों की इस मामले में स्पष्ट नीति रही है। अगर ऐसा मामला माननीय सदस्य की जानकारी में है तो वे बतायें क्योंकि मेरी जानकारी में यह बात नहीं है, मेरे पास पूरे तथ्य इस समय नहीं हैं। जहां तक मुझे पता है कि 50-50, 60-60, 70-70 हजार और एक-एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्रियां सोनीपत इलाके में प्राईवेट कोलोनाईजर्स द्वारा करवाई गई हैं। माननीय सदस्य इस बारे में जांच कर लें, सरकार भी इस बारे में जांच करवायेगी और जो भी जांच की रिपोर्ट आयेगी माननीय सदस्य को उसकी सूचना भेज दी जायेगी। जहां तक चार्जिज लेने का सवाल है, हम हुडा से कोई चार्जिज नहीं लेते परन्तु प्राईवेट कोलोनाईजर्स से पूरे चार्जिज लिए जाते हैं। इसकी हमारे पास एक लम्बी लिस्ट है। जब प्राईवेट कोलोनाईजर्स किसी रैजीडैंशियल या कामर्शियल कालोनी की जमीन को खरीदने के लिए एप्लाई करता है तो उसको सभी चार्जिज देने पड़ेंगे। इसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहूंगा कि सक्रूटनी फीस 10 रुपये प्रति स्कवायर मीटर, लाईसैंस फीस अलाटिड कालोनीज के लिए 4 लाख रुपये प्रति ग्रास एकड़, लाईसैंस फीस फॉर ग्रुप हाउसिंग कालोनी 5 लाख रुपये प्रति ग्रॉस एकड़ लाईसैंस फीस फॉर कामर्शियल कालोनी एक करोड़ रुपये प्रति ग्रॉस एकड़, सर्विस चार्जिज 10 रुपये प्रति स्कवायर मीटर, कन्वर्जन चार्जिज फॉर रैजिडैंशियल कालोनीज 150, 120 और 100 रुपये प्रति स्कवायर मीटर यह चार्जिज इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि वह जमीन नैशनल हाई-वे से कितनी दूर है। कामर्शियल चार्जिज फॉर कामर्शियल कालोनीज 1200, 1000 और 800 रुपये प्रति स्कवायर मीटर हैं और यह चार्जिज इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि वह जमीन नैशनल हाई-वे से और आबादी से कितनी दूर है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट चार्जिज भी हमने लगाये हैं। रैजिडैंशियल कालोनिज के लिए 50/- रुपये प्रति स्कवायर यार्ड, 62.50 रुपये प्रति स्कवायर यार्ड ग्रुप हाउसिंग कालोनीज के

लिए और 150/- रुपये प्रति स्कैवायर यार्ड कामर्शियल कालोनीज के लिए हैं। इसलिए कामर्शियल तरीके से ही उनको जमीन दी जाती है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इकोनोमिकली वीकर सैक्शंज के लिए खासतौर से हर कोलोनाईजर जो हैं, उनको जमीन आरक्षित रखनी होगी। इस बात में कोई कोताही नहीं होगी। हम इसको न तो मन्जूर करते हैं न ही ऐसी कोताही बर्दाश्त की जायेगी। अगर इस बारे में कोई शिकायत ध्यान में आयेगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हुडा ने जो वहां पर जमीन एक्वायर की है उसमें से 11 हजार प्लाट हम दे चुके हैं और दस हजार प्लाट और देने हैं। स्पीकर सर, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 2004-2005 में इस इलाके में 1166.79 एकड़ जमीन पिछली सरकार ने एक्वायर की थी। उस जमीन का कम्पनसेशन 404 एकड़ का और 309 एकड़ का 3.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का दिया गया था और 453 एकड़ जमीन का कम्पनसेशन 5 लाख से 14 लाख रुपये तक पिछली सरकार ने दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्ष 2005-2006 में 2465 एकड़ जमीन एक्वायर की है और साढ़े बारह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक मुश्त मुआवजा दिया गया है। कहां 3 से 3-1/2 लाख और कहां साढ़े बारह लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। हम भी हुडा के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम्पनसेशन और बढ़े क्योंकि कम्पनसेशन बढ़ने का और स्कोप है। जैसे-जैसे किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी उनको कम्पनसेशन दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर जमीन प्राईम लोकेशन की है और बेशकीमती जगह है। प्राईवेट कोलोनाईजर्स उस क्षेत्र में अपनी कम्पनी के बोर्ड लगा लेते हैं और पहले ही बोर्ड के माध्यम से नक्शा तैयार करके प्लाट बेचने शुरू कर देते हैं। उसके बाद शायद वे जमीन खरीदते हैं। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि उससे जो जमीन की कीमत किसानों को मिलनी चाहिए वह हकीकत में नहीं मिल पाती है। ऐसी कितनी दरख्वास्तें हैं, क्या इस बारे में सरकार जांच करायेगी जिसमें पहले अपनी कम्पनी के बोर्ड लगाकर उनके माध्यम से लोगों को प्लाट आबंटन कर दिए गये हों और जमीन बाद में खरीदी गई हो ? ऐसी कितनी कोलोनीज हैं जिनको बाद में लाईसैंस दिया गया है ?

Mr. Speaker : Dr. Sahib, ask specific question.

डा० सुशील इन्दौरा : सर, मैं स्पैसिफिक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसी कुछ शिकायतें आई थीं उनके बारे में वे सदन को बता देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे साथी ने कहा मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार के पास कुछ शिकायतें आई थीं कि प्राईवेट कोलोनाईजर्स पहले जमीन नहीं खरीदते। Before issues of licences कुछ लोगों ने, डिवैल्पर्स ने, अखबार में एडवरटाइजमैंट देकर प्लॉट बेचने शुरू किए थे और कई केसिज भी इस बारे में रजिस्टर हुए हैं, इसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूं। रिवाड़ी में या किसी और जगह पर जिस डिवैल्पर ने भी नियमों का उल्लंघन किया है हमने उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सिरसा का भी एक गोपाल कांडा का केस है उसकी भी डिटेल भेजेंगे।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये अपने व्यवहार को राजनीति में लेकर बात करते हैं ये मुझे बहुत खेद होता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये विचलित क्यों हुए ? मैंने इनकी तरफ तो इशारा नहीं किया। मैंने कहा कि हम सिरसा के किसानों के लिए भी उतने ही चिन्तित हैं।

श्री अध्यक्ष : ये तो only आपके डिस्ट्रिक्ट की information दे रहे है, you should accep it boldly.

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी कह रहे हैं कि प्राईवेट क्लोनाइजर्स कहीं भी अपने बोर्ड लगाकर लोगों को प्लाट अलाट करने लग जाते हैं। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार द्वारा कोई स्पैसिफिक एरिया किसी भी परपज के लिए डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक कोई भी आदमी अपना काम शुरू नहीं कर सकता। जिस तरह हुड्डा टोटल नम्बर ऑफ प्लाट का 25 प्रतिशत प्लॉट ड्रा सिस्टम से निकालता है उसी प्रकार प्राइवेट क्लोनाइजर्स भी टोटल नम्बर आफ प्लाट का 25 प्रतिशत प्लाट ड्रा सिस्टम से निकालते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Setting up of a Bench of High Court

***483. Shri Naresh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a bench of the Punjab and Haryana High Court in any city (place) of the southern Haryana?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है वह नारनौल, रिवाड़ी, बाढड़ा और भिवानी तक का है वहां के लोग जो न्याय लेना चाहते हैं उनको न्याय के लिए यहां इतनी दूर चण्डीगढ़ आना पड़ता है, उनको 10-11 घंटे बसों में बैठकर आना पड़ता है, वे रात को बस में बैठते है तो सुबह चण्डीगढ़ पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि एक हाई कोर्ट की खण्डपीठ गुड़गांव से नारनौल के बीच कहीं पर भी स्थापित की जाए ताकि लोगों को न्याय लेने में आसानी हो सके।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Although, this is a statement made by the Hon'ble Member, expressing his sentiments and not a question but I will still like to answer it. स्पीकर सर,आर्टिकल 214 में इसका प्रावधान है कि हर स्टेट का हाई कोर्ट अलग हो। इसी सरकार के मौजूदा मंत्रिमंडल ने पहले 23-11-2005 को पृथक हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद सभी सदस्यों की सहमति लेकर 15-12-2005 को इसी सदन ने उस प्रस्ताव को पास किया कि पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट को अमैंड करके हमारा पृथक हाई कोर्ट बने जिसका सैंटर चण्डीगढ़ में ही हो ताकि हाई कोर्ट के जजों के

मामले में और बाहर भी हमें हमारा हिस्सा मिले। इस मामले में हमारी सरकार और मुख्यमंत्री महोदय चिन्तित हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर दोनों को पत्र लिखे हैं। मामला अभी लम्बित है इसलिए मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि हरियाणा का पृथक हाई कोर्ट बन जाए, उसके बाद माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तो सरकार उन पर जरूर गौर करेगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दक्षिणी हरियाणा में केवल अटेली नहीं बल्कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत सब दक्षिणी हरियाणा के पार्ट हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Indora Ji, the question was put by Shri Naresh Yadav. You please only ask your specific question.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक प्रश्न ही है। केन्द्रीय मंत्री का अखबार में ब्यान आया था कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग से चण्डीगढ़ में नहीं बन पाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने कुछ हद तक मान लिया है, क्या यह सच है कि जो विधान सभा में रैजोल्यूशन पास किया गया था उस पर कार्यवाही होगी ? मंत्री जी विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे और आश्वस्त करेंगे कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में ही बनेगा। इस बारे में पूरी वस्तुस्थिति बताने का कष्ट किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह ब्यान सरकार ने पढ़ा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों को पत्र लिखे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है चूंकि संसद में पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सकारात्मक तौर पर देखकर सरकार इस पर विचार करेगी और यह मामला अभी खारिज नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले सदन में जिसके माननीय सदस्य इंदौरा जी मैंबर नहीं थे, उस समय इस प्रकार का प्रस्ताव इनकी सरकार ने पास करके उस समय के कानून एवं विधि मंत्री श्री अरूण जेटली जी के पास भेजा था। उस प्रस्ताव को उन्होंने लिखित रूप से खारिज करके वापिस भेज दिया था।

Number of Roads constructed/repaired in the State

***511. Shri Kharaiti Lal Sharma:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the Constiuency-wise total number of roads newly constructed and repaired in the state during the tenure of present Government ?

Power Minister (Shri Vinod Kumar Sharma) : Sir, statement giving constituency-wise total number of roads newly constructed and repaired during the tenure of present Govt. by PWD (B&R) is laid on the table of the House.

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

Statement

List of new roads constructed by Haryana Public Works Department (B&R) during the tenure of present Government.

Sr. No.	Name of constituency	No. of Roads constructed	Length constructed (in km)
1	2	3	4
1.	Kalka	2	2.55
2.	Naraingarh	2	3.50
3.	Sadhaura	1	1.02
4.	Chhachhrauli	-	-
5.	Jagadhri	1	0.25
6.	Yamuna Nagar	-	-
7.	Mulana	-	-
8.	Ambala Cantt	-	-
9.	Ambala City	-	-
10.	Naggal	5	7.51
11.	Indri	-	-
12.	Nilokheri	-	-
13.	Karnal	-	-
14.	Jundla	-	-
15.	Gharaunda	1	0.37
16.	Assandh	-	-
17.	Panipat	-	-
18.	Samalkha	-	-
19.	Naultha	-	-
20.	Shahbad	-	-
21.	Radaur	-	-
22.	Thanesar	-	-
23.	Pehowa	-	-
24.	Gulha	-	-
25.	Kaithal	-	-
26.	Pundri	-	-
27.	Pai	-	-

1	2	3	4
28.	Hassangarh	1	0.30
29.	Kiloi	-	-
30.	Rohtak	-	-
31.	Meham	3	14.00
32.	Kalanaur	-	-
33.	Beri	-	-
34.	Sahlawas	-	-
35.	Jhajjar	1	4.00
36.	Badli	1	2.80
37.	Bahadurgarh	-	-
38.	Baroda	1	2.10
39.	Gohana	-	-
40.	Kailana	-	-
41.	Sonepat	-	-
42.	Rai	1	2.80
43.	Rohat	2	3.20
44.	Kalayat	-	-
45.	Narwana	4	9.60
46.	Uchana	-	-
47.	Rajound	-	-
48.	Jind	-	-
49.	Julana	2	6.32
50.	Safidon	1	0.70
51.	Faridabad	-	-
52.	Mewla Maharajpur	-	-
53.	Ballabhgarh	-	-
54.	Palwal	2	2.02
55.	Hassanpur	1	4.95
56.	Hathin	-	-
57.	Ferozepur Jhirka	-	-
58.	Nuh	-	-
59.	Taoru	-	-
60.	Sohna	-	-

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

1	2	3	4
61.	Gurgaon	-	-
62.	Pataudi	-	-
63.	Badhra	-	-
64.	Dadri	-	-
65.	Mundhal Khurd	-	-
66.	Bhiwani	-	-
67.	Tosham	-	-
68.	Loharu	-	-
69.	Bawani Khera	-	-
70.	Barwala	-	-
71.	Narnaund	2	3.755
72.	Hansi	-	-
73.	Bhattu Kalan	-	-
74.	Hisar	-	-
75.	Ghirai	2	4.25
76.	Tohana	-	-
77.	Ratia	2	3.20
78.	Fatehabad	-	-
79.	Adampur	2	2.50
80.	Darba Kalan	1	9.50
81.	Ellenabad	-	-
82.	Sirsa	1	0.90
83.	Rori	-	-
84.	Dabawali	-	-
85.	Bawal	-	-
86.	Rewari	-	-
87.	Jatusana	-	-
88.	Mohindergarh	-	-
89.	Ateli	2	2.22
90.	Narnaul	2	2.20
	Total :	**46**	**96.51**

List of roads repaired under Head 3054 by Haryana Public Works Department (B&R) during the tenure of present Government.

Sr. No.	Name of constituency	No. of Roads	Length repaired (in km.)
1	2	3	4
1.	Kalka	142	135.91
2.	Naraingarh	40	56.98
3.	Sadhaura	42	40.21
4.	Chhachhrauli	32	66.71
5.	Jagadhri	30	44.35
6.	Yamuna Nagar	7	16.08
7.	Mulana	12	13.83
8.	Ambala Cantt	1	1.65
9.	Ambala City	33	35.62
10.	Naggal	62	42.82
11.	Indri	34	35.38
12.	Nilokheri	40	46.84
13.	Karnal	12	6.72
14.	Jundla	24	30.25
15.	Gharaunda	37	42.87
16.	Assandh	29	69.39
17.	Panipat	9	12.52
18.	Samalkha	27	15.04
19.	Naultha	28	17.67
20.	Shahbad	28	50.19
21.	Radaur	64	68.98
22.	Thanesar	52	88.77

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

1	2	3	4
23.	Pehowa	35	66.41
24.	Gulha	22	37.99
25.	Kaithal	21	36.47
26.	Pundri	26	66.15
27.	Pai	10	35.49
28.	Hassangarh	22	37.96
29.	Kiloi	31	32.46
30.	Rohtak	4	1.83
31.	Meham	16	53.73
32.	Kalanaur	22	52.91
33.	Beri	17	39.95
34.	Sahlawas	18	31.97
35.	Jhajjar	6	70.10
36.	Badli	4	8.89
37.	Bahadurgarh	2	11.24
38.	Baroda	5	17.96
39.	Gohana	3	16.95
40.	Kailana	6	16.70
41.	Sonepat	1	0.40
42.	Rai	5	21.73
43.	Rohat	5	26.84
44.	Kalayat	18	27.77
45.	Narwana	21	50.56
46.	Uchana	12	10.73
47.	Rajound	8	41.75
48.	Jind	12	21.38
49.	Julana	21	39.27

1	2	3	4
50.	Safidon	28	54.57
51.	Faridabad	12	14.77
52.	Mewla Maharajpur	25	24.00
53.	Ballabhgarh	13	19.21
54.	Palwal	30	55.90
55.	Hassanpur	15	14.60
56.	Hathin	10	16.61
57.	Ferozepur Jhirka	39	81.95
58.	Nuh	28	43.82
59.	Taoru	38	52.35
60.	Sohna	22	48.73
61.	Gurgaon	19	27.79
62.	Pataudi	17	124.10
63.	Badhra	15	65.23
64.	Dadri	14	27.29
65.	Mundhal Khurd	15	29.29
66.	Bhiwani	11	5.10
67.	Tosham	18	84.34
68.	Loharu	27	103.81
69.	Bawani Khera	34	118.58
70.	Barwala	28	44.61
71.	Narnaund	26	45.87
72.	Hansi	14	13.59
73.	Bhattu Kalan	20	43.64
74.	Hisar	9	5.78
75.	Ghirai	10	28.33
76.	Tohana	17	15.72

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

1	2	3	4
77.	Ratia	19	24.87
78.	Fatehabad	16	33.84
79.	Adampur	19	28.61
80.	Darba Kalan	11	25.55
81.	Ellenabad	11	11.79
82.	Sirsa	4	8.32
83.	Rori	11	23.90
84.	Dabawali	15	23.96
85.	Bawal	43	23.14
86.	Rewari	47	24.64
87.	Jatusana	45	60.25
88.	Mohindergarh	22	42.49
89.	Ateli	28	69.43
90.	Narnaul	14	42.81
	Total :	**2017**	**3467.55**

Note : The lengths mentioned in col. 4 above indicate the reaches where special repairs have been carried out. In addition, routine maintanance has also been carried out on the roads to keep the road network traffic worthy.

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सड़कों की रिपेयर पर टोटल कितना पैसा अब तक खर्च किया गया है और नई सड़कों के बनाने पर अब तक टोटल कितना पैसा खर्च किया गया है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने सड़कों की रिपेयर, अपग्रेडेशन और वाईडनिंग आदि के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। जो हमारे साथी ने सवाल किया है कि नई सड़कों पर हमारी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 में 73 कि०मी० नई सड़कें बनाई गई हैं जोकि, वर्ष 2004-05 के मुकाबले करीबन 70 प्रतिशत ज्यादा हैं। क्योंकि पिछली सरकार के समय वर्ष 2004-05 में केवल 45 कि०मी० 2003-04 में 37 कि०मी० नई सड़कें बनाई गई थीं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी ने सड़कों की अपग्रेडेशन और वाईडनिंग के बारे में सवाल पूछा है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2002 -03 में पिछली सरकार के समय में

32.50 करोड़ रुपये, 2003-04 में 48 करोड़ रुपये और 2004-05 में 40.22 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत खर्च किए गए थे जबकि हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2005-06 में 84 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और इस साल 199 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है । यानि कि पैसा 2003-04 से पांच गुना ज्यादा है और दो गुना ज्यादा पैसा अब तक खर्च किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल फंड स्कीम के तहत 2003 में 35 करोड़ रुपये, 2004 में 32 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय में खर्च किए गए थे और हमने 2005-06 में 53 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में अंडर हैड 3054 के तहत महज 32 करोड़ रुपये, 2004-05 में 77 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि हमने उससे दोगुना पिछले साल 146 करोड़ खर्च किये और इस वर्ष उससे तीन गुना अधिक 193 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में वर्ष 2002-03 में नई सड़कों पर, वाईडनिंग पर, स्ट्रैथनिंग पर और बाई पासिज पर अंडर हैड 5054 के तहत महज 8 करोड़ रुपया खर्च किया गया जो कि बहुत कम था और वर्ष 2003-04 में 16 करोड़ रुपया खर्च किया गया जबकि हमने वर्ष 2005-06 में 141 करोड़ रुपये खर्च किया और वर्ष 2006-07 में अब तक 76 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। हमारी सरकार का टोटल 225 करोड़ रुपये खर्च करने का मन है। अध्यक्ष महोदय, मैं साथी से कहना चाहूंगा कि पहली बार इस सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दिया है और अच्छी तथा मजबूत सड़कें बनाने का निश्चय किया है।

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि पिछले हाउस में भी मैंने यह सवाल किया था कि मेरे अपने गांव की सड़क आज तक नहीं बनी है। इसके अलावा मैं 50 ऐसी सड़कों के नाम बता सकता हूं जहां पर इस सरकार ने एक टाकी तक नहीं लगाई है। माननीय मन्त्री जी इस बात का बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने इतना काम करवाया है। माननीय मन्त्री जी, आप चाहें तो बाकायदा नोट कर सकते हैं कि एन०एस० 71-बी से जो सालगो से मालाहगो रोड जाती है, उस पर एक टाकी तक नहीं लगी है। एक सड़क तावडू से पतयाने तक जाती है। उसका बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही एक सड़क हमारे यहां घासेड़े से खोड़ पट्टी के लिए जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह एक साल से टूटी पड़ी हैं या उसके पहले की टूटी पड़ी हुई हैं।

श्री साहिदा खान : यह पिछले डेढ़ साल से टूटी हुई हैं न कि एक साल से। इससे पीछे तो सड़कों की रिपेयर बहुत अच्छी होती रही है और मार्किटिंग बोर्ड ने भी सड़कें बनवाई थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि वे कम से कम आंकड़े तो बताएं कि कितना काम हुआ है ? जो काम हुआ है वह सब के सामने है। आज सब ने अखबार भी पढ़ा होगा कि गर्भवती महिला को होस्पीटल में ले गए (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : साईदा खान जी, आप बड़े समझदार हैं (विघ्न) इस वक्त सवाल सड़कों का चल रहा है बीच में गर्भवती महिला कहां से आ गई ? अगर आपने सवाल पूछना है तो आप सड़कों के बारे में सवाल पूछिये।

श्री साहिदा खान : स्पीकर सर, हमारे मेवात के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह सारी बात यहाँ पर तो बतानी पड़ेगी।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की व्यथा को मैं समझ सकता हूं। माननीय सदस्य ने जिन सड़कों के बारे में जिक्र किया है उनकी रिपेयर नहीं हुई है। ये नई सड़कें बननी हैं। अगर ये सड़कों की लिस्ट भिजवा देंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का विश्वास हो गया है कि इनकी पार्टी की सरकार के समय में सड़कों की रिपेयर कितनी अच्छी हुआ करती थी और वह रिपेयर पिछली सरकार की कारगुजारी को भी जाहिर करती है।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मन्त्री जी ने माननीय सदस्य को फिगर्ज बता दी हैं। माननीय साथी श्री साहिबा खां जी की कांस्टीच्यूएंसी लाडवू है और स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार के गठन के बाद लाडवू में 38 सड़कें बनी हैं और 52,38,000/- रुपये लगा कर हमने इनके क्षेत्र की सड़कों की मुरम्मत की है। इसी प्रकार से साढ़ौरा हल्के में 42 सड़कें बनी हैं जिन पर 40,21,000/-रुपये खर्च हुए हैं। इसी प्रकार से दड़बा कलां में 11 सड़कें बनी हैं जिन पर 25,55,000/-रुपये खर्च हुए हैं, ऐलनाबाद में 11 सड़कें बनी हैं जिन पर 11,89,000/-रुपये खर्च हुए हैं। इसी प्रकार से रोड़ी हल्के में 11 सड़कें बनीं हैं जिन पर 23,90,000/-रुपये खर्च हुए हैं। डबवाली में 15 सड़कें बनी हैं जिन पर 23,96,000/-रुपये खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अगर इनको किसी और इन्फर्मेशन की जरूरत है तो यह लिख कर भिजवा दें, मन्त्री जी की तरफ से इनको जरूर जवाब दिया जाएगा।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने भिवानी जिले के बारे में जो भी डिटेल दी है उसमें से कोई भी सड़क नहीं बनी है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, माननीय साथी कौन सी डिटेल की बात कर रहे हैं, यह मुझे समझा दें कि ये नई सड़कों के बारे में पूछ रहे हैं या कि रिपेयर की गई सड़कों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : स्पीकर सर, स्टेटमैंट हाउस के टेबल पर रखी गई है मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, इसमें नई सड़कों की बात है और मैं इनको बताना चाहता हूं कि नयी सड़कों के लिए हमारे पास पैसे की कमी होती है। नई सड़कें बनाने के लिए पूरे प्रदेश में हमारे पास केवल 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दस करोड़ रुपये जो हमारी सड़कों के लिए सैंक्शन हो चुके हैं उस पैसे में से उन सड़कों को तरजीह दी जाती है जो पहले सैंक्शन हुई पड़ी हैं, उन सड़कों को ही पहले कम्पलीट किया जाएगा। उन सड़कों को कम्पलीट करने के लिए अभी मेरे साथी पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर जी ने कहा है कि पिछली सरकार की जो सड़कें मन्जूर की हुई हैं हम उन सड़कों को भी तरजीह दे कर कम्पलीट कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं अपने साथी को यह भी बताना चाहता हूं कि सड़कों के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भाबार्ड या किसी अन्य ऐजैंसी से पैसा लिया जाए। इस सरकार ने यह फैसला किया है कि कुछ पैसे का प्रबन्ध किया जाए ताकि नई सड़कें बनाने के लिए हमें पैसा मिल सके और सरकार सड़कें बनाने का काम कर सके।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर सर, काला अम्ब का पुल वर्षा के कारण ध्वस्त हो गया था। अब उस ऐरिया से दिल्ली जाने का कोई और रास्ता नहीं है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पुल को बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है और वह पुल कितने समय में तैयार हो जाएगा ? माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने आंकड़े देकर सदन को गुमराह करने का काम किया है इन्होंने कहा है कि 42 सड़कों पर 40 लाख रुपये सढौरा में लगाए हैं, वह रुपया केवल खड्डे भरने और अर्थ वर्क के लिए हो सकता है। मैं कोई टैक्नीकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन इतने पैसे से तीन चार किलोमीटर सड़क ही बन सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से मन्त्री जी सदन को गुमराह न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, आप अपना सवाल पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होंने जो सड़कें अपने टाईम में तोड़ी थी उनकी मरम्मत मंत्री जी ने करवाई है। (शोर एवं व्यवधान)

Water Allowance

***527. Shri. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state :--

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the water allowance in Kaithal district is lowest in the State ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the water allowance of the said district at par with other districts of the State ?

Revenue Minister (Capt Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir, Water allowance in Kaithal District varies between 1.95 cusec per 1000 acres to 2.40 cusec per 1000 acres.

(b) No Sir.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिति में हमारे यहां पर नीचे का पानी अच्छा नहीं है, हमारे यहां पर ज्यादातर कृषि नहर के पानी पर आधारित है। मुख्यमंत्री जी जब कैथल में आए थे तो हमने उनको इस प्रोब्लम के बारे में बताया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जो पहले गलतियां हुई हैं उनको इनको सुधारना चाहिए ताकि जिन किसानों के पास इरीगेशन के लिए और कोई साधन नहीं है, उनके सारे काम ठीक हो जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये जो वाटर अलाऊंसिज हैं ये आज के नहीं हैं। ये तब के हैं, जब से डब्लयू०जे०सी० से पानी मिलना शुरू हुआ था। दूसरी बात यह है कि यह जोन रिस्ट्रिक्टिड पैरेलल एरिया में रखा गया था। स्पीकर सर, जिस वक्त यह फैसला लिया गया था उस वक्त भाखड़ा सिस्टम से इनको पानी मिलना शुरू हुआ था। इसके अलावा उस वक्त रेन-फाल के आंकड़े भी बहुत अच्छे थे। इनका एरिया स्वीट वाटर जोन के अन्दर है। इनका अन्डरग्राउन्ड वाटर लैवल 30 से लेकर 60 फीट तक का था। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरस्वती सिस्टम से इरीगेशन हो रही है, वह मात्र 29 प्रतिशत ही हो रही है। मारकण्डा

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

नदी से केवल 10 प्रतिशत इरीगेशन हो रही है। सिरसा ब्रांच से 82 प्रतिशत इरीगेशन होती है। इसलिए हमने इनके एरिया में अलाऊंसिज 2.4 प्रतिशत रखे हुए हैं। स्पीकर सर, हमारे साथी कहते हैं कि नारनौंद में कई जगहों पर पानी की दिक्कत है और वहां पर अलाऊंसिज 4.29 हैं। मैं मानता हूं कि कई जगहों पर इसमें डिसपैरिटी है। उसके बावजूद भी हमारे नारनौंद के विधायक साहब इस बात की चर्चा करते हैं, स्पीकर सर, हमारे इलाके में वाटर अलाऊंसिज 3.04 प्रतिशत हैं, वहां पर वाटर लैवल 700 फीट नीचे है इसलिए हमारे एरिया में इन-टैंसिव इरिगेशन केवल 8 प्रतिशत है। स्पीकर सर, अगर ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा पानी मिल जाएगा। स्पीकर सर इनके यहां पर तो एश्योर्ड इरीगेशन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप आपका और हमारा न कहें। आप एरिए का नाम लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो कैथल का एरिया है उसमें एश्योर्ड इरिगेशन नरवाना ब्रांच से है, भाखड़ा सिस्टम से है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक ब्रांच बनवानी शुरू की है वह भी खासतौर पर कैथल के एरिया से निकल कर आएगी जिस बारे में हमारे विपक्ष के साथी टिप्पणी करते रहते हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि उसका 43 प्रतिशत अर्थवर्क हो गया है और 5 प्रतिशत लाईनिंग का भी काम हो चुका है। स्पीकर सर, हमारी सरकार इस बात के लिए सजग है और हम चाहते हैं कि सभी को पूरा पानी मिले। इसके अलावा जिन दिनों में जीरी का सीजन होता है उस वक्त हम इनको 3 क्यूसिक के हिसाब से पानी देते हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जबाव मे काफी कन्फ्यूजन है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना भी चाहूंगा और उनको बताना भी चाहूंगा कि कैथल में वाटर अलाऊंसिज 1.9 क्यूसिक हैं जबकि पूरे हरियाणा में यह 2.4 क्यूसिक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अब यह वर्तमान कैथल जिला बना हुआ है यह दो तीन बार रिआर्गेनाइजेशन होने के बाद कार्य आउट हुआ है। कैथल के वाटर अलाउंसिज का फैसला उस समय हुआ था जब भाखड़ा कैनाल बनी थी लेकिन उस वक्त कैथल जिले का एरिया कुछ और था क्योंकि उस समय इसमें कुरूक्षेत्र जिला भी था। कुरूक्षेत्र जिले के साथ इसको टैग कर दिया गया था। अब इस एरिये में सिवाय एक गुहला चीका कांस्टीच्यूएंसी को छोड़कर और किसी भी इलाके में ट्यूबवैल्ज नहीं हैं। वहां पर 6 असैम्बली कांस्टीच्यूएंसीज हैं केवल एक कांस्टीच्यूएंसी को छोड़कर पांच कांस्टीच्यूएंसीज में पानी खारा है मतलब ट्यूबवैल्ज नहीं है। वहां पर सिवाय नहरों के और कुछ नहीं है। कई साल से पार्टली सरस्वती डिस्ट्रीब्यूटरी सरस्वती रिजरवायर से फीड होती थी लेकिन चौटाला साहब के पांच साल के शासनकाल में चूंकि वहां के इलाके के ही कृषि मंत्री थे इसलिए उन्होंने सरस्वती रिजरवायर को खत्म कर दिया था और उसका पानी भी कभी रैस्टोर नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी का जो बराबर पानी देने का नारा था उसका सिवाए सिरसा वालों को छोड़कर जोकि सारे का सारा पानी ले जाते थे, पूरे हरियाणा ने स्वागत किया था। अध्यक्ष महोदय, कैथल अभी भी ऐसा ही इलाका है इसलिए कृपा करके मुख्यमंत्री जी और इरीगेशन मिनिस्टर महोदय इस बारे में ध्यान दें क्योंकि कैथल के वाटर एलाउंसिज भी बाकी हरियाणा के बराबर करने की जरूरत है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि इस मामले में डिसपैरिटी है। इन्होंने यह बात सही रखी है कि कुछ एरिया ऐसे थे जो दूसरे इलाकों का पानी हमेशा से ले रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री जी पानी का सामान बंटवारा कर रहे हैं और इसलिए ही बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक कैनाल बनायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि कैथल के एरिया में जिन दिनों में खरीफ क्रॉप होती हैं उन दिनों में सरस्वती और भारकंडा से हम तीन क्यूसिक प्रति थाउजैन्ड एकड़ के हिसाब से पानी देते हैं । फिर भी अगर ये इस बात के लिए ज्यादा प्रैस कर रहे हैं तो हम इस मामले को ऐग्जामिन करवा लेंगे। जहां जहां वाटर अलाउंसिज बहुत ज्यादा हैं जैसा मैंने बताया कि कई जगहों पर यह 4.29 या 3.75 क्यूसिक तक भी हैं तो हम इस मामले को देख लेंगे लेकिन यह पानी की अवेलिबिलिटी पर डिपैंड करता है। अध्यक्ष महोदय, यही बात मैंने कहनी थी।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि चूंकि क्वैश्चन ऑवर बहुत इम्पोर्टैन्ट है और इसका समय बढ़ाया भी नहीं जा सकता है इसलिए कोई भी बैकग्राउंड देने के बजाए आप स्पैसिफिक क्वैश्चन ही पूछे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफोर्मेशन आ सके और ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज क्वैश्चन ऑवर में पार्टिसिपेट कर सकें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की सहानुभूति से मैं सहमत हूं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुझे यकीन है कि मंत्री जी कैथल जिले के वाटर अलाउंसिज को भी बाकी हरियाणा के बराबर कर देंगे। जैसा सुरजेवाला जी ने कहा कि जब जंगलात होते थे तब का यह बहुत पुराना फैसला है हमारे यहां पर इतना खारा पानी है कि जमीन के अंदर से किसी भी प्रकार से सही पानी नहीं मिलता है। अगर आप वाटर अलाउंसिज ठीक कर देंगे तो इससे कम से कम हमारा सारा काम बाकी सारे सिलसिले के बराबर आ जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी तो बहुत लम्बे समय तक सिंचाई मंत्री रहे हैं इसलिए इनको तो सारा पता है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर साहब, उस समय इस मामले में कोई गलती नहीं हुई थी और न ही उस वक्त किसी ने इस बारे में कोई शिकायत की थी।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर साहब, मैंने इस बारे में अपना एक सवाल भी लगाया था लेकिन शायद समय कम होगा इसलिए वह लग नहीं पाया । अभी जो मंत्री जी ने हमारे इलाके के बारे में जवाब दिया है मैं कहना चाहूंगा कि असलियत तो यह है कि इस सरकार के आने के बाद वहां पर पानी न के बराबर गया है। सिरसा के बारे में भी मंत्री जी ने कहा है कि सिरसा वाले सारा पानी खा गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 32 दिन में उनको आज भी 16 दिन पानी मिलता है और हमारे को 32 दिन में से केवल आठ दिन ही पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाएं और उसका अध्यक्ष इरीगेशन मिनिस्टर साहब को बनाएं।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप सवाल पूछिए।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। डांगी साहब हमारे साथ लगते हल्के के एम०एल०ए० हैं। इनको भी आप उस कमेटी का मैम्बर बना दें और जो भी मुख्यमंत्री जी का खासमखास आदमी हों उनको आप इस कमेटी का मैम्बर बना दें या फिर स्पीकर साहब, आप जिसको ठीक समझे उनको मैम्बर बना दें। वह कमेटी वहां पर जाकर इंक्वायरी कर ले कि हमारे यहां पर पानी आ रहा है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी पोजीशन तो यह है कि हमारे इलाके के डाटा मसूदपुर गांव में पीने का पानी भी नहीं है। इसके अलावा मेरे हल्के में भोहड़ा बड़छपर, बास पुट्ठी गांवों में भी बिल्कुल पानी नहीं आता है और एक किल्ला भी पानी का नहीं भरता है। बहुत ही बुरा हाल है। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि इस समस्या का हल करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक नारनौंद एरिया का सवाल है इसमें इन्होंने जो आउटलेट्स बना रखे थे, खाले बना रखे थे वह एज पर दि स्पेसिफिकेशन नहीं थे। अब हमने इंस्ट्रक्शंज दी हैं कि जितने आउटलैट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उससे ज्यादा नहीं होने चाहिएं। सिवानी एरिया में कभी पानी नहीं जाता था। इस स्पेसिफिकेशन की वजह से ही सिवानी एरिया में भी अब पानी जाने लग रहा है। इनकी यह बात तो ठीक है कि नारनौंद के एरिया में 32 दिन में 8 दिन पानी जाता है लेकिन जब बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर बन जाएगी तो 24 दिन में 8 दिन पानी जाने लगेगा। डा० इन्दौरा जी की पार्टी के जो श्रीमान जी एम०पी० साहब हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अजय चौटाला जी उन्होंने एक बार कहा था इस बारे में गृहयुद्ध हो जाएगा। यह इनकी पार्टी के लोग कहते हैं। सरकार को थोड़ा समय चाहिए। यह सरकार 24 दिन में 8 दिन पानी देगी। इस नहर पर काम चल रहा है और 45 परसैंट काम हो चुका है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को आश्वासन दिया था, उसको हम पूरा करने लग रहे हैं। वाटर अलाउंसिज 4.29 तो कहीं है ही नहीं । फिर भी मैं हाउस को एश्योर कर सकता हूं कि हम इन केसिज को ऐग्जामिन करवाएंगे और इनको जरूर देखेंगे।

श्री आनंद सिंह डांगी : 32 दिन में 8 दिन पानी भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आने के बाद आने लगा है पहले तो 42 दिन में 8 दिन ही आता था। नहर बनने के बाद तो सारा ही आने लग जाएगा।

राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनंदन

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गवर्नमैंट कालेज, नारायणगढ़ के छात्र व छात्राएं आज इस सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि जो सदन की गरिमा है उसका अनुपालन करें क्योंकि सदन की कार्यवाही से अगली पीढ़ी प्रेरणा लेती है इसलिए अपना आचरण इस सदन की परम्पराओं के अनुरूप रखना हमारे लिए अनिवार्य है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, नारनौल का जो आधा हिस्सा नांगल चौधरी, नलधारी, अमरपुर बुडवाल है इसमें पानी का स्तर एक हजार फुट नीचे है। यहां 800 फुट से ...

1000 फुट तक पानी नीचे मिलता है। डेढ़ साल से वहां नहर की खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। जिससे यहां पानी का स्तर और भी नीचे चला जाएगा और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों ने बजरी निकालने के लिए वहां से पानी के दोहन का काम शुरू कर दिया है। इन दोनों चीजों से पानी का स्तर और नीचे जा रहा है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि कब तक नलवारी, नांगल चौधरी, बायल, बुढ़वाल क्षेत्र में नहर बनाने का काम शुरू करेंगे ? मेरे गांव अमरपुर बुढ़वाल के बीच नहर टूटी हुई है उसके बारे में मंत्री जी ने लिखा है कि बना दिया जाएगा। उसकी वजह से मेरे हल्के के तीन गांव डूबे थे। उसमें हाथी भी खड़ा कर दो तो डूब जाएगा। उस नहर को कब तक बनाया जाएगा, उसकी खुदाई कब तक शुरू करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है टोटल 76 डिस्ट्रिब्यूट्री हैं इनमें से 17 ऐसी थीं जिनकी टेल पर पानी जाता था लेकिन आज 36 ऐसी हैं जिनकी टेल पर पानी पहुंचाया है। 40 जगह ऐसी हैं जहां टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। हम कोशिश में लगे हुए हैं। यह 40 साल का बिगड़ा हुआ काम था, उसको ठीक कर रहे हैं। जैसे पहले के बजट में जे०एल०एन० कैनाल के रखरखाव के लिए पैसा नहीं दिया जाता था लेकिन इस सरकार ने आने के बाद बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रोविजन रखा है। जहां तक बूढ़वाल नहर की बात इन्होंने कही है, यह हिली एरिया के साथ बनी हुई है। उसकी पिछली बार भी हमने मुरम्मत की थी। इसके टूटने का मुख्य कारण यह है कि बूढ़वाल जो डिस्ट्रीब्यूट्री है वह जिस एरिया से आती है वह ज्यादा हाइट पर होने की वजह से जब बरसात ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी निकलती है और चैनल ब्लॉक कर देती है उसकी वजह से वह नहर आए बार टूट जाती है। यह बात ठीक है कि हमने मुरम्मत की है लेकिन जब ज्यादा बरसात आ जाती है तो वह दोबारा से टूट जाती है इसके बारे में हम प्रावधान कर रहे हैं ताकि नहर बार-बार न टूट सके। लेकिन माननीय सदस्य को यह मानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमीदपुर बांध को भरने के लिए 2.44 करोड़ रुपये का शिलान्यास किया है उसके लिए माननीय सदस्य ने और भाई नरेश यादव ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तक नहीं किया है। सरकार जो विकास का कार्य कर रही है उसको तो यह नहीं बता रहे सिर्फ कमियां निकालने की बातें करते हैं। इस सरकार के समय में पहली बार जितनी नहरों की खुदाई करवाई गई है इतनी पहले कभी नहीं करवाई गई। फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह एश्योर करता हूं कि अगले छः महीने में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इलाके में पानी पहुंच सके।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सिवानी एरिया में इन्होंने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मैं यह बात भी जानना चाहूंगा कि जो सुन्दर नहर है उसमें पानी की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया गया है। वह नहर जब 40 दिन में एक सप्ताह आती है तो पहले दिन तो उसकी कैपेसिटी 600 क्यूसिक पानी की होती है, लेकिन दूसरे दिन 300 से 250 क्यूसिक पानी ही उसमें रह जाता है। इस तरह हर दिन उस नहर की कैपेसिटी कम हो जाती है। मैंने इस बारे में पिछले सैशन में भी यह बात कही थी। इस कारण से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। इस बारे में मंत्री जी से 50-60 बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सुन्दर ब्रान्च नहर में काफी चोरियां होती हैं वहां पर हमने आऊटलैट को ठीक कराने की कोशिश की है। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि टोटल 56 चैनलज हैं जिनमें मात्र केथल 13 चैनल्ज पर 1.95 वाटर एलाऊंसिज है बाकी कैथल को छोड़कर सभी जगह पर 2.4 वाटर एलाऊंसिज हैं इसलिए इतनी ज्यादा डिसपैरिटी नहीं है।

श्री बच्चन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि 18 फरवरी 2006 को हांसी-बुटाना लिंक नहर का शिलान्यास मेरे हल्के सफीदों के जो 10-12 गांव सिक्ख भाईयों के थे, वहां से किया था और उस समय यह चर्चा थी कि पता नहीं इस नहर का शिलान्यास तो हो गया यह नहर खुदेगी भी या नहीं । यह बात सही है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है । मैं उस एरिया से रोजाना गुजरता हूं। मैं विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि वहां पर आज उस नहर का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। मैं चाहे रात के नौ बजे भी वहां से गुजरता हूं तो वहां कोई न कोई अधिकारी उस नहर पर खड़ा मिलता है चाहे वह चीफ इंजीनियर हो या एस0ई0 हो और वह नहर बनने लग रही है। एक जिक्र आया था बरसाती मौगों का । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे इलाके के आसपास के गांवों को बरसाती मौगों का पानी दिया जायेगा क्योंकि हमारा इलाका पैडी का है और वहां धान की ज्यादा फसल होती है और जो यह नहर बनने जा रही है तो वे मौगे किस ढंग से दिए जायेगें ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज तो लिफ्ट इरीगेशन का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जीरी के समय में चाहे हमें लिफ्ट इरीगेशन से पानी देना पड़े हम पानी जरूर देंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भाखड़ा मेन लाईन की बात नहीं है, दादूपुर नलवी नहर की बात नहीं है, आज ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने चाहे साऊथ हरियाणा हो या नॉर्थ हरियाणा हो, सभी जगह नहरों का काम शुरू करवाया है। शाहबाद मारकण्डा में 7 किलोमीटर तक काम शुरू हो गया है और शाहबाद मारकण्डा की आर०डी० पर 1.8 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है, शाहबाद मारकण्डा में 5.2 किलोमीटर का काम हो गया है कहने का मकसद यह है कि यह सरकार केवल सिरसा या हिसार के बारे में नहीं सोचती बल्कि सारे नॉर्थ और साऊथ हरियाणा के बारे में बराबर से काम कर रही है और ध्यान दे रही है।

Issuance of B.P.L. Card

***508. Dr. Sita Ram :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the District-wise total number of below poverty line (B.P.L.) Cards were issued in the State during the year 2005 and 2006 separately, togetherwith the criteria adopted for the issuance of new B.P.L. Cards ?

उप मुख्यमन्त्री (श्री चन्द्र मोहन) : विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

जिला का नाम	31-12-2004 को कुल बी.पी.एल. राशन कार्ड	वर्ष 2005 के दौरान जारी किये गये नये राशन कार्ड	31-12-2005 को कुल राशन कार्ड	वर्ष 2006 के दौरान जारी किये गये राशन कार्ड	31-8-2006 को कुल राशन कार्ड
अम्बाला	30062	0	30062	1896	31958
भिवानी	70961	0	70961	0	70961
फरीदाबाद	50676	0	43697	0	43697
फतेहाबाद	42253	0	42253	2537	44790
गुड़गांव	46715	0	15522	12	15534
हिसार	67691	0	67691	0	67691
जींद	60959	0	60959	200	61159
झज्जर	25801	80	25881	0	25881
करनाल	57538	0	57538	168	57706
कैथल	43004	0	43004	0	43004
कुरूक्षेत्र	33659	690	34349	0	34349
मेवात	0	0	38172	2126	40298
नारनौल	23339	0	23339	0	23339
पानीपत	38826	5	38831	63	38894
पंचकुला	13775	0	13775	1114	14889
रेवाड़ी	34625	0	34625	0	34625
रोहतक	42868	0	42868	0	42868
सिरसा	54782	1706	56488	461	56949
सोनीपत	37586	0	37586	603	38189
यमुनानगर	37151	0	37151	73	37224
जोड़	812271	2481	814752	9253	824005

[श्री चन्द्र मोहन]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के मानदण्ड

1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए

योजना आयोग तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिस परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय रुपये 289.31 तक है उसे नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहा परिवार माना गया है।

भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के सर्वे में इन मापदण्डों में परिवर्तन किया गया है। इस अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परियारों की पहचान के लिए 13 सामाजिक एवं आर्थिक सूचक निर्धारित किए गए है। प्रत्येक सूचक में हर परिवार को 0-4 तक अंक प्रदान किए जाएगें। इस तरह परिवार का कुल प्राप्तांक 0-52 के मध्य रहेगा।

2. शहरी क्षेत्र के लिए

भारत सरकार द्वारा दी गई निर्देशिका के अनुसार शहरी क्षेत्र में जिस परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय रुपये 337.42 से कम है उसे गरीबी रेखा से नीचे रह रहा परिवार माना गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आर्थिक मापदण्डों के अतिरिक्त भी अन्य मापदण्ड बनाए गए है जैसे कि (i) छत (ii) जल व्यवस्था (iii) फर्श (iv) शौच व्यवस्था (v) शिक्षा का स्तर (vi) रोजगार की स्थिति एवं (vii) परिवार में बच्चों की स्थिति। प्रत्येक मापदण्ड के छः भाग बनाए गए है जिसमें परिवार की खराब से अच्छी स्थिति को अंकित करने हेतु सौ से शून्य तक अंक दिए जाते हैं। मापदण्डो के अनुसार जिस परिवार के अंक सबसे ज्यादा हो उसे गरीबों में अधिक गरीब माना जाएगा।

डा० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बी०पी०एल० कार्ड की समस्या बहुत ज्यादा है, हर गरीब आदमी चाहता है कि उसका यह कार्ड बने लेकिन इसके लिए जो क्राइटेरिया मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है उसके तहत हरियाणा प्रदेश में बहुत से लोगों के कार्ड नहीं बन सकते। लेकिन वे गरीब है, उनमें से जिस किसी का पक्का मकान है वे उस श्रेणी में नहीं आते । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने केन्द्र सरकार को यह लिखा है कि इन नियमों में ढील दी जाए ताकि जो बाकी बचे लोग हैं जिनके कार्ड नहीं बने और जो गरीब हैं उनके कार्ड बन सकें ?

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, बी०पी०एल० कार्ड बनाने का मापदंड भारत सरकार फिक्स करती है, हमें उन्हीं मापदंडों के अनुसार और उन्हीं की गाईडलाइंस को फोलो करना पड़ता है। उन्हीं लोगों के कार्ड बन सकते हैं जो इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने केन्द्र सरकार से रिक्वैस्ट की है कि इन नियमों में ढील दी जाए ताकि हरियाणा में जो गरीब लोग रह गए हैं चाहे वे किसी भी जाति से सम्बन्धित हैं उनका नाम बी०पी०एल० में शामिल किया जा सके ? बहुत से लोगों के ये कार्ड न बनने की वजह से वे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो हम जरूर सैंट्रल गवर्नमैंट से नियमों में ढील देने बारे आग्रह करेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा और मंत्री जी ने उत्तर दिया। मैं इस बारे में सप्लीमैंटरी इन्फर्मेशन देना चाहता हूं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में बी०पी०एल० का क्राइटेरिया प्रति मंथ 289.31 रुपये था। 10वीं पंचवर्षीय प्लान में जब इनकी सरकार थी यानि एन०डी०ए० की सरकार जिसको ये भी स्पोर्ट किया करते थे उसमें भी केवल एक यही क्राइटेरिया था, यह समस्या बहुत ज्यादा थी, कई सरकारों ने इस बात को प्वांयट आउट किया और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्राइटेरिया को बदलकर 337.42 रुपये प्रति माह पर लेकर आए। इसके इलावा कई सोशल इंडीकेटर्ज इसमें जोड़े गये जैसे कि क्या पक्की छत उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, फर्श पक्का है या नहीं सैनीटेशन की सुविधा है या नहीं, एजूकेशन लैवल क्या है, टाइप आफ एम्पलायमैंट क्या है, स्टेटस आफ चिल्ड्रन इन दि फैमिली क्या है, इसके माध्यम से सारी फैमलीज को मार्क्स दिए जाते हैं उस आधार पर जिसके पावर्टी में हाईस्ट मार्क्स हैं उसके आधार पर बी0पी0एल0 का निर्णय देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनका प्रश्न था कि क्या हरियाणा सरकार इसको और बढ़वाना चाहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इसको और बढ़वाना चाहती है। मैंने मुख्य संसदीय सचिव और उप मुख्यमंत्री दोनों से इस बारे में बात की है और मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं भी और विभाग ने भी इसको टेक अप किया है और उन्होंने कहा है कि ये नियम और ज्यादा रिलैक्स होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। गरीब आदमी खास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह सरकार खास तौर से चिन्तित है इसलिए इस सरकार ने कई और लाभकारी योजनाएं शुरु की हैं । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं और मैं उन निर्देशों पर चर्चा करना चाहूंगा ताकि गरीब आदमी को सीधा लाभ मिले। इस सरकार ने कई कारगर कदम और भी उठाए हैं। एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्योंकि गरीब आदमी को लाभ उसी से मिलता है, उसके लिए हमने सीधा पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज को अधिकार दिए हैं, पंचायत समितियों को अधिकार दिए हैं। सरकार ने मई, 2005 में अर्बन और रूरल एरिया में विजीलैंस कमेटी बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आटा, दाल और कैरोसिन सही तरीके से उपलब्ध है या नहीं। बी०पी०एल० के तहत पहले आटा दे दिया जाता था उसके अंदर किस प्रकार का घोटाला था, इस मुद्दे को इस सदन में कई सदस्यों ने कई बार उठाया है। कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक और बड़ी उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2005 में आते ही यह निर्णय लिया कि अब बी०पी०एल० के तहत कनक देंगे ताकि कोई हेरा फेरी न हो सके, इसके अलावा कान्फैड को ये हिदायतें दी गई कि 10 तारीख तक फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से फूड ग्रेन्स दे दिया जाए कैरोसीन ऑयल टैंकर को वैरीफाई करने के लिए ताकि हेराफेरी न हो, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि डी०सी० हर जिले में एक अधिकारी को एथोराईज करेगा जिसकी उपस्थिति में कैरोसीन ऑयल का टैंकर अनलोड किया जायेगा। स्पीकर सर, सरप्राइज चैकिंग की भी व्यवस्था की गई है। यदि इस बारे में हमारी सरकार की मुस्तैदी देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में पी0डी0एस0 की जो गड़बड़ी हुई उसके मात्र 16 केस दर्ज हुए थे और हमारे समय में वर्ष 2005-06 में 59 केसिज में इस तरह की अनियमितताएं पकड़ी गई हैं जिनके विरुद्ध केस दर्ज हुए हैं । इसी तरह से वर्ष 2003-04 में 298 लाईसैंस डिपोज के कैंसिल किए गए थे जिनमें अनियमितताएं पाई गई थी और वर्ष 2005-06 में हमारे समय में 402 डिपोज के लाईसैंस कैंसिल किए गए हैं क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो इस बात के लिए हमारे उपमुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। स्पीकर सर, वर्ष 2003-04 और 2004-05 में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

1389 डीलरों की सिक्योरिटी फोरफिट की गई थी जो गड़बड़ी कर रहे थे और टोटल 6.81 लाख रुपये गड़बड़ी करने वालों की सिक्योरिटी जब्त की गई थी जबकि हमारे समय में वर्ष 2005-06 में 2026 डीलरों की 14,81,400 रुपये की सिक्योरिटी फोरफिट की गई है जो गड़बड़ी कर रहे थे। स्पीकर सर, ये फिगर्ज दर्शाती हैं कि कांग्रेस की सरकार कितनी सचेत है कि जो गड़बड़ी करते हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। (विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव : माननीय स्पीकर सर, वैसे तो मंत्री जी ने बड़ी डिटेल से सारी जानकारी सदन को दे दी है लेकिन मैं भी विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार गरीब, मजदूर और किसान की सरकार है। स्पीकर सर, मेरे साथी बी०पी०एल० कार्डस का जिक्र कर रहे हैं मैं इनको बताना चाहूंगी कि बी०पी०एल० के लिए जो परिवार डिजर्व करते हैं वे कहीं रह न जायें, यह देखने के लिए हम स्वयं गांवों में जाते हैं पिछली सरकार की तरह अब बी०पी०एल० कार्डस में किसी तरह की धक्काशाही नहीं हो रही। पिछली सरकार को जिसने वोट नहीं दिए थे उन गरीबों के उस समय बी०पी०एल० के कार्ड नहीं बनाये गये जबकि वे डिजर्व करते थे और जो डिजर्व नहीं करते थे जिनकी बड़ी-बड़ी कोठियां थी, उनके कार्ड बना दिए गए । स्पीकर सर, आज हम समय-समय पर गांवों में जाते हैं और चैक करते हैं कि जो परिवार बी०पी०एल० कार्ड के लिए डिजर्व करते हैं वे कहीं रह न जायें। जहां तक मकान बनाने की बात है पिछली सरकार के समय में जिनके पक्के मकान थे उनके मकान तो धक्के से बनवा दिए जाते थे और जो गरीब थे, जिनके कच्चे मकान थे उनके मकान नहीं बनाये गये। लेकिन आज गरीबों के मकान बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को सदन में गलत रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार केन्द्र में भी है जिसने महत्वपूर्ण नारा दिया है कि कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ। (विघ्न) इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहती है कि एक समिति बनाकर नये सिरे से बी०पी०एल० का सर्वे करवायें ताकि इसके लैवल को कुछ बढ़ाया जा सके क्योंकि केन्द्र सरकार की इस बारे में जो नीति है उसके तहत तो हरियाणा में बी०पी०एल० परिवार बहुत कम होंगे। क्या मुख्यमंत्री जी समिति बनाकर उसकी सिफारिशें लेकर विधान सभा में प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजेंगे ताकि इसके लैवल को बढ़वाया जा सके ?

श्री चन्द्रमोहन : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। पता नहीं उस समय इनका ध्यान कहां था ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जवाब दिया जा चुका है लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बी०पी०एल० की पूरी प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायलय ने 5-5-2003 को स्टे कर दिया था। यह बात आप सभी जानते हैं। सभी दलों और वर्गों की यह मांग थी कि बी०पी०एल० के कार्ड बनाये जायें लेकिन उस स्टे को तुड़वाने के लिए पिछली केन्द्र सरकार ने तीन साल तक कोर्ट में उस केस की पैरवी भी इफैक्टिवली नहीं की। यू०पी०ए० की सरकार के

गठन के फौरन बाद उस स्टे को हटवाने के लिए कोर्ट में पैरवी की गई और 14 फरवरी, 2006 को यह स्टे हटवाया गया। (विघ्न) स्टे हटने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने तुरंत उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगा कि अक्तूबर, 2006 तक बी०पी०एल० परिवारों की सूचियां तैयार कर ली जायेंगी। उसके बाद ये सूचियां सभी ग्राम पंचायतों में और नगरपालिकाओं में प्रकाशित की जायेंगी, वहां उपलब्ध रहेंगी। अगर उस पर किसी ने एडीशन पर या सब्सट्रैक्शन पर एतराज करना है तो कर सकता है जिसका निपटारा एस०डी०एमज० और तहसीलदारों द्वारा 10 दिन में कर लिया जायेगा। इसका निपटारा 10 दिनों में करने के लिए वे बाध्य हैं इससे अधिक समय नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अपील से सन्तुष्ट नहीं होता है तो हमने इसके लिए यह प्रावधान भी किया है कि वह उपायुक्त को अपील कर सकता है और फिर उपायुक्त उसका दस दिन के अन्दर-अन्दर निपटान करेंगे। उसके बाद ये सूचियां प्रकाशित होंगी। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा सब्र और करें।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कल भी इस बात का सवाल उठा था और कई माननीय साथियों ने कहा था कि ये सूचियां प्रकाशित हो गई हैं । मैं सदन की सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि ये सूचियां अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। वर्ष 1997 में जो पहले सर्वे हुआ था उस समय बी०पी०एल० परिवारों का 21.05 प्रतिशत गांवों में हाउस होल्ड था और शहरों में 6.38 हाउस होल्ड था। अब जो सर्वे हुआ है और जिलों से जो सूचना मिली है उसके मुताबिक गांवों में 29.44 प्रतिशत तथा शहरों में 6.70 प्रतिशत परिवार हाउस होल्ड हैं। जैसे कि मन्त्री जी ने बताया है कि अक्तूबर, 2006 तक यह लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। उसमें ऑब्जेक्शन के लिए समय मिलेगा और उसका निपटारा तहसीलदार, एस०डी०एम० और फिर डिप्टी कमिश्नर के लैवल पर होगा।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा। उन्होंने बताया है कि फरीदाबाद में वर्ष 2004 में 50676 बी०पी०एल० के कार्डज़ ईशूड थे जो वर्ष 2005 में घटकर 43,000 के करीब हो गए हैं यानि करीब सात हजार कार्डज़ कम हो गए हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन कार्डज़ की संख्या घटने का क्या कारण है ? इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के नॉलेज में यह बात है कि जो गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों और कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनको प्रति हैड पांच लीटर मिट्टी का तेल हर महीने दिया जाता था जब कि अब अढ़ाई लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई चैक लगाया है कि कहीं इस तेल का मिसयूज तो नहीं हो रहा है ? उनको पांच लीटर प्रति हैड के हिसाब से मिट्टी का तेल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या मन्त्री जी इसके बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कहा है कि कार्डज की संख्या में कमी है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के दौरान वहां पर जो गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों तथा कच्ची बस्तियों में रह रहे थे उनको उजाड़ कर वहां से खदेड़ दिया गया था इसलिए कार्डज की संख्या कम होने का मुख्य कारण यही था। इनका दूसरा सवाल यह था कि मिट्टी का तेल पांच लीटर प्रति हैड के हिसाब से नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि कुछ जगहों पर यह प्रॉब्लम है क्योंकि राशन कार्डज की स्टैम्पिंग का काम जारी है और लगभग 15-20 दिन में यह

[श्री चन्द्र मोहन]
काम कम्पलीट हो जाने की सम्भावना है। स्टैम्पिंग का काम होने के बाद यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। (विघ्न)

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि जो आधा तेल काटा जा रहा है वह कहां जा रहा है और कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है ? क्या मन्त्री महोदय इसके बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन : स्पीकर सर, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमने किसी का कोई तेल नहीं काटा है। राशन कार्डों की स्टैम्पिंग जारी है। हमारे कुछ साथी हैं जिनके कार्डों पर स्टैम्प नहीं लगी है वे फिलहाल मिट्टी का तेल ले रहे हैं। जैसे ही स्टैम्पिंग का काम पूरा हो जाएगा पांच लीटर पर हैड के हिसाब से मिट्टी का तेल सभी कार्ड धारकों को देंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी चौधरी साहब ने सवाल किया है कि कमी कैसे हो गई तो इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद क्योंकि मेवात डिस्ट्रिक्ट बन गया इसलिए वह कमी हो गई। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर महोदय, ने जवाब दिया है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के बाद चेंज किया है । पहले यह 289.31 रुपये मासिक खर्च थी लेकिन अब यह वह 337.42 रुपये मासिक खर्च है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह आज भी उतना ही है। देहात और शहर की आबादी के लिए अलग- अलग क्राईटीरिया है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चीज पर विचार करेगी कि कोई भी सर्वे हो सरपंच, एक्स-सरपंच, पटवारी, नम्बरदार की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के सामने सारे फैक्टस होने चाहिएं ?

Mr. Speaker : Now the Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

Setting up of Power Project in Fatehabad

***522. Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any power project in village Kumharia in district Fatehabad; if so,the details thereof togetherwith the time by which the construction work of the said project is likely to be started/completed ?

बिजली मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : श्रीमान, जिला फतेहाबाद के गांव कुम्हरिया के पास न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया गया है। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को हरियाणा सरकार के द्वारा 320 क्यूसिक पानी उपलब्ध कराने की सहमति दे दी गई है, जिसमें से लगभग 160 क्यूसिक पानी उपभोग के लिए प्रयोग होगा।

Opening of Government College at Narnaund city

*534. **Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government College at Narnaund City in Narnaund constituency ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान जी।

Elevated Highway Bridge on Baderpur Faridabad Border

*541. **Shri Udai Bhan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Central Government /NHAI to construct any elevated Highway Bridge on Baderpur Faridabad Border; if so, the details thereof togetherwith the steps taken by the Haryana Government in this regard ?

बिजली मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : हां, श्रीमान जी । भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली आगरा सैक्शन के कि०मी० 16.100 से कि०मी० 20.500 पहुंच मार्ग सहित 6-लेन उत्थित राजमार्ग को बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रोजैक्ट का बड़ा भाग दिल्ली क्षेत्र में और एक छोटा भाग हरियाणा में पड़ता है। इस प्रोजैक्ट पर 294 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है। प्रोजैक्ट को बिल्ट, आपरेट और ट्रांसफर (BOT) और टोल आधार पर किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निविदायें मंगवाने और निविदताओं की प्री-कवालीफिकेशन पूर्ण की जा चुकी है।

हरियाणा सरकार ने इस प्रोजैक्ट के लिए अपनी सैद्धांतिक तौर पर सहमति और स्टेट स्पोर्ट ऐग्रीमेन्ट पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी जा चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा मामले की भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मुद्दा हर स्तर पर लिया जा रहा है।

Construction of Sports Stadium in village Nahra

*550. **Sh. Ramesh Kaushik :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sport Stadium in Village Nahra in Rai Constituency of District Sonipat ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : नहीं श्रीमान जी।

M.S.P. of Agriculture Produce

*555. **Shri. S.S. Surjewala** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the minimum sport price of Paddy, Cotton, Oil-seeds, Sugarcane and other grains as announced by the Union Agriculture Ministry was insufficient ; and

(b) if so, whether the State Government has made any request to the Union Government for providing of remunerative price of the said Agriculture produce ?

कृषि मन्त्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) :

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) जी हां, श्रीमान जी।

Opening of Government College at Chhachhrauli Town

*562. **Shri. Arjan Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Govt. College in Chhachhrauli town as there is no College; and

(b) if so, the time upto by which the above-said College is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में छछरौली कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

Repair of Canal

*567. **Shri Radhey Shyam Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the time by which the canal leading to Budhwal from village Amarpur of District Mahendergarh is likely to be repaired which was damaged during the last year rainy season ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव अमरपुर से बूढवाल को जाने वाली नहर की मरम्मत का कार्य 68975/-रु० की लागत से मई 2006 में पूरा करवा दिया गया है।

Nehru Memorial Government College, Hansi

*572. **Sh. Amir Chand Makkar :** Will the Minister for Edcuation be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the (II) Block and Hall Room of the Nehru Memorial Government College, Hansi; and

(b) if so, the time by which the aforevesaid proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Employment Provided in Abroad

*570. **Smt. Sumita Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the state Government has constituted a special Bureau for facilitating the youths of the State in seeking employment abroad. If so, the details thereof ; and

(b) the number of youths get employment abroad through the said Bureau ?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

(अ) तथा (ब) श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

(अ) हाँ, सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयत्नों के सहायतार्थ विदेश रोज़गार ब्यूरो गठित किया है। सरकार ने हरियाणा विदेश रोज़गार सहायता समिति (होपास) आरम्भ की है जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। समिति द्वारा विदेश में रोज़गार हेतु भर्ती अभिकर्ता का प्रमाण पत्र एमीग्रेशन एक्ट 1983 के अधीन प्राप्त कर लिया गया है। इस समिति ने विदेश रोज़गार ब्यूरो स्थापित किया है तथा प्रार्थियों का पंजीकरण आरम्भ कर दिया है। यह सेवाऐं वैब साईट www, haryanajobs. in पर निःशुल्क उपलब्ध है। विदेश में रोज़गार के इच्छुक प्रार्थी इस वैबसाईट पर अपना पंजीकरण ऑन लाईन कर सकते है और नियोजक भी अपनी रिक्तियां इस साईट पर दर्ज कर सकते हैं। संभावित विदेशी नियोजकों की सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 16 देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को पत्र लिख दिये गये हैं। अब तक 1279 प्रार्थियों ने विदेशी रोज़गार सहायता हेतु

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

वैबसाईट पर पंजीकरण करवाया है। 64 प्रार्थियों द्वारा अपने कागजात भेजे गये हैं तथा उनके पंजीकरण सत्यापित कर वैध किये जा चुके हैं।

(ख) आज तक किसी को भी विदेश में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया क्योंकि कोई भी रिक्ति इस ब्यूरो को प्राप्त नहीं हुई है।

CHC/Hospital, Gharaunda

***574. Smt. Rekha Rana :** Will the Minister for Health be pleased to state the time by which the C.H.C/Hospital Gharaunda will be completed the sanction for which was accorded during the regime of previous Government ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : श्रीमान् जी, कार्य छह महीने में पूर्ण होने की सम्भावना है।

Asiad and Commonwealth Games

***539. Shri. Ranbir Singh Mahendra :** Will the Minister for Sports and Youths Affairs be pleased to state –

(a) whether it is fact that the sports persons/youths of the State are losing their valuable time for preparing themselves for the participation in forthe coming Asiad and Commonwealth Games to be held during the year 2010 due to the crises in the Haryana Olympic Association, if so, the steps taken or proposed to be taken to resolve the said crises ;

(b) whether new office bearers of the said Association have started functioning ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to impart proper training in coaching Centres to the sports persons/youths of the State who will participate in the aforesaid games ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) हरियाणा ओलम्पिक संघ से प्राप्त सूचना अनुसार हरियाणा ओलम्पिक संघ के नये पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 6-5-06 से कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) इन खेलों के लिए टीमों का चयन संबंधित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा किया जाता है और समुचित प्रशिक्षण संबंधित खेलों के राष्ट्रीय संघों, भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत

सरकार द्वारा दिया जाता है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा सामान्य तौर पर खेलों के विकास हेतु विभागीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ-साथ खेल संघों को उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के सभी लिए सभी खिलाड़ियों की तैयारी करवाने हेतु सहायता व सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता उक्त वर्णित खेलों के लिए तुरन्त प्रदान की जाएगी।

Development of Sectors

***498. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish sector-5, 6 and 16 of HUDA in the residential zone near National Highway No. 1; in district, Sonipat; and

(b) if the reply to part 'a' is in affirmative whether the land has been acquired or to be acquired; if so, the village-wise details thereof together with the time by which the applications will be invited for the allotment of plots ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी हां, श्रीमान्

(ख) उपरोक्त सैक्टरों के लिये 656.74 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। अर्जित की गई भूमि का गांवों अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :

गांव का नाम	अर्जित क्षेत्र (एकड़ में)
रायपुर	349.17
सुलतानपुर	54.09
गढ़ शाहजानपुर	166.15
रेवली	18.33
पट्टी मुसलमान	69.00
कुल	656.74

प्लाटों के आंवटन हेतू आवेदन आने वाले समय में मांगे जायेंगे।

Construction of Boundary Wall

***548. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Boundary Wall of New Anaj Mandi ('B' Block) of Mandi Dabwali in district Sirsa ?

कृषि मन्त्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : हाँ श्रीमान् जी।

Generating of Power

***523. Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the quantum of generation of power (in Megawatt) has been increased from the financial year 2005-06 to date ;

(b) the number of new power generating plants/projects on which the construction work is in progress ; and

(c) the time by which the above-said plants/ projects will start generating power ?

बिजली मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : श्रीमान् जी,

(क) पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की 250 मैगावाट क्षमता की एक यूनिट, यूनिट-8, 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक परिचालन के लिए घोषित की गई थी। इस यूनिट को ग्रिड के साथ जोड़ने से पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता 1110 मैगावाट से बढ़कर 1360 मैगावाट हो गई है। राज्य की अपनी कुल उत्पादन क्षमता 1337.4 मैगावाट से बढ़कर 1587.4 मैगावाट हो गई है।

(ख) दीनबन्धु छोटू राम थर्मल विद्युत परियोजना, यमुनानगर की प्रत्येक 300 मैगावाट क्षमता की दो यूनिटों का निर्माण कार्य पूर्ण जोरों से चल रहा है।

(ग) उपरोक्त परियोजना की प्रथम 300 मैगावाट क्षमता की यूनिट-I से नवम्बर 2007 से उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है तथा इसी क्षमता की दूसरी यूनिट से फरवरी, 2008 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है।

C.B.I Raid

***516. Shri. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any raid was conducted against the I.A.S. and I.P.S. Officers of the Haryana Government during the year 2001 to 2005; if so, the number thereof, togetherwith the present status of each individual case ?

Interim Reply

Bhupinder Singh Hooda

29/18/2006-2(1)
Chandigarh 18-9-2006

CHIEF MINISTER, HARYANA

Subject : **Starred Assembly Question No. 516 by Sh. Tejinder Pal Singh Mann, M.L.A.**

Dear Speaker Sir,

I would like to inform that Starred Question No. 516 regarding C.B.I. raid conducted against I.A.S./I.P.S. officers of Haryana Government and their present status was received in the Personnel Department on 22-8-2006. Accordingly the Personnel Department has requested Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation, to provide the relevant information for preparing the reply to the said starred question.

The relevant information is awaited from Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation. The Personnel Department is making efforts to collect the relevant information from the concerned quarters but it seems it would take some time to get the relevant information from Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation. It is, therefore, not possible to prepare the reply up to 19th September, 2006. I, therefore, request you for granting extension of 15 days, time for preparing the reply to the question. The question is fixed for 19-9-2006.

With kind regard

Yours sincerely,
Sd/-
(BHUPINDER SINGH HOODA)

Shri Raghuvir Singh Kadian,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Sites Auctioned HUDA in Gurgaon, Faridabad and Panchkula

44. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the details of the sites auctioned by HUDA for Commercial/Hotal and for any other purpose in Gurgaon, Faridabad and Panchkula during the year April 2000 to March 2005 togetherwith the reserve and auctioned prices thereof alongwith the names and addresses of bidders who participated in the above bids; and

(b) whether any complaint regarding irregularities committed in the auction of the sites as referred to in part 'a' above have been received; if so, the details thereof alongwith the action taken thereon ?

Interim Reply

Bhupinder Singh Hooda

D.O. No. C.M.H. 2006/1574/HUDA/ CCF
CHIEF MINISTER, HARYANA
Dated, Chandigarh 16/9/2006

Subject : Extenstion of time in replying Un Starred Question No. 44 by Sh. Karan Singh Dalal listed for 19-9-2006 in the Haryana Vidhan Sabha.

Dear Dr. Kadian,

I would like to draw your attention towards U.O. No. QB-1/11432 dated 25-8-2006 on the subject mentioned above vide which Un-Starred assembly question No. 44 is listed for the question hour on 19-9-2006 in the forthcoming Haryana Vidhan Sabha Session. Since collection of intricate and voluminous data/information is involved in preparing the detailed reply to this question, therefore, the question No. 44 may be de-listed from the question hour for 19-9-2006 and one month more time may be given, so as to enable the Department to prepare the requisite reply.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bhupinder Singh Hooda)

Dr. Raghuvir Singh Kadian,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

Licences to Colonizers/Builders

45. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the names of colonizers/Builders who have granted colonization licences to develop the Residential /Commercial sites in the State since 1985 till date together with details of terms and conditions of their licences;

(b) the names of colonizers/builders referred to part in (a) above who have not complied the terms and conditions of their licences ; and

(c) the name of colonizers/ builders referred to part in (a) above who have not submitted their completion certificate and have not settled their accounts ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : इस सूचना को एकत्र करने में जो प्रयास एवं स्त्रोत लगेंगे उससे कोई अनुपातिक हित उपार्जित नहीं होगा।

Colonization Licence to Private Builders/Colonizers

46. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the Colonization licence to the private colonizers/builders granted or are being granted for the land for which acquisition proceeding were started by the Department or Urban Estates for the Haryana Urban Development Authority in the State since April, 1999 till date along with the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : उन निजी कालोनाईजरों एवं भवन निर्माताओं के नाम जिनको शहरी सम्पदा विभाग द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के उपरान्त अप्रैल 1999 से अब तक लाईसैंस प्रदान किए गए हैं उनकी सूची अनुलग्नक 'ए' पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा यह लाईसैंस हरियाणा विकास एवं नियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुरूप एवं सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों की अनुपालना में प्रदान किए गए हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/प्राईवेट सदस्य विधेयक की सूचनाएं

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में 12 सवाल दिए थे और उनमें से सिर्फ 2 सवाल ही लगे हैं। और उन पर भी मुझे सप्लीमैंटरी करने का मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप जब भी सवाल पूछते हैं, उस पर 3-4 मिनट तो बैकग्राउंड बनाते रहते हो और बार-बार कहने के बाद भी बैकग्राउंड बनाते रहते हो। अगर हर मैम्बर 2-2 या 3-3 सप्लीमैंटरी एक सवाल पर पूछेगा तो सभी प्रश्नों के लिए कहां समय रह जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान) आप सभी जिम्मेवार सदस्य हैं, आप सबको इस बारे में सोचना चाहिए।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है ...

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आपकी जो-जो बातें हैं, आप वे सब लिखकर भेज देना। अब आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, पहले तो आप दोनों यह तय कर लें कि पहले बोलना किसने है ? (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में कुरूक्षेत्र तथा गुड़गांव में हुड्डा द्वारा अर्जित भूमि को सरकार द्वारा छोड़ने के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दी थी, उसका क्या हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कालिंग अटैंशन मोशन आपने आज 8 बजकर 25 मिनट पर दी है और यह अन्डर कंसीडेशन है। अगर आपको इतनी चिन्ता है तो आपको यह पहले देनी चाहिए थी। आप इसको कल देते या परसों देते।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कल ही जवाब सदन के पटल पर रखा था, उसके बाद ही तो हम कालिंग अटैंशन मोशन देंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने डेढ़ पौने दो साल में लैंड रीलिज की है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में अपनी स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखे। अध्यक्ष महोदय, * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : ये जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

डा० सीता राम : * ** * * ।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी रिक्वैस्ट तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भूना शूगर मिल के किसानों तथा कर्मचारियों में रोष संबंधी एक कालिंग अटैंशन मोशन दी थी वह आपने डिसअलाऊ कर दी लेकिन मैंने उसके बारे में आपको आज फिर लिख कर दिया है कि भूना शूगर मिल के बारे में दी हुई कालिंग अटैंशन मोशन को रि-कंसीडर किया जाए। इसकी वजह से वहां के कर्मचारियों में और वहां के किसानों में भय का माहौल बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह दरख्वास्त आपने आज सुबह 8.20 बजे दी थी। (शोर एवं व्यवधान) अगर आपको इतनी चिन्ता थी तो आपको एडजर्नमैंट मोशन देना चाहिए था। इसके अलावा आपके पास और भी दूसरे तरीके थे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस शूगर मिल को प्राईवेटाईज करने से लोगों को बहुत नुक्सान होगा। यह सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। अगर ऐसी बात है तो सरकार उस मिल में होने वाले घाटे को सहन करके उसको

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दोबारा से सही तरीके से चला सकती है जिससे वहां के कर्मचारियों का और किसानों का नुक्सान होने से बच जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आज आपको इतनी चिन्ता किस बात की हो रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

डा0 सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की बहुत चिन्ता है। आप रिकार्ड उठा कर देख लें। हमने किसानों के हितों के लिए काफी शार्ट नोटिस प्रश्न दिए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में हरियाणा रिलीफ औफ एग्रीकल्चरल इन्डैप्टनैस अमैंडमैंट बिल के बारे में एक नोटिस दिया हुआ है। उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : वह अन्डर कंसीडेशन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इंदौरा साहब ने भूना शुगर मिल की बात की है। मैं इन्दौरा साहब से यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर कितने एकड़ एरिया में गन्ने की फसल की सोइंग है, उस एरिया के अंदर कितना गन्ना बोया गया है ? (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात एक सैकेंड के लिए समझ लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आपने इस बार तीन दिन का सैशन का समय रखा है लेकिन जितने मैम्बर्ज ने अपने सवाल आपके पास भेजे हैं उन सबके सवालों का जबाव नहीं आया है। इन सब सवालों के जबाव आ जाएं तो इसके लिए आप सैशन का समय दो दिन और बढ़ा दें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप अपना रजिस्टर देखना तब आपको पता लगेगा। जिसका भी सवाल हमारे पास पहले आया है उसका सवाल पहले लगा है और जिसके सवाल बाद में आते हैं उसके सवाल बाद में लगते हैं। (विघ्न) गौतम साहब, जिस दिन सैशन प्रोरोगेट हो जाए उस दिन से नये सवाल आने शुरू हो जाते हैं। आप भी उस समय अपने सवाल दे देना हम उन सबको लगा देंगे। (विघ्न)

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारे इशू का फैसला कर दीजिए (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा0 साहब, आप बैठिए। (विघ्न)

डा0 सीताराम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात का फैसला कर दीजिए हम बैठ जाएंगे। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आपकी मुस्कराहट ने इनकी आदत खराब कर दी है।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप बैठिए। डा0 साहब, अगर आप सीरियस होते तो आप अपनी बात कल भी लिखकर दे सकते थे। (interruptions) Dr. Sahib, calling attention Motion can be given at any time.

डा० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिए। बहन जी, आप कालिंग अंटेशन मोशन का रिप्लाई दें। (विघ्न) डा० साहब, आप भाग रहे हैं क्या ?

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप यस कर दें तो हम बैठ जाएंगे। हमने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं। आप हमें इस बारे में आश्वासन दे दें हम बैठ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपका इशू अभी अंडर ऐग्जामिनेशन है। जब यह मेरे पास पुट अप होगा तभी मैं उसको ऐडमिट कर पाऊंगा इसलिए अभी आप बैठें। (विघ्न) डा० साहब, अगर आप वाक आउट करना चाहते हैं तो इसका इलाज क्या है ? (विघ्न) बहन जी, आप कालिंग अंटेशन मोशन का जबाव दें। (विघ्न) डा० साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न) डा० साहब, मैंने आपको बताया है कि जब आपका इशू मेरे पास आएगा तभी मैं उसको ऐग्जामिन करूंगा। आप अभी बैठें।

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से इन माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि इनको कम से कम औरों को भी बोलने का समय देना चाहिए। क्या इन लोगों को ही केवल बोलने का अधिकार है या औरों को भी बोलने का अधिकार है ? (विघ्न)

Mr. Speaker : If you would have been in my place then what will you do ? Please take your seats. डा० साहब आप बैठिए।

वाक आउट

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्य अपनी बात न सुने जाने के कारण सदन से वाक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उप मण्डल अधिकारी-नारनौल द्वारा नांगल चौधरी के अस्पताल पर दो बार छापे मारने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No.7 from Shri Radhey Shyam Sharma, regarding the twice raids on Hospital of Nagal Chaudhary by the Sub Divisional Officer, Narnaul, in the Hospital of Nangal Chaudhary. Shri Radhey Sham Sharma, may read his notice and the Minister concerned to make a statement thereafter.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि उप मण्डल अधिकारी, नारनौल द्वारा नांगल चौधरी के अस्पताल पर दो बार छापे मारे गए। छापों के दौरान लाखों रुपयों की दवाईयां, इंजैक्शन

20.9.06

तथा अन्य उपकरण गटर, गड्ढों तथा कृष्णावती नदी में छिपे पाए गए। परन्तु न तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है न ही यह सुनिश्चित किया गया है कि आगे क्या कार्यवाही की जाएगी।

यह स्वास्थ्य से संबंधित लोक हित का मामला है तथा दवाईयों की कमी के कारण लोगों को काफी हानि हुई है।

अत : मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में इस महान सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि लोग इस मामले में सूचना प्राप्त कर सकें।

वक्तव्य—

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : दिनांक 8-9-2006 को एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल चौधरी में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कृष्णावती नदी-तल पर कुछ दवाईयां दबी हुई हैं, जिस पर उप मण्डल अधिकारी द्वारा छापा मारा गया। छापे के दौरान 44 एम्प्यूल अस्थाफिलिन, बेरियम सल्फेट, क्लोमन कान की दवाई, जाईकोर्ट इंजेकशन, मर्कयूर्स कलोराईड, कैल्शियम कार्बोनेट, शीशे की टूटी हुई रोड्स इत्यादि पाए गए। इन दवाइयों की कुल कीमत लगभग 300/-रुपए बताई गई है।

इससे पहले नगराधीश, नारनौल द्वारा दिनांक 6-8-2006 को एक अन्य छापा मारा गया था जिसमें कुछ बिना लेबल की दवाई की वायल्ज, मैगनेशियम सल्फेट के टीके, 26 वायल्ज ट्रिप्पल वैक्सीन, टैटनस टोक्साईड तथा ओरल पोलियो वैक्सीन, आई०वी० मैनिटोल तथा कुछ टी०बी० रोधक दवाईयों के जले हुए खाली पत्ते इत्यादि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में दबे हुए पाए गए। उपरोक्त दवाइयों की कुल कीमत लगभग 3000/-रुपए आंकी गई है। यह दवाईयां आर०सी०एच० कार्यक्रम के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान उपलब्ध कराई गई थी। इन दवाईयों की समाप्ति अवधि सामान्यत: एक से दो वर्ष के बीच होती है।

इस मामले में सिविल सर्जन, नारनौल को तुरन्त तथ्यों पर आधारित जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके। जो दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कल हमने जांच रिपोर्ट भी मंगवा ली है और उस रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैंने यहां हैड आफिस से किसी सीनियर अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें सही मायनों में दोषी कौन है ? मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि चाहे वह दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : माननीय मंत्री महोदया ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीवन रक्षक दवाइयां गरीब लोगों और बीमार लोगों के लिए मेरे क्षेत्र में भेजी उसके लिए मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन दवाइयों का दुरुपयोग किया गया। जो

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]

कीमत वहां पर 300 रुपये और 3000 रुपये आंकी गई है इसमें भी सरकार को गुमराह किया गया है और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। उन दवाईयों की कीमत वस्तुत: लाखों रुपये में है। उन दिनों के अखबारों की कटिंग मेरे पास है। वहां के सी०टी०एम० और एस०डी०एम० ने जो छापे मारे थे, उसमें ये दवाइयां गटरों में मिली थी ? इन दवाइयों को नदी के अंदर दबा दिया गया। इन दवाइयों पर हरियाणा गवर्नमैंट सप्लाई की सील की वजह से वे लोग इनको बाजार में नहीं बेच सके, वरना तो इन दवाइयों को बाजार में बेच दिया जाता। इसका कारण क्या है क्यों इन दवाईयों को दबाया गया वह इसलिए दबाया गया क्यों कि जो दवाइयां बाजार से परचेज कराई जाती हैं उन पर डॉक्टरों को कमीशन मिलता है। अगर यह दवाइयां गरीब लोगों को दी जातीं तो इससे सरकार की छवि भी बनती और सरकार का नाम भी होता। इस वजह से बीमार लोगों का नुक्सान हुआ यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अध्यक्ष महोदय, इस बात का सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि वहां जो सिविल सर्जन लगा रखा है वह जूनियर है और उससे जो सीनियर डाक्टर हैं उनको इस बात से ग्रीवैंस है और जो सिविल सर्जन इन्चार्ज है उसको डेली चिंता बनी रहती है कि तेरा पद आज छिना, कल छिना! इस वजह से वे लोग रोज ऐसी कोई न कोई हरकतें करते रहते हैं। उसने 25 हजार रुपये की राशि लेकर एक गलत मेडीकल किया जिस पर बोर्ड बैठाया गया।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में तो आप लिखकर दे दें। आप स्पैसिफिक सवाल पूछें।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : ठीक है सर, एक तो मैं यही जानना चाहता हूं कि यह जो दवाइयां जिन लोगों ने दबाई और लाखों रुपयों की दवाइयां हजारों रुपये की बताई गई क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्री जी ने बता दिया है कि इस बारे में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। और जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : एक मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी ?

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने असहमति जाहिर की है उसका एक कारण यह भी है कि दवा की जो कीमत है वह शायद कम हो एक बात तो यह है दूसरी यह भी है कि जो स्टोर का इन्चार्ज है वह सीनियर स्टोर कीपर होता है किसके माध्यम से दवाईयां वहां गई है। ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जायेगी और पूरी गम्भीरता से इस मामले को सरकार ले रही है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अन्दर-अन्दर यह जांच पूरी हो जायेगी और यह बात मैंने बार-बार कही है कि चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। जहां तक दवाईयों का प्रश्न है स्पीकर सर, नारनौल के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान दवाईयों की खरीद के लिए 10.30 लाख रुपये की राशि अलाट की गई है और इस जिले के लिए कुल 21.40 लाख रुपये की दवाईयां सप्लाई की गई हैं बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत जिला नारनौल को 7.75 लाख रुपये की दवाईयां उपलब्ध

कराई गई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है अब हैल्थ विभाग का बजट 67 प्रतिशत बढ़ा हुआ है और कहीं पर दवाईयों की कमी नहीं है। जहां तक दवाईयों की चोरी के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता की है उस चिन्ता में मैं भी अपने को शामिल करती हूं और यह बड़े दुख की बात है कि दवाईयां दी जाती है बीमारों को ठीक करने के लिए और कुछ लोग उन दवाईयों से अपना पर्सनल फायदा उठाना चाहते हैं। यह रोगियों के साथ बहुत भारी ज्यादती है। मैं माननीय सदस्य को यहीं कहूंगी कि यहां से जो अधिकारी जांच करने के लिए जायेगा उसकी रिपोर्ट आप आ लेने दें पूर्ण रूप से सच्चाई सामने आ जायेगी तो उससे आप भी सहमत होंगे और भविष्य में इस तरह की वारदातें कहीं पर नहीं होने दी जायेंगी। स्पीकर सर, एक क्लैरिफिकेशन मैं सदन के सामने देना चाहूंगी। मैं यहां सदन में नहीं थी मैं इसी कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब की तैयारी कर रही थी। एक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया, मेवात के बारे में उठाया था। मैंने आज सवेरे ही वहां के सिविल सर्जन से बात की है। अखबार के पहले पन्ने पर जो बच्चे की मौत की खबर छपी है उसमें वह औरत इस्थमन 6 महीने की गर्भवती थी। डाक्टर ने उसको कहा कि आप अपना एच०बी० टैस्ट करवा लें। कहीं एच०बी० कम न हो लेकिन वह टैस्ट करवाने के लिए कमरे तक भी नहीं पहुंची थी कि उसका अबोरशन हो गया यह बड़े दुख की बात है लेकिन स्पीकर सर, यह बच्चे की जन्म की बात नहीं है यह किसी वजह से कहीं कुछ कमी के कारण गर्भपात हुआ है लेकिन वह औरत होस्पिटल में दाखिल है और उसकी हालत अब ठीक है। साथ ही हमारे आई०एम०आर० काफी ऊंचा था। वर्ष 1998-99 में इसका प्रतिशत एक लाख बच्चों पर 456 बच्चों की मृत्यु दर थी जो वर्ष 2001-2002 में 300 रह गई और अब वर्ष 2005-2006 में भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 130 रह गई है और धीरे-धीरे हम आई०एम०आर० और एम०एम०आर० को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इस बारे में पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर सब से सहयोग की आवश्यकता है। बच्चों की मृत्यु दर कम करने और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सभी माननीय सदस्यों का सहयोग वांछित है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा साहब, इतना अहम मुद्दा हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य का मुद्दा सदन में चल रहा था और आप सदन से वाक-आऊट कर गये इससे प्रतीत होता है कि आपको हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं है। आप तो मैडिकल प्रोफैशन से बिलौंग करते हैं इतना बड़ा अहम मुद्दा हाऊस में चल रहा था और आप बाहर चले गये। (शोर)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indenfinitely.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indenfinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indenfinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

विधान कार्य—

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill 2006 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एग्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा में 70 प्रतिशत के करीब लोग खेती करते हैं, चाहे छोटे-छोटे किसान हैं, चाहे भूमिहीन लोग हैं और चाहे खेती के औजार और खेती का सामान बनाने वाले आर्टिज्न भी हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा । **(इस समय चेयरपर्सनज की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी पदासीन हुए)** पिछले समय में लगभग 6 साल तक जब सैंटर में अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की सरकार पावर में थी। उस वक्त अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली पार्टियां जिनमें चाहे लोकदल हो या अकाली दल हो या फिर बहुत सी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हों उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया कि किसान की गर्दन पर पांव रखकर गद्दी पर बैठे और फिर बाद में उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी को बिना शर्त समर्थन दिया और उसका कारण नहीं बताया, वह कारण उस वक्त छिपा हुआ था। चाहे हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला का राज था चाहे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का राज था समर्थन देने का कारण यह था कि इनके परिवार को लूटने का लाइसैंस भारत सरकार दे और हम जो मर्जी करें, किसी भी तरह से लोगों को लूटें, कुछ भी अत्याचार करें, विधान की धज्जियां उड़ाएं, लोगों के मूल अधिकारों का हनन करें उन सब बातों में भारत सरकार हमारा समर्थन करें और कोई दखल अंदाजी न करे। इस तरह हरियाणा के किसान, हरियाणा के खेतीहर मजदूर और दस्तकार जो खेती से जुड़े हुए थे उनकी हालत निरंसर बिगड़ती जा रही थी। इन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वह मंडियों में किसान को नहीं दी बल्कि यहां की सरकार के सरपरस्त ओम प्रकाश चौटाला स्वयं व्यापार करने लगे थे। ये यू०पी० से गन्ना सस्ते दामों पर मंगाते और हरियाणा में किसान का नाम लेकर उसकी कीमतें बढ़ाते और गन्ना मंहगे दामों पर बेचकर खुद पैसा कमाते थे। राजस्थान से बाजरा मंगवाते थे और उससे पहले हरियाणा में बाजरे की कीमतें बढ़ा दी जाती थी और बढ़े हुए भाव पर यहां बाजरा बेचा जाता था। इसी तरह से गेहूं भी यू०पी० से सस्ते भाव में खरीदा जाता था और यहां भाव बढ़ाकर बेच दिया जाता था। चेयरमैन सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि चौटाला हर तरह का अनाज दूसरे प्रदेशों से खरीदकर यहां लाता था और यहां भाव बढ़ाकर बेच देता था। जिसके कारण यहां के किसान की, मजदूर की हालत बहुत गिर गई थी। (विघ्न)

डा० सीताराम : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये जो बात कह रहे हैं यह गलत कह रहे हैं। (विघ्न) यदि दूसरे प्रदेश से गेहूं लेकर आयेंगे तो सरकार का रैवेन्यू बढ़ेगा। (विघ्न)

श्री सभापति : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : सभापति महोदय, यही कारण थे कि पिछली सरकार के समय में हमारे यहां के किसानों की हालत पिछड़े राज्यों के किसानों से भी बदतर हो गई थी। किसान के लिए खेती एक टोटे का नुक्सान का धंधा बनकर रह गया था। सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में खेती के काम आने वाले इनपुट्स खाद, बीज, कीड़ेमार दवाईयों, आदि की कीमतें 300 से 400 प्रतिशत बढ़ी और पैदा होने वाली फसलों की कीमत सिर्फ 150 प्रतिशत के करीब ही बढ़ी। यही कारण रहे जिसके कारण हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर भी आत्महत्या करने के लिए विवश हो गये। सभापति महोदय, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनियां गांधी 1997 में हरियाणा के उन किसान परिवारों से मिलने आई थी जिन्होंने पिछले राज में आत्महत्याएं की थी। मैं यह कहना

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में और सरदार मनमोहन सिंह जी के काबिल नेतृत्व में इन परिस्थितियों को बदलने का भरसक प्रयत्न कर रही है। सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है कि यू०पी०ए० सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर 14-15 प्रतिशत से कम करके 7 प्रतिशत की है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों द्वारा कर्ज अदायगी न दिए जाने पर कोपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को गिरफ्तार करने वाले काले कानून को पिछले सैशन में हटा दिया था। अब हमारे प्रदेश के किसान द्वारा कर्जा न चुकाये जाने पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए बहुत से ठोस कदम उठाये हैं। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ता हूं। अभी भी हमने किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए काफी कुछ करना है तभी किसान की स्थिति बदलेगी और वे आत्महत्याएं करनी बंद करेंगे। इसके लिए हमें तीन-चार महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए भारत सरकार के सहयोग की भी जरूरत है। इस दशा को सुधारने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो पुराने कर्जे किसानों और खेतिहर मजदूरों के हैं उनकी वन टाईम सैटलमैंट होनी चाहिए। उनके कर्जे का एक बार निपटारा करने के लिए हमें प्रावधान करना ही पड़ेगा। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की गाईडलाईन्ज हैं कि जो कारखाने और धन्धे नुक्सान में चल रहे हैं उनकी दशा सुधारने के लिए वन टाईम सैटलमैंट की जाती है उसी तरह से किसानों और खेतीहर मजदूरों के कर्जे की भी वन टाईम सैटलमैंट का प्रावधान करना पड़ेगा तभी किसानों की हालत में सुधार होगा। (विघ्न) इण्डस्ट्रीज में तो वन टाईम सैटलमैंट बहुत सालों से हो रही है इसलिए मैं कहता हूं कि जो इण्डस्ट्रीज में हो रहा है वह खेती में क्यों नहीं करते ? सभी पार्टियां मानती हैं कि खेती में बहुत क्राईसिज हैं और सभी उनको दूर भी करना चाहते हैं। सबको मालूम है कि खेती में यूज होने वाले इनपुट्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं और खेती की पैदावार में पिछले कई सालों से गिरावट आ रही है। जिसके कारण किसानों की, मजदूरों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। इन सभी परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए भी वन टाईम सैटलमैंट स्कीम लागू करनी पड़ेगी जो कारखानों पर लागू है। इसके लिए कोआप्रेटिव बैंकों को हिदायतें देनी पड़ेंगी कि जो खेती पर कर्जा लिया गया है उसकी वन टाईम सैटलमैंट की जाये, क्योंकि आज के दिन खेती की हालत कारखानों से बुरी है। इसलिए किसानों के कर्जे की वन टाईम सैटलमैंट जरूरी है। इस सैटलमैंट के बारे में ज्यादा सफसील में न जा कर मैं इतना ही कहूंगा कि सब डिवीजन लैवल पर जो सरकारी अधिकारी हैं उन सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में इसको लागू किया जाए और उस पर दामदुप्ट का प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। दामदुप्ट के प्रिंसिपल को सारी दुनियां जानती है। इसके अनुसार जितना कर्जा किसी ने लिया था उससे दुगने से ज्यादा ब्याज का पैसा उससे वसूल नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन सर, आज प्रैक्टिस यह है कि चाहे बैंक से या किसी प्राईवेट मनी लैंडर से किसान या मजदूर एक हजार रुपये का कर्जा लेता है तो उससे वे लोग लाख रुपये से भी ज्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं जो बिल्कुल बेइन्साफी की बात है इसलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे मनी लैंडर पर दामदुप्ट लागू करके उसका वन टाईम सैटलमैंट होना चाहिए। जिस व्यक्ति में कर्जा वापिस करने की क्षमता न हो उसके बारे में आर०बी०आई० का कानून है कि अगर कोई कारखानेदार नुकसान में चला गया है या उसकी इण्डस्ट्री बन्द हो गई है तो कर्जदार से कोई पैसा न लिया जाए और उसका सारा कर्जा छोड़ दिया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान या खेतिहर

मजदूर पैसा वापिस न दे सके तो उसका सारा कर्जा क्यों छोड़ा जाए। आज देश में इस प्रकार की स्थिति बड़ी शर्मनाक बात है। आज जो क्राईसिस है वह बड़ा ही डीप है। अगर किसी के पास कर्जा वापिस करने की क्षमता नहीं तो उसका कर्जा माफ होना चाहिए। चेयरमैन सर,अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं उनको रिआर्गेनाईज किया जाए। जो को-आपरेटिव बैंक्स और स्टेट लैवल के अपैक्स बैंक्स हैं वे किसान तथा खेतीहर मजदूर को कर्जा देने के लिए नाबार्ड से 4 परसैंट ब्याज पर पैसा लेते हैं वे 30 से 40 परसैंट तक अपना कर्जा वसूल करते हैं। को-आपरेटिव बैंक जिले का बैंक है जिसको सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक कहते हैं वे उस पैसे में अपना खर्चा डालते हैं, उसके बाद क्रैडिट सोसाइटीज हैं वे भी अपना खर्चा डालती हैं। इसका नतीजा यह है कि 4 परसैंट की यह सूद की दर 10 से 12 परसैंट तक पहुंच जाती है क्योंकि इसमें जो खर्चा बैठता है वह कर्जदारों से वसूल करते हैं। चेयरमैन सर, मेरा यह सुझाव है कि अपैक्स बैंक को तोड़ दिया जाए और जिले के को-आपरेटिव बैंक्स को केवल लौंग टर्म लोन के लिए रखा जाए। गांव में जो सोसाईटीज हैं जिनको पैक्स कहते हैं उनको रूरल बैंक्स बना दिया जाए। इसमें ट्रेंड लोग रखे जाएं जो किसान को 5 या 6 परसैंट पर कर्जा दें। नाबार्ड डायरैक्ट गांव के इस बैंक को 4 परसैंट पर पैसा दे और बैंक 5 या 6 परसैंट पर आगे किसान तथा खेतिहर मजदूर को कर्जा दे ताकि आज आपके बैंक्स जो ब्याज नॉर्मली चार्ज करते हैं उससे आधे ब्याज दर पर किसान को कर्जा मिल सके। सभापति महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राईवेट मनी लैण्डर्ज हैं, चाहे वे मण्डी के आढ़ती हैं चाहे कोई दूसरे लोग है, उन पर भी कुछ अंकुश होना चाहिए। आजकल गांवों में भी ऐसे लोग हैं जो ऊंची ब्याज दर पर गरीब आदमी और किसान को कर्जा देते हैं और शहरों में भी ऐसे लोग हैं जो आढ़तियों के अलावा कर्जा देते हैं लेकिन उन कर्जा देने वालों के लिए कोई कानून नहीं । उन पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है कि वे कितनी ऊंची ब्याज दर चार्ज करेंगे। वे 30-40 या 45 परसैंट तक ब्याज दर चार्ज करते हैं लेकिन उनके लिए कोई रूल्ज रैगुलेशन नहीं हैं, उनको कोई एकाउंट रखने की जरूरत नहीं, कोई रसीद देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की मर्जी है वे चाहे कुछ भी चार्ज करें जो कि गरीब आदमी और किसान के लिए आत्महत्या करने का मुख्य कारण हैं। सभापति महोदय, सरकार को कानून बना कर प्राईवेट मनी लैण्डर्ज को रैगुलेट करना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। किस किसान ने प्राईवेट मनी लैण्डर्ज से कितना कर्जा खेती करने के लिए लिया है उसकी एक कॉपी एक अधिकारी के पास हो जिसको केवल लिटीगेशन की सूरत में डिस्क्लोज किया जाए ताकि कर्ज की राशि को वह बढ़ा कर ज्यादा रकम वसूल न कर ले। इसके अतिरिक्त अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाए बिना मनी लैण्डिंग करता है, प्रोपर रसीद नहीं देता है, एकाउंट मेंनटेन नहीं करता है या जो जो उसने कर्जा दिया है उसकी कॉपी डिपोजिट नहीं करवाता तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए ताकि उसकी कोई उल्लंघना न कर सके। चेयरमैन सर, कर्ज की बीमारी ही किसान और गरीब आदमी की आत्म-हत्या और बुरी दशा का कारण है। आज एम०एस०डी० को बदल कर रिम्यूनरेटिव प्राईसिज दिए जाएं। चेयरमैन महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि किसानों को और खेतीहर मजदूरों को उसकी फसल का जो भाव बाजार में होता है उसको उस भाव से 15 से लेकर 20 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए ताकि वे अपने बच्चे पाल सकें और दोबारा से खेती में इन्वैस्ट कर सकें। चेयरमैन महोदय, आज जो नैशनल लैवल पर ऐग्रीकल्चर कॉस्ट प्राईस कमीशन है, उसको दोबारा से पुनर्गठित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बैठे हुए सारे के सारे आदमी किसान विरोधी हैं। उनमें कोई भी किसान का

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

आदमी नहीं है। वे गलत तरीके से भाव तय करते हैं और इस बारे में मेरे पास हरियाणा सरकार के कृषि डिपार्टमैंट के आंकड़े भी हैं। पिछले 10-15 सालों के आंकड़े हैं उनमें यह दर्शाया है कि किसान का एक क्विंटल जीरी, गेहूं या कपास पैदा करने में जो खर्चा हुआ था तो उसको उसकी एम०एस०डी० 100 या 200 रुपए कम दी गई थी। सभापति महोदय, आज इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। आज रैगुलेटरी प्राईस होना चाहिए, किसानों को उनकी फसल पर 15 से 20 प्रतिशत का मुनाफा दिया जाना चाहिए। रीजनल एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राईस कमीशन को दोबारा से मुकर्रर किया जाए। वहां पर किसान, किसान के हितैषी अधिकारियों और दूसरे जो प्राईवेट मैम्बर्ज हैं, वे उस कमिशन के मैम्बर्ज होने चाहिएं। अगर ऐसा होगा तो वे पूरी ईमानदारी से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से आंकड़े लेंगे, फील्ड से आंकड़े इक्ट्ठे करके किसानों की फसलों की प्राईस तय करेंगे। चेयरमैन महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्चर में इन्श्योरैंस का जो प्रावधान है, यह बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु इसमें जो ब्लाक यूनिट बना हुआ है, उसकी वजह से यह इन्श्योरैंस बिल्कुल ही बेमानी सी लगती है इससे किसानों को और गरीबों को कोई लाभ नहीं होता है। आज फसल में चाहे कीड़ा लग जाए, ओला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए या कोई दूसरी बीमारी फसलों को लग जाएं, उस बारे में फैसला करने के लिए ब्लॉक बने हुए हैं। चेयरमैन सर, आप गांवों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ओला पड़ता है तो यह एक लाईन में चलता है और यह एक फर्लांग, दो फर्लांग में या कई किलोमीटर तक पड़ता चला जाता है। इस वजह से दो चार गांव बीच में आ जाएंगे और एक ब्लाक एक तरफ छूट जाएगा। इस वजह से जिसका नुक्सान हुआ है उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इस वजह से ब्लाक की कॉस्ट नहीं घटेगी। चेयरमैन महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि गांव को यूनिट मान लिया जाए और गांव को ही यूनिट मानकर इन्श्योरैंस की जाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमैंट का बड़ा भारी योगदान हो सकता है। चेयरमैन महोदय, आज किसान और खेतीहर मजदूर के पिछड़ेपन का कारण अनपढ़ता, उसकी बहुत बुरी सामाजिक और आर्थिक दशा, उसके गांव का वातावरण है। आज कोई किसान या किसान का बेटा, दुनिया के नए अविष्कार जो खेती करने के हैं, जो नए तरीके हैं, वह उनको इसलिए नहीं अपना सकता है क्योंकि उनको अपनाने के लिए उनके पास वैसी सहूलियतें नहीं हैं। हमें अपने किसानों को वे सब सहूलियतें उपलब्ध करवानी चाहिएं। आज जो भारत सरकार मजबूरी में बाहर से गेहूं और दूसरा अनाज मंगवा रही है, यह बहुत ही अफसोस की बात है। मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार के कृषिमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आज भी देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। आज हरियाणा, पंजाब और दूसरे इलाकों में गेहूं की कोई कमी नहीं है। लोगों ने उसकी होर्डिंग की हुई है। चेयरमैन महोदय, आज मैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस बारे में निर्देश हैं कि सारे का सारा अनाज जो होर्डर्ज़ ने मुनाफाखोरी के लिए दबा लिया है, वहां पर छापे मारे जाएं। उस अनाज को बाहर निकलवाया जाए। होर्डर्ज उस अनाज की ट्रेडिंग करते हैं। जिसकी वजह से गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को अनाज नहीं मिलता है। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिलते हैं जितना उसने खर्च कर रखा होता है। अगर जो अनाज की होर्डिंग हुई है, वह बाहर आ जाए तो केन्द्र की सरकार को बाहर से अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

डा० सुशील इन्दौरा (एस०सी०, ऐलनाबाद) : चेयरमैन सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चेयरमैन सर, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। माननीय सुरजेवाला जी ने भी कुछ मामलों में बहुत अच्छी बातें कहीं है कि जब तक इस प्रदेश के किसान को कोई सुविधा नहीं दी जाती तब तक इस प्रदेश का किसान पिछड़ता ही जाएगा। इस प्रदेश के किसान का जो लागत मूल्य है जब तक उसको कम करके उसकी पैदावार को बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा तब तक हम न प्रदेश का और न ही देश का भला कर सकते हैं। चेयरमैन सर, मैं इस मामले में सर छोटू राम जी को याद करते हुए कहना चाहूंगा कि सर छोटू राम जी को किसान हितेषी होने के कारण ही युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने भी किसानों के हितों के लिए हमेशा ही लम्बी लड़ाई लड़ी थी और उनके हकों को बचाने का काम किया था। इसी तरह से चौधरी देवीलाल जी को अगर आज यह सदन याद करे तो यह बहुत अच्छा होगा। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं राजनीति में आया था तो मेरे दिल में उनके लिए बड़ा आदर था। चेयरमैन सर, आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का किसान चौधरी देवीलाल जी को किसान हितेषी होने के कारण आदर की दृष्टि से देखता है। चेयरमैन सर, उस समय भी जब यह कहा गया था कि किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है क्योंकि उसकी फसल का लागत मूल्य ज्यादा है तो चौधरी देवीलाल जी ने उस वक्त भी दस-दस हजार रुपये तक के कर्जे किसानों के माफ किए थे। यह एक रिकार्ड की बात है। इसके बाद जब चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधान मंत्री बनकर केन्द्र में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने खुलकर कहा था कि मेरे खजाने के मुंह किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। वहां पर भी रहकर उन्होंने कहा कि कर्जे माफ करेंगे और कर्जे माफ किए भी।

श्री सभापति : लेकिन उन्होंने कर्जे माफ किए तो नहीं।

डा० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, यह रिकार्ड की बात है उन्होंने उस वक्त कर्जे माफ किये हैं। किसान के हितैषी होने का दावा करने वाली वर्तमान इस सरकार का मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा । केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भी कांग्रेस की ही सरकार है। चेयरमैन सर, हरियाणा में शूगर केन बोर्ड भी है लेकिन जब केन्द्र की कांग्रेस सरकार गन्ने का 75 पैसे प्रति क्विंटल रेट बढ़ाती है तो यह बहुत ही अफसोसजनक बात है।

श्री सभापति : इंदौरा साहब, हरियाणा सरकार ने जितना गन्ने का रेट बढ़ाया है उतना रेट आज हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है।

डा० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, केन्द्र की सरकार ने 75 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाया है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : चेयरमैन साहब, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 135 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। इनकी सरकार ने 90 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव दिया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 135 रुपये प्रति क्विंटल का भाव गन्ने का दिया है जोकि हरियाणा के इतिहास में एक रिकार्ड है।

श्री सभापति : इंदौरा साहब, एक बार में इतना गन्ने का रेट कभी भी नहीं बढ़ा है।आप हरियाणा प्रदेश में रहे हो इसलिए आप हरियाणा की बात ही करें।

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : चेयरमैन सर, मैंने एक प्रार्थना करनी है। पिछले पांच सालों में इन्होंने गन्ने का रेट सिर्फ सात रुपये ही बढ़ाया था। जबकि हुड्डा साहब की सरकार ने पहले साल ही 17 रुपये प्रति क्विंटल का रेट किसानों को गन्ने का दिया है। इतना रेट आज तक हिन्दुस्तान में एकदम से किसी ने नहीं बढ़ाया है। चेयरमैन सर, इनके वक्त की गन्ने की पैमेंट भी हुड्डा साहब ने करवायी है।

डा० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मैं कह रहा था कि अगर 75 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट बढाया जाएगा तो किसान की हालत कैसे सुधरेगी ? यह तो किसानों के साथ एक मजाक ही है। इसी तरह से आप चीनी के भाव देखिए। कहां तो ये 9 रुपये किलो थे और कहां आज ये 9 रुपये किलो से 22 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। इस तरह से आज केन्द्र की सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। चेयरमैन सर, हरियाणा प्रदेश में सात सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा गया लेकिन आज आटे का क्या भाव है ? 13 और 14 रुपये किलो आटे का भाव है। क्या यह फायदा किसानों को नहीं दिया जाना चाहिए था ? आज केन्द्र की सरकार विदेशों से हजार-हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं मंगाती हैं तो क्या वह हजार रुपये किसानों को नहीं दिए जा सकते थे ? किसान आज कर्ज के नीचे दबा हुआ है। 1987 में जब दस दस हजार रुपये के कर्जे चौधरी देवीलाल जी ने माफ किए थे। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, वह कर्जा मात्र 28 करोड़ रुपये की राशि का माफ किया था जिसका इन्होंने ढिंढोरा पीटकर सारे हरियाणा प्रदेश का इन्होंने राज ले लिया था। हमने 1700 करोड़ रुपये के बिजली के बिल जो कि ये साथी मुफ्त बिजली पानी देने का वायदा करके छोड़कर गए थे उनको एकमुश्त माफ किया है। ऐसा ऐतिहासिक फैसला आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है।

श्री सभापति : मानते तो ये भी हैं लेकिन बोलने में मजबूर हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : ये बताएं कि उन 28 करोड़ रुपयों की राशि से कितने लोगों को लाभ हुआ है।

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा): सभापति महोदय, मैं इनकी व सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने टेकओवर किया तब गेहूं का उत्पादन 41 लाख टन था, नैक्सट ईयर यह 40.5 लाख टन हो गया उससे अगले साल 40 लाख टन हो गया और जब ये गए तो 39 लाख टन रह गया। सवा दो लाख टन उत्पादन गेहूं का कम करके गए, जो आज गेहूं की बात करते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, किसान हितैषी होने का दावा करने वाली यह सरकार है और हरियाणा प्रदेश का जो मुख्य मुद्दा था वह आज तक किसी की जुबान पर नहीं आया कि केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और डेढ़ साल की इस अवधि में एस०वाई०एल० को पूरा किया जा सकता था। हरियाणा प्रदेश का हर किसान यह मानता है कि एस०वाई०एल० हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नया विवाद हांसी बुटाना ब्रांच का खड़ा कर दिया है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सभापति महोदय, आपकी और इंदौरा साहब की अनुमति से मैं बोलना चाहता हूं। इस सदन में लिखा है कि जो कुछ हम कहें, सही कहें, गलत बात न कहें। गलत बात कहने से आदमी पाप का भागी बन जाता है। आज तो छात्र भी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, अगली पीढ़ी भी यहां मौजूद हैं। (शोर) इंदौरा साहब, जो यहां सदन के पटल पर लिखा है मैं तो उसी को पढ़ रहा हूं इससे आप क्यों इतने विचलित हो जाते हैं। सभापति महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० के पानी का जो हिस्सा हरियाणा को बार-बार जब मिला तो वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कलम से मिला, चाहे वह 1978 का अवार्ड हो, चाहे राजीव गांधी-लौंगोवाल समझौता हो, चाहे इराड़ी कमीशन के गठन की बात हो। इराडी कमीशन जब यहां आया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने उनको काले झंडे दिखाये थे। इराडी कमीशन को साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था, उस इराडी कमीशन को जिसने हरियाणा प्रदेश को 3.85 एम०ए०एफ० पानी दिया। 1987 में इनकी सरकार आई। 1987 से 1991 तक इन्होंने उप-प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। सरकार इनकी रही, पंजाब में इनके लगाये हुए गवर्नर रहे। इस सब के बावजूद एस०वाई०एल० का पानी यहां नहीं आया। इन्होंने तो मुकदमें का क्रियान्वयन करने का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। पंजाब की विधान सभा द्वारा पारित उस कानून में आपके बादल साहब भी उस समय वोटर थे और उस कानून को निरस्त करने का श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का फैसला था। चेयरमैन सर, अनप्रेसीडैंटिड बात यह है कि दो स्टेट का डिस्प्यूट हो तो केन्द्र की सरकार इन्टरवीन करे कि यह किस कारण से निरस्त किया है। परन्तु उसके बावजूद केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन के लिए भेजा कि क्या यह कानून वैद्य है। उसके बाद जल्दी ही फैसला आयेगा और हमारा पूरा अधिकार हमको मिलेगा। हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी लगातार पैरवी कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी ने यहां पर एस०वाई०एल० नहर के बारे में चर्चा की है। मैं समझता हूं कि उनके मुंह से एस०वाई०एल० नहर के बारे में ऐसी चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। इसमें कोई दो राय नहीं कि एस०वाई०एल० नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। इस मुद्दे पर राजनैतिक रोटियां सेंकी गई हैं और लोगों को गुमराह किया गया है। आज ऐसा समय आ गया है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। एस०वाई०एल० नहर के बनने में विलम्ब किसने किया, विपक्ष के साथियों ने किया, एस०वाई०एल० नहर को बनाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने कपूरी गांव में आकर फैसला हरियाणा के हित में किया था। एस०वाई०एल० नहर के बारे में एवार्ड श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने दिया था। जब इसके बारे में मुद्दा फंसा तो राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ। फिर भी आज एस०वाई०एल० नहर हरियाणा की जीवन रेखा है और उसके बनने में बड़ा विलम्ब हुआ है उसके विलम्ब के लिए कौन दोषी हैं ? मैं ऑन दि फलौर ऑफ दि हाऊस यह कहता हूं कि उसके लिए पूर्ण रूप से आज की इनैलो पार्टी और उस समय की वह पार्टी जिसके अध्यक्ष चौधरी देवीलाल जी थे और बी०जे०पी० पार्टी दोषी हैं ? यह मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत सालों के बाद मुकदमा लड़ने के बाद हरियाणा के हित में फैसला करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। विलम्ब का आधार सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है उस विलम्ब का आधार सुप्रीम कोर्ट ने इन्दिरा गान्धी एवार्ड और राजीव-लौंगोवाल समझौते का जो विरोध किया था, उस को माना है और राजीव-लौंगोवाल समझौते को विरोध किसने किया था। यह बात सब को

मालूम है कि इस समझौते के विरोध में न्याय-युद्ध के नाम पर चौधरी देवीलाल, ओमप्रकाश चौटाला और डा० मंगलसैन जी ने विधान सभा की सदस्यता से अपने इस्तीफे दिए थे। न्याय-युद्ध चलाकर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया और कहा कि चण्डीगढ़ चलो। एस०वाई०एल० नहर को खुदवाने के विलम्ब के लिए आज की इनैलो और बी०जे०पी० पार्टियां दोषी हैं। कृपा करके आप इस बात को न उठाओ और उस कहावत को चरितार्थ न करो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एस०वाई०एल० नहर के न बनने के लिए सबसे बड़े दोषी चौधरी देवीलाल, ओमप्रकाश चौटाला है क्योंकि उन्होंने ही राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव-लौगोवाल समझौते को मानकर ही फैसला दिया है और उस पर आज ये घी के दिए जलाने लग रहे हैं। अगर उस समय राजीव-लौंगोवाल समझौता लागू कर दिया होता तो आज एस०वाई०एल० नहर बन जाती ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : माननीय चेयरमैन सर, आप तो सदन की चेयर पर बैठे है उस चेयर का तो ध्यान करो। मैं एक बात खुले-तौर पर कहना चाहता हूं। सदन के नेता बैठे हुए हैं इसलिए सदन का समय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि लम्बा सैशन चलायेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं होंगी उनके बारे में सदन में चर्चा करेंगे। मैं आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इराडी कमीशन और राजीव-लौंगोवाल समझौते पर खुली चर्चा सदन में करवायें तो पता जल जायेगा कि कौन कितने पानी में है। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए सदैव लड़ाई लड़ी न कि किसी चीज के विरोध में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया इसलिए आज चौधरी देवीलाल जी को पूजनीय कहा जाता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्दौरा साहब एक बात का जवाब दे दें कि क्या चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने राजीव-लौंगोवाल समझौते का बॉयकाट नहीं किया था और विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था या नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि चौधरी देवीलाल जी आज स्वर्ग में हैं उनकी चर्चा का विषय यहां नहीं है जो आदमी दुनिया में ही नहीं है। वे हमारे बुजुर्ग और पूजनीय हैं। मैंने सिर्फ यह चर्चा की थी कि चौधरी देवीलाल जी की पार्टी ने उस समय राजीव-लौंगोवाल समझौते के विरोध में न्याय-युद्ध चलाया था। किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा मैंने नहीं की है। वे आज स्वर्ग में हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी चर्चा न की जाए। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसकी यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) ये अगर उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सी बातें खुल जाएंगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो आदमी यहां नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने खुद कस्सी चलाकर एस०वाई०एल० कैनाल की शुरूआत की (इस समय मेजें थपथपाई गई) मैं इस बात को मानता हूं लेकिन उसमें अड़चने डालने का काम किसने किया, उसमें अड़चने डालने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। कहीं न कहीं कोई अड़चन डाली, आज तो यू०पी०ए० की सरकार है और उसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी है फिर एस०वाई०एल० कैनाल बनाने में क्या अड़चन है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इन्दौरा जी, चर्चा की बात नहीं है आप एक सवाल का जवाब हां में या न में दे वही जवाब फैसला कर देगा कि राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया। सभापति महोदय, ये हां या न में बता दें तो पता लग जाएगा। राजीव लौंगोवाल समझौते में क्या फैसला था, उस का फैसला यह था कि एस०वाई०एल० नहर को पूरा किया जाए और उसका पानी हरियाणा को दिया जाए। उसका विरोध किसने किया हां या न में इनका जवाब आ जाए।

डा० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, राजीव लौंगोवाल समझौते की जहां तक बात है हरियाणा के हितों को गिरवी रखकर अगर कोई सरकार फैसला करती है तो उसके लिए ही न्याय युद्ध लड़ने का काम चौ० देवीलाल जी ने किया था और वह लड़ाई उस वक्त समय की मांग थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, इसका मतलब इराडी कमीशन जिसने 3.85 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को दिया, उसको हरियाणा के हितों को गिरवी रखना कहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, हरियाणा के हितों को गिरवी रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया जिसका खामियाजा आज हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है।

चौ० हर्ष कुमार : सभापति महोदय, जहां तक एस०वाई०एल० नहर का सवाल है इसका सबको पता है कि किसने कितना काम किया लेकिन इन्होंने न्याय युद्ध की बात भी की, इलैक्शन से पहले इनको सारी चीजें याद आती है और उसके बाद में कुछ याद नहीं आता। लेकिन अब इनके नेता यू०एस०ए० से आ रहे हैं। शायद उन्होंने अपनी गलतियों का कोई प्रायश्चित कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाए।

श्री सभापति : आप इन्दौरा जी के बाद बोल लेना।

चौ० हर्ष कुमार : सभापति महोदय, जैसा प्रचार है कि 25 तारीख को महम में बहुत बड़ी रैली चौ० ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं और उसमें फलां-फलां नेता आ रहे हैं। इनकी पार्टी ने और इनके नेता ने शायद अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : हर्ष कुमार जी, आप बैठिए। इन्दौरा जी, आप कंटीन्यू करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, महम में सरदार प्रकाश सिंह बादल को भी आमंत्रित किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) इस बात को ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Sushil Indora : Mr. Chairperson Sir, I seek your protection. सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए सदन में व्यवस्था बनवाए रखें।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आपका 2 मिनट का समय बाकी है।

डा० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, जहां तक किसानों की बात है तो शिमला अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया कि कांग्रेस का हाथ गरीब

[डा० सुशील इन्दौरा]

किसान। पिछले दिनों का इतिहास उठाकर देखें कि गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनने का काम किसने किया, यू०पी०ए० की सरकार ने किया और उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज हरियाणा सरकार कर रही है। आटे दाल के भाव का पता किसने करवाया, कांग्रेस की सरकार ने करवाया। जो गरीब आदमी सारा दिन मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए शाम को आटे की दुकान पर आटा खरीदने जाता है तो उसको आटा 13 रुपये या 15 रुपये प्रति किलो मिलता है। जबकि पिछली सरकारों के समय में वही आटा 6-7 रुपये किलो के हिसाब से मिलता था। चीनी और गुड़ आज आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उनके भाव भी बढ़ा दिए गए। सभापति महोदय, पहले गैस का सिलेण्डर 150 रुपये में सड़कों पर भी मिल जाता था लेकिन आज 450 रुपये में भी नहीं मिलता । जब से यू०पी०ए० सरकार केन्द्र में आई है तब से हर उन वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं जो आम आदमी यूज करते हैं। चाहे डीजल की बात हो या कैरोसीन ऑयल की बात हो। हमें पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बहादुर हैं। हम सोचते थे कि केन्द्र सरकार ने जब डीजल के भाव बढ़ाये तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोनिया जी से बात करेंगे। लेकिन इन्होंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की । चार-चार बार डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाये गये हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार केन्द्र से गई और एन०डी०ए० की सरकार बनी थी उस समय राशन कार्ड द्वारा मिट्टी का तेल दो रुपये लीटर मिलता था लेकिन पांच सालों में एन०डी०ए० की सरकार ने उसका भाव बढ़ाकर 10 रुपये लीटर कर दिया था। वह सरकार आज जो विपक्ष के साथी हैं इनके पांच सांसदों पर टिकी हुई थी और पांच साल तक चली भी थी लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय कच्चा तेल 32 डालर प्रति बैरल था और आज 80 डालर प्रति बैरल है लेकिन श्रीमति सोनिया गांधी और डा० मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यू०पी०ए० सरकार ने एक पैसा भी गरीब आदमी के और गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के नहीं बढ़ाये। जहां तक मेरे साथी गैस सिलेण्डर की बात कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा कि 167 रुपये प्रति गैस सिलेण्डर एन०डी०ए० की सरकार ने बढ़ाये थे जो सरकार इनके पांच सांसदों से चल रही थी। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं एक बात और सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि यूरिया के दाम 133 से 242 रुपये प्रति बैग एन०डी०ए० की सरकार ने बढ़ाये थे। अजय चौटाला उस समय संसद के अंदर थे उसने एक शब्द भी नहीं कहा। डी०ए०पी० के रेट उस समय 100 रुपये प्रति बैग बढ़ाये गये उस समय इन्होंने वाजपयी सरकार से समर्थन वापिस क्यों नहीं लिया। क्या इन बातों का इनके पास कोई जवाब है ? (विघ्न)

चौ० अरजन सिंह : सभापति महोदय, (विघ्न)

प्रो० छत्तरपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सभापति : अरजन सिंह जी, आप उधर न देखें और अपनी बात जारी रखें। (विघ्न) Please address the Chair. (Interruptions)

चौ० अरजन सिंह : सभापति महोदय, आप इनको भी तो कोई आर्डर करें। (विघ्न)

श्री सभापति : आप उस सरफ मत देखें और उन लोगों से कोई बात न करें । (विघ्न) आप सीधे देखें और चेयर को एड्रैस करें। (विघ्न)

चौ० अरजन सिंह (छछरोली) : सभापति महोदय, ये लोग अपनी कमियां छिपाने के लिए बार-बार बीच में बोल रहे हैं ताकि इनकी अपनी कमियां लोगों के सामने न आ जाएं। यहां पर जो कुछ हो रहा है वह सारा हाउस देख रहा है और इसके साथ ही इन की सब बातों पर पूरे हरियाणा की नजरें लगी हुई हैं। ऐसे-ऐसे कारनामें इन लोगों ने किए हैं जिनका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। इस बारगी तो इनके साढ़े आठ मैम्बर्ज ही हैं अगली बार तो इनका एक भी मैम्बर नहीं रहना है। सभापति महोदय, आप इनकी बात का बिल्कुल कोई यकीन न करें क्योंकि जो यह लोग सोचते हैं कि यह सरकार भी इनकी तरह से काम करें इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। (विघ्न) सभापति महोदय, यहां पर गन्ने के भाव के बारे में बताया गया है इलैक्शन के वक्त इन लोगों को वोट चाहिएं थे इसलिए उस वक्त तो इनकी सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ा दिया उसके बाद तीन साल तक इनको किसान याद नहीं आया । तीन साल काम करके इन लोगों ने किसानों को लूटने का काम किया । (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, * * * * ** * * *

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : सभापति महोदय, * * * * * * * * *

श्री सभापति : बीच में जो लोग बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड नहीं करनी है। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, माननीय अरजन सिंह जी बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य और प्रतिनिधि हैं और विपक्ष के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। (विघ्न एवं शोर) इन लोगों को चाहिए कि विपक्ष के दूसरे साथियों को भी बोलने का मौका दें।

चौ० अरजन सिंह : चेयरमैन साहब, जो बात मुझे कहनी थी इनकी बातों के बीच में वह भी मुझे याद नहीं रही क्योंकि ये लोग बीच-बीच में टोका टाकी कर रहे हैं (विघ्न एवं शोर) सभापति महोदय, मैं तो सच्ची बात ही यहां पर कहना चाहता हूं क्योंकि न तो सत्तापक्ष के लोग मेरे कुछ लगते हैं और न ही ये लोग मेरे कुछ लगते हैं। मैं तो बीच का आदमी हूं इसलिए जो बातें फ्रन्ट पर हैं और जो ग्राउण्ड की बातें हैं मैं वही बातें कहूंगा। यह सरकार बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी सरकार है इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के बहुत ही अच्छे जो काम हो रहे हैं मैं उनके बारे में यहां पर हाउस में बताना चाहता हूं। मेरे पास वे शब्द भी नहीं हैं जिनसे मैं इस सरकार की तारीफ कर सकूं। सभापति महोदय, पिछली सरकार के वक्त में हमारा कोई काम नहीं होता था। हमारा तो सारा हल्का पानी में डूब लिया होता। मैं दिल्ली में माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला था और उनसे यह कहा था कि इस बार मेरे 30 गांव पानी की वजह से डूब रहे हैं तो ये कहने लगे कि पिछली सरकार के वक्त इस बाबत क्यों नहीं रोये तो मैंने इन्हें बताया कि रोने में तो कोई कसर नहीं रखी थी पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी अगर आप भी नहीं सुनना चाहते हैं तो आप भी न सुनें। इसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसके बारे में इन्क्वायरी की. यह रिकार्ड की बात है कि इस बार पिछली बार की बजाए दुगना पानी आया जिसके कारण मेरे हल्के के कम से कम 50 गांव बर्बाद होने थे लेकिन वर्तमान सरकार ने टाईम बाउंड काम करवाया (विघ्न एवं शोर) सभापति महोदय, आप इन लोगों पर कोई न कोई लगाम जरूर लगाएं (विघ्न एवं शोर) इनका यह कोई सिस्टम नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री सभापति : अरजन सिंह जी, आप इनकी किसी बात की तरफ ध्यान न दें और आप चेयर को एड्रैस करें। (विघ्न एवं शोर) डा० साहब आप बैठिए। (विघ्न एवं शोर)

चौ० अरजन सिंह : चेयरमैन साहब, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता था लेकिन ये लोग बीच में टीका-टिप्पणी कर रहे हैं (विघ्न एवं शोर) मैं सरकार की अच्छाई के गीत नहीं गाता जो अच्छी और सच्ची बात है वह कहनी चाहिए वही सच्चाई मैं यहां पर कह रहा हूं। ये लोग अगर यहां पर कोई सही बात करें तभी जनता के बीच जा कर कोई बात कह सकेंगे। ये लोग बीच में टीका-टिप्पणी कर रहे हैं और सही कामों को भी गलत बता रहे हैं लेकिन सभी लोग इनकी सारी बातों को समझ रहे हैं । इनके कामों का रिजल्ट पिछली बार जनता ने दे दिया था और लोगों की समझदारी के कारण ही वह रिजल्ट आया था। अगर यह सरकार भी गलत काम करेगी तो इसका हश्र भी वैसा ही होगा (विघ्न एवं शोर) कौन किस के बारे में सही बात कह रहा है अगर ये गलत करेंगे तो मैं इनकी गलत बातों को भी कहूंगा लेकिन जो सच्ची बात है वह कहनी चाहिए। अगर ये लोग सही बात को सही बताएंगे और सरकार के सही काम को सही कहेंगे तो लोग इनकी बात को सुनेंगे। सरकार ने जो बढ़िया काम किये हैं इनको चाहिए कि उन कामों को ठीक कहें। अगर इस प्रकार से बीच में टोका-टाकी करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे तो लोग खुद समझ जाएंगे कि इन लोगों ने क्या किया है। (विघ्न एवं शोर) इस सरकार ने जो बढ़िया काम किए हैं। उन कामों को भी ये लोग गलत बता रहे हैं। मेरे कहने का यह भाव है कि सरकार ने जो बढ़िया काम किए हैं और अच्छी नीयत से अच्छे काम किए हैं उनकी बाबात मैं यहां पर बता रहा हूं। हमारे कैप्टन साहब ने मेरे हल्के में दो बार दौरा किया। हमें यह उम्मीद भी नहीं थी कि यह काम होगा इसके बावजूद भी इन्होंने जाकर अधिकारियों को आदेश दिये कि जहां जरूरत है वहाँ वहाँ बांध लगाएं । हमारे कहने पर इन्होंने यहां पर जा कर सारी स्थिति देखी और काम करवाया जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आफिसर्ज ने रिकार्ड टाईम में इस काम को किया है। इस सरकार के आने से पहले की सरकारों में जितने भी काम होते थे। चाहे वह कांग्रेस पार्टी की, इनैलो की या दूसरी पार्टी की सरकारें थीं, कोई भी काम समय पर शुरू नहीं होता था, काम पैण्डिंग ही रहते थे, जिसकी वजह से जितने का काम होता था उससे ज्यादा का तो नुक्सान हो जाता था। (विघ्न) सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से एक और अनुरोध है। मेरा क्षेत्र यू०पी० बार्डर के साथ साथ लगता है तो जिस तरह से एक पटरी यू०पी० सरकार ने यू०पी० में बनवाई है उसी तरह से एक पटरी हमारे यहां पर भी बनवा दी जाए। सभापति महोदय, अगर ऐसा होगा तो आगे आने वाले समय में भारी तबाही से बचा जा सकता है और लोगों को इसकी वजह से बहुत लाभ होगा। सभापति महोदय, एक नदी मेरे एरिया में पड़ती है और वही नदी सढ़ौरा जी के एरिया में से भी गुजरती है। (विघ्न) बलवंत सिंह जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं आप सोच रहे हों कि आप पिछली सरकार की कारगुजारी से यहां पर आए हो तो यह बिल्कुल गलत है। अगर पिछली सरकार की कारगुजारी देखते तो आप में से एक भी यहां पर नहीं आता। आप यहां पर आए हो तो अपने दम पर अपने अच्छे कामों की वजह से ही आए हो। मैं भी यहां पर पहली बार अपने रसूख की वजह से आया हूं क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ था उनके दु:ख सुख में काम आता था और हर समय उनके साथ खड़ा रहता था चाहे वह कोई भी मामला हो। सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में गन्ने की जो दुर्गति हुई इस बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय मण्डियों में से अनाज नहीं उठा था। मण्डियों में अनाज की रखवाली के लिए 3-4 आदमी

रोज पहरा दिया करते थे। मैं भी भण्डियों में पहरा दिया करता था और वहां पर रात को मच्छरों ने काट काट कर हमारा बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। (विघ्न)

श्री सभापति : मेरी सभी मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट है कि अरजन सिंह जी को बोलने दें, उनको बीच में डिस्टर्ब न करें।

चौ० अरजन सिंह : सभापति महोदय, पलाका जी ने कहा है कि आटे का यहां पर क्या भाव है। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि आटा तो महंगा भी खरीदा जा सकता है अगर दिहाड़ीदार को दिहाड़ी मिल जाए। पिछली सरकार तो दिहाड़ी भी नहीं देती थी। सवा-सवा रुपए बोरियों का रेट लगाकर के 50-50 पैसे किसानों को दिए जाते थे। सभापति महोदय, आज पापुलर का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल तक चला गया है लेकिन पिछली सरकार के वक्त में पापुलर को 150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर भी किसी ने नहीं खरीदा था। (विघ्न) सभापति महोदय, यह मैं बढ़िया पापुलर की बात कर रहा हूं। जहां तक सड़कों की बात है तो हमने पहली बार देखा है कि सड़कों पर मरम्मत का काम हुआ है। इस सरकार से पहले वाली सरकार पांच साल राज कर गई लेकिन मेरे हल्के में एक भी सड़क का खड्डा मुंदया नहीं गया था, कहीं और मुंदया गया हो तो उस बारे में मुझे पता नहीं है। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। अगर ये बढ़िया काम करते तो ये बढ़िया रिजल्ट लेकर आते। इन्होंने जैसा काम किया था वैसा ही जनता ने इनको रिजल्ट दिया है। इसमें किसी को कुछ कहने वाली बात नहीं है। अगर यह सरकार भी अच्छा काम करेगी तो इनको जनता अच्छा रिजल्ट ही देगी। मुख्यमंत्री जी, ये जो मेरे साथी है ये कुछ भी कहें इनकी एक भी न मानना वरना आपको आने वाले समय मुश्किल हो जाएगी। (हंसी) मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे यही कहता हूं कि जैसी अच्छी आत्मा आपकी है आप उसी के अनुसार काम करते रहना, भगवान आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। सभापति महोदय, ज्यादा न कहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से एक मांग करना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न काल में एक प्रश्न लगा था लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई थी इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे हल्के में एक कालेज जरूर बनवाया जाए। हम अनपढ़ लोग हैं और इस प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे यहां के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छी तरह से बोलना चालना आ जाएगा। सर, अगर स्टेट की बाऊंडरी अच्छी होगी तभी बाहर के लोग स्टेट की तरफ आकर्षित होंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदय, छछरौली में हमने एक कालेज बनाने की कह रखी है और हम इसको अगले साल बनवाएंगे। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

प्रो० छत्तर पाल सिंह (घिराय) : स्पीकर सर, जब पोलिटिकल पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं रहता है तो वे किसी ने किसी मुद्दे की तलाश में रहती हैं। वे पार्टियां उस मुद्दे को प्रोवोक करके लोगों को अपने साथ लगाने का प्रयास करती हैं। अध्यक्ष महोदय, सुशील इन्दौरा जी की बातों से यह लग रहा था कि उनका अब कांग्रेस में आने का विचार हो। वे कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे थे कि इन्दिरा गांधी जी ने एस०वाई०एल० बनवाई है, इसके अलावा और भी बातें इन्होंने कहीं है। जब से इण्डियन नैशनल लोक दल की सरकार गई है तब से ये लोगों के अन्दर झांक रहे हैं कि कब ये उनके साथ खड़े होंगे और वे अपनी बात उनसे कह सकें। स्पीकर सर, जिस रैली का यहां पर जिक्र किया जा रहा था कि एक रैली इनके द्वारा की जा रही है और उस रैली में किस तरह

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

से लोगों को बुलाएं, खासकर के इस बारे में बड़ा भारी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बहुत ही मुश्किल में हैं क्योंकि इनको सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा बोलने के लिए नहीं मिल रहा है। अब अन्दर ही अन्दर इनके कार्यकर्त्ता पूरे हरियाणा में एक बात का प्रचार करते घूम रहे हैं कि उस रैली के अंदर ओम प्रकाश चौटाला आपको फुटबाल खेलकर दिखाएंगे ताकि हरियाणा की जनता को आकर्षित किया जा सके। जनता को कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला अब बहुत अच्छी फुटबाल खेल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के ड्रामें से हरियाणा की जनता को बचाना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष एक दो सुझाव रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा में मिनी बैंकस हैं या कोओपरेटिव बैंक्स हैं उनके बारे में एक मुहिम प्रदेश के अंदर चली हुई है कि मिनी बैंकस या कोओपरेटिव बैंक्स का जो दायरा है उस दायरे को बढ़ाकर सोसायटीज को खत्म किया जा रहा है जिसके कारण इस बात को लेकर हरियाणा के लोगों में बड़ी भारी चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोओपरेटिव मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी कोओपरेटिव सोसायटीज पहले गांवों में हुआ करती थीं उनको मेहरबानी करके उतनी ही रखा जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर उनको कम किया जाएगा तो ऐसा करने से लोगों को पैदल चलकर जाने में या अन्य साधनों से दूसरी जगह तक जाने में दिक्कत होगी इसलिए इन सोसायटीज को उतने का उतना ही रखना चाहिए, जितनी वे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में दि हरियाणा रिलीफ आफ ऐग्रीकल्चरल (अमैंडमैंट) इनडैब्टनैस प्राईवेट बिल, 2006 प्रस्तुत किया था लेकिन चूंकि आपने उसको अंडर कंसीडरेशन रखा हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां सरकार और अच्छे काम कर रही है। वहां सरकार का यह कार्य भी किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि जहां पर कोओपरेटिव बैंक्स शौर्ट टर्म के लोन देते हैं तो जो मूलधन की राशि है उससे ज्यादा ब्याज लोगों से नहीं लेने का प्रावधान इसमें है लेकिन लौंग टर्म के जो लोन दिए जाते हैं उनमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जितने लौंग टर्म के लोन है उनमें मूलधन की राशि से ज्यादा ब्याज की राशि नहीं होगी। मैं आपके-माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दे कि जो कोओपरेटिव बैंक्स और नेशनेलाइज बैंक्स प्रदेश के अंदर किसानों को कर्जा देते हैं वे लौंग टर्म के लोन पर मूलधन की राशि से ज्यादा ब्याज की राशि नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक अमैंडमैंट बिल विधान सभा में लाया जाए और यदि अभी ऐसा न हो सके तो आर्डीनैंस के जरिए सरकार ऐसा करे। स्पीकर साहब, मैं धान और गेहूं की फसलों का चक्र बदलने के बारे में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि जहां पंजाब और पूरे देश की सरकारों द्वारा फसल चक्र में बदलाव लाने के लिए अखबारों में बार -बार विज्ञापन दिए गए वहीं पहली मर्तबा इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास इस बारे में किया कि पहले जो साठी करनाल और उसके आसपास के एरियाज में बोई जाती थी और जिसकी वजह से धरती के अंदर का जो पानी है उसके ऊपर एक विपरीत असर पड़ रहा था लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना कानून में बदलाव लाए लोगों को समझाबुझाकर उस साठी को बोने से रोका और प्रदेश के लिए एक अच्छा काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में केवल एक सुझाव यह है कि फसल चक्र में बदलाव के लिए सरकार को और भी मजबूती से प्रयास करना चाहिए। जो धान है उसकी बोआई को रोकने

के लिए प्रदेश सरकार को और मुस्तैदी से कदम उठाने चाहिए वरना जैसे हमारा फरीदाबाद जिला है या मेवात का जिला है वहां के किसानों को दिक्कत आ जाएगी । अध्यक्ष महोदय, आज वहां के किसान अनजाने में धान को बोते हैं लेकिन बारिश न होने की स्थिति में या बिजली न होने की वजह से या फिर नहरों में पानी न होने की वजह से वे धरती से पानी निकालकर धान लगाने और उसको बचाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे भी पालने होते हैं। इसलिए वहां पर अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध मानवता के प्रति होने लग रहा है। इस कारण गांवों में कम बारिश होने की वजह से धरती के अंदर जो मीठे पानी की बैल्ट है वह समाप्त होती जा रही है। सरकार इसमें कोई कानून बनाए या सरकार ने जैसे साठी को बोने से रोकने के लिए प्रयास किया है, ऐसा कोई प्रयास करे। जैसे पंजाब की सरकार ने बाकायदा उन्होंने अखबारों के माध्यम से, जनसेवाओं के माध्यम से यह सोचने की कोशिश की है कि धान की फसल में सारा परिवार लगा रहता है। उसमें जितनी कीटनाशक दवाइयां, खाद आदि डाले जाते हैं और बिजली के माध्यम से उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। उस सबकी वजह से वह घाटे की फसल साबित होती जा रही है। वास्तव में जहां बारिश 1500 मिलीमीटर से अधिक हो वहां धान की फसल बोई जानी चाहिए। हरियाणा में 250 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके लिए हमें अपने यहां किसानों को राजी करना चाहिए। जैसे पंजाब में एस०एस० जोल ने अखबारों में लेख लिखे हैं और उनके मार्फत समझाया है। चाहे इसी तरह से समझाया जाए और इस राह पर चलकर किसानों को धान की फसल न बोने के लिए प्रोत्साइन देने के लिए राहत भी देनी पड़े तो उससे भी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो आने वाले दिनों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होने वाली है। मैं पर्यावरण विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव इलाके में आगरा गुड़गांव कैनाल है उसके अंदर दिल्ली और फरीदाबाद के कारखानों का जो जहर युक्त पानी है, जो तेजाब युक्त है, जो उसमें से आउटलैट्स निकलते हैं, वह तमाम का तमाम पानी हमारे खेतों में लगता है। वह गंदा पानी पीने के पानी के स्त्रोत में भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज जिला फरीदाबाद में और मेवात जिले में बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं जैसे कैंसर की बीमारी, टी०बी० की बीमारी फैलती जा रही हैं। सरकार को मुस्तैदी के साथ उस गंदगी को जो आगरा और गुड़गांव कैनाल में पड़ती है, उस गंदगी को गिरने से रोकना चाहिए।

Mr. Speaker : Please conclude.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सूखे की मार प्रदेश के और देश के ऊपर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी विपरीत स्थितियां होते हुए भी किसानों का भला करने में इस सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है। कई इलाके ऐसे हैं जैसे मेवात और फरीदाबाद में सूखे की वजह से और टिड्डी की वजह से बहुत नुकसान होता है। टिड्डी सारी फसल को चट कर जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जिन्होंने उस टिड्डी को रोकने के लिए जो छिड़काव किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया है। टिड्डी और सूखे की मार की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है। उसकी गिरदावरी करवाई जाए। इसके अलावा जो रसोई गैस का मैटर है वैसे तो यह केन्द्र सरकार से संबंधित है लेकिन फिर भी मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो महीने दो महीने में गांव में और शहरों में भी गैस की किल्लत दिखाई देती है इसके लिए हमारे यहां के अधिकारियों को गैस एजेन्सीज पर चाहे वे किसी भी कंपनी की हों, उस पर

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

दबाव बनाना चाहिए ताकि गैस की सप्लाई में प्रदेश के लोगों को दिक्कत न हो। जैसे श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि जो फौरवर्ड ट्रेडिंग ऐक्ट, 1952 बना हुआ है इसके बारे में एक प्राइवेट रेजोल्यूशन मैंने आपकी सेवा में दिया था। यह फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऐक्ट 1952 भारत सरकार का कानून है जिसकी रूह से देश के अंदर वायदा व्यापार का काम चल रहा है। मेरी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने भी इस बारे में एक दो बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि इस फौरवर्ड ट्रेडिंग ऐक्ट पर निगरानी रखी जाए क्योंकि आज देश में जितनी जिंस हैं, जितने ऐग्रीकल्चर प्रौडयूस हैं, देश के जितने भी उत्पाद हैं सबके ऊपर वायदा व्यापार हो रहा है। कहीं उसका फायदा है कहीं उसका नुकसान है। स्पीकर सर, कई साल बाद भी यह एक्ट लोगों को तंग कर रहा है और इस फारवर्ड ट्रेडिंग एक्ट से तंग होकर व्यापारी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भारत सरकार से इस विषय में बात करें कि जो प्रोडयूस के ऊपर आज ऐसी हालत है कि प्रदेश के व्यापारी और नागरिक आत्महत्याएं कर रहे हैं इस बात पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप 25 मिनट बोल चुके हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे एप्रोप्रिएशन बिल नं० 3 का जवाब देंगे या 4 का या दोनों बिलों का इक्ट्ठा जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बताओं आप जो कहोगे वैसे ही कर लेंगे।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल संख्या 4 तो अभी इन्ट्रोड्यूश ही नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप बताओं आपकी क्या मर्जी है ? अगर इक्टठा जवाब चाहते हो तो एक साथ दोनों बिलों का जवाब दे देंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए मैं भी इसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, आप अपनी सीट पर बैठिये। अब वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एप्रोप्रिएशन बिल संख्या 3 को इन्ट्रोड्यूस किया था। माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की हैं। चौधरी सुरजेवाला जी, डाक्टर इन्दौरा, करण सिंह दलाल, गौतम साहब, डाक्टर सीता राम और अर्जन सिंह जी ने इस पर चर्चा की और अपने विचार रखें। स्पीकर सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चर्चा तो एप्रोप्रिएशन बिल पर, डिमाण्ड पर ही होनी चाहिए लेकिन माननीय सदस्य सब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। मैं भी उसी प्रकार से जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि सब कुछ कवर हो सके। कल डाक्टर सीता राम जी ने चर्चा की। दरअसल उनका चर्चा का विषय तो था कुण्डली-मानेसर-पलवल सुपर

हाई -वे का लेकिन उनकी चर्चा सिर्फ एस०ई० जैड पर ही केन्द्रित रही। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे सदस्यों तथा लछमन दास अरोड़ा जी ने भी बीच में इन्टरवीन करके अपना जवाब देने की कोशिश की । चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जो मुद्दा उठाया उसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया कि जो किसानो की तरफ कर्जे हैं उसमें वन टाईम सैटलमेंट की जरूरत है जो उपयुक्त है उसका समाधान किया जाए। सर, इस विषय पर बहुत दिनों से राष्ट्रव्यापी चर्चा की गई है। पंजाब की असैम्बली का सैशन कल ही खत्म हुआ है उन्होंने भी इस मुद्दे पर कारगर कदम उठाये हैं। दरअसल, यह सही बात है कि हम नाबार्ड से और रिजर्व बैंक से जो पैसा कोआप्रेटिव विभाग के लिए लेते हैं उसको किसानों को कर्जे देने के लिए 5 से 5-1/2 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज करते हैं या शायद उससे भी कम है। अब शायद यह चार प्रतिशत है। अभी यह साढ़े चार प्रतिशत हो जाता है और आधा प्रतिशत स्टेट एपैक्स बैंक का और डेढ़ प्रतिशत कोआप्रेटिव बैंक का और इसी प्रकार अढ़ाई से तीन प्रतिशत नीचे वाली सोसायटीज का इस

12.00 बजे

प्रकार यह बढ़ता बढ़ता किसान के पास 9 से 10 प्रतिशत के बीच घूमता है। यही बात नहीं है जो पैनल्टीज हैं और जो उस पर ब्याज पर ब्याज का सिस्टम है वह भी किसानों को बहुत मंहगा पड़ता है। भारत सरकार का जो इस बार का बजट आया है उसमें 3 लाख रुपये की सीमा तक किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा दिए जाने की बात कही गई थी और इस बात पर सहमति भी हो गई थी। लेकिन जब प्रधान मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री भी गए थे और उन्होंने उस मीटिंग में 75 करोड़ रुपये की मांग की थी उन्होंने वहां कहा था कि अगर हमें 75 करोड़ रुपया मिले तो हम 7 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्जा देंगे लेकिन जहां तक सोसायटीज के मर्जर करने की बात है वैसे तो यह सिस्टम थ्री टायर है लेकिन यदि इसको टू टायर बनाने का काम करेंगे तो ही मर्जर का फायदा होगा। अभी कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा कि जो आज एग्जिस्टिंग सोसायटीज है उनका स्वरूप खत्म नहीं होना चाहिए और ऐसे ही ये सोसायटीज काम करती रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। लेकिन सम्बन्धित महकमें ने शायद फैसला किया कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जिन सोसायटीज पर अवेलेबल होगा वे सुविधाएं वहां उनको मिलेंगी लेकिन लैंडिंग की सुविधा, एडवांस करने की सुविधा और रिकवरी के लिए जो सुविधा है वह जो 5-6 सोसायटीज पर एक नोडल बैंक बनेगा या ब्रांच बनेगी तो मर्जर से हो सकता है कि उसमें कुछ कमी आए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया बदल रही है इसलिए इसमें इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। अभी मेरी वर्ल्ड बैंक के कुछ लोगों से बात हुई थी, अब तो बैंकों के यहां तक लोन उपलब्ध है कि वर्ल्ड बैंक भी आपको जीरो परसैंट पर कितना ही लोन देने को तैयार हैं । अगर किसान को सबसिडी देकर भी 7 परसैंट ब्याज पर लोन दें तो इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता। इन बातों को हम एक्सप्लोर करेंगे और किसान को कर्जे में, खास तौर से इंट्रस्ट में उसको कितनी सुविधा मिलनी चाहिए वह देखना जरूरी है। जो शमशेर सिंह सुरजेवाला ने वन टाइम सैटलमैंट की बात की है इस बारे में उन्होंने कहा है कि जो कामर्शियल बैंक हैं वे भी इस परिधि में आने चाहिएं, कर्ण सिंह दलाल जी ने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो शौर्ट टर्म्ज लोन हैं या क्राप लोन है उसमें भी अभी भी यह है कि डबल से ज्यादा ब्याज चार्ज नहीं कर सकते। कामर्शियल बैंक तो क्रॉप लोन देते ही नहीं। (विघ्न) वे तो शौर्ट टर्म्ज लोन देते हैं, मीडियम टर्म्ज लोन देते हैं, या फिर लॉंग टर्म्ज लोन देते हैं। लैंडिंग तो प्राथरिटी सैक्टर में हैं लेकिन जहां तक मेरी इन्फर्मेशन है हो सकता है मैं गलत भी हूं लेकिन उसमें क्रॉप लोन का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जी बता रहे हैं कि टोटल जो शौर्ट लोन की और क्रॉप लोन की लैंडिंग हैं उसमें 80 प्रतिशत

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

जो लोनिंग है वह कोओपरेटिव बैंक से है। आज यह सही बात है कि पिछले 10 सालों से खेती का जो मामला है वह गड़बड़ है और उस गड़बड़ में पिछले साढ़े 5 साल का राज इनका भी है और जो खेती के मामले में इन्दौरा जी कह रहे थे और देवीलाल जी की प्रशंसा भी कर रहे थे, हम भी देवीलाल जी की इज्जत करते हैं, उन्होंने एक बार कर्जा माफ करने का प्रयास भी किया लेकिन वह प्रयास वोट बटोरने तक सीमित रहा, उसको अमली जामा ये नहीं पहना सके। हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही हों, कई बार आपके पास मैकेनिजम नहीं होता, आपके पास अच्छे विद्वान नहीं होते और फार्मर से प्रेम करने वाले अच्छे लोग नहीं होते हैं जो इसको अच्छी तरह से इम्पलीमैंट करते हैं और खुद आप इतने कम्पीटैंट नहीं होते कि आपकी जो इच्छा शक्ति है जिसको हम पोलीटिकल विल कहते हैं उसके अनुसार उनसे काम करवा सके। If you are not able to get it implemented through your bureaucracy and your officials then it is your failure and that was the failure of Ch. Devi Lal. He may have good intention. He may be very close to the farmers' community. But that was his problem. This is not our problem. This is not the problem of the Chief Minister or of the Cabinet or of the Congress Party. आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यू०पी०ए० का जो न्यूनतम सांझा कार्यक्रम बनाया गया उसमें कृषि पर हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने खास दिलचस्पी लेकर कृषि को भी मिनियम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था। उसमें लिखा गया कि आज के दिन किसान और गरीब जो खेती पर आश्रित हैं उनकी हालत चिंताजनक है। वे कर्जे से डूबे पड़े हैं, यू०पी०ए० सरकार ऐसे कदम उठायेगी कि उनका बोझ कम किया जावे। ये लाईनें यू०पी०ए० सरकार के मिनियम प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोग्राम में हमारी गहरी दिलचस्पी है। हम चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम बने जिससे किसानों का शोषण न हो और शोषण के साथ हम यह भी मानते हैं कि कृषि ऐसा धंधा है जिसमें आमदनी मल्टीप्लाई नहीं होती और दूसरे सभी धंधों में होती है। यह मेरी फिलोसफी भी है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री चौटाला जी की आमदनी भी मल्टीप्लाई हुई और उनकी कोठियों पर कोठियां बनती रही तथा पैसा भी बढ़ता रहा। (विघ्न) मैं विषय से भटक रहा हूं या कोई और भटका है इसका तर्क तो सी०बी०आई० ही देगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मगरमच्छ तो अभी अमेरिका में ही बैठा है। सर, यह मेरा अपना कथन है and I am not saying as Finance Minister. This is my philosophy also कि अगर किसान को सिर्फ उसके धन्धे तक ही सीमित रखेंगे तो वह धन्धा लाभकारी नहीं हो सकता। पिछले 60 सालों से जब से देश आजाद हुआ है तब से किसान की आमदनी बढ़ाने के प्रयास हुए हैं और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी भी है लेकिन उसके साथ-साथ खेती के इनपुट्स के रेट भी बढ़े हैं जैसे ट्रैक्टर, डीजल, बीज, खाद आदि के रेट भी कई गुणा बढ़े हैं। यदि इनको आमदनी से मिलाकर देखें तो यह जो मिनियम स्पोर्ट प्राईस का जिक्र चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने किया मैं कहता हूं कि 'Minimum Support Price' are the wrong words. If there are words which suits the farming community that should be the 'Profitable Support Price'. मिनिमम स्पोर्ट प्राईस से गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा करने से किसान के पेट में अन्न तो जा सकता है लेकिन किसान की सामाजिक तौर पर दूसरों के बराबर आमदनी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि जब तक विकास की ग्रोथ रेट 4 प्रतिशत तक नहीं होती तब तक हम ये न समझें कि हम किसान के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। जब तक हम चार प्रतिशत ग्रोथ रेट की सीमा को पार नहीं करते तब तक यह जरूरी है कि

आज इंटरनैशनल मार्किट की कीमतों में जो फलैकचुएशन राष्ट्रीय स्तर पर होती है अगर वह हम किसानों को दे सकेंगे तो किसान अपनी फसल का खुद फैसला तय करेंगे कि किस समय उन्हें अपनी फसल बेचनी है और किस समय नहीं। ऐसा होने पर किसान अपनी फसल का अच्छा रेट ले सकेगा। सरसों की फसल के लिए ऐसा प्रयास राज्य स्तर पर हैफेड के माध्यम से हमने किया है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पाये। जिसमें हैफैड के माध्यम से हम स्वयं मण्डियों में गये और हमने किसानों को लाभकारी मूल्य दिया है यह एक रिकार्ड है आप इसको चैक कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में प्रोक्योरमैंट एक लाख टन भी नहीं छू सकी लेकिन हमने पहले तीन से साढ़े तीन लाख टन और फिर उसके बाद छः लाख टन का आंकड़ा छुआ है। किसानों को डाईवर्सिफिकेशन का पाठ तो पढ़ाते हैं लेकिन वह तभी सम्भव है जब हम उन किस्म की फसलों के सही दाम किसानों को दिलवाएं। चाहे वह दालें हों अथवा खाद्य तेल की फसलें हों, चाहे सूरजमुखी या और दूसरी फसलें हों उनके उचित मूल्य किसानों को दिलवाएं। जैसे सरसों और बाजरे की फसलें हैं। मैं समझता हूं कि खरीफ की फसल हमारे यहां पर इस बार रिकार्ड ब्रेकिंग होगी। मिसाल के तौर पर बाजरा जो अभी सात साढ़े सात से आठ सौ रुपये क्विंटल था वह पांच से साढ़े पांच सौ पर आ गया। स्पीकर सर, इस तरह की फसलों के लिए जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तब तक डाईवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा है कि सरसों के माध्यम से हमने इस प्रकार के कदम उठाए हैं और भी कदम हम उठाना चाहते हैं जिससे किसान की मदद कर सकें। उसको पूरा मूल्य मिले तभी किसान का ध्यान डाईवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगा। हमने जब सरकार सम्भाली उससे पहले इनकी पार्टी इनैलो की सरकार ने पांच साढ़े पांच साल पहले गन्ने का मूल्य एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने गन्ने का भाव 135 रुपये पर क्विंटल किसान को दिया है। अध्यक्ष महोदय, 135 रुपये क्विंटल का भाव छोटा भाव नहीं है और यह भाव देश में सबसे बड़ा भाव है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बात को समझते नहीं है 75 पैसे तो केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है वह उस फॉर्मूले को सैट करता है जिससे राज्य सरकारें मूल्य निर्धारित करने का फैसला लें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमने तो कोशिश की है अगर ये लोग उसको समझते तो किसान के हित में होता। बीज में वैरायटी की हमने कोशिश की है और उस बीज की वैरायटी को ज्यादा स्कोप मिला है हमने उसके भाव भी बढ़ाये हैं। इनकी सरकार ने क्या किया इन्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें इन्होंने हरियाणा के गन्ना उत्पादकों के साथ बहुत भयंकर नाइन्साफी की है। इनके राज ने रात-दिन लोगों के दिलों में दहशत पैदा की थी। उस दहशत के मद्देनज़र उस वक्त की सरकार ने कारखानेदारों और सरमायेदारों के दिलों में दहशत पैदा नहीं की वरना यमुनानगर की शूगर मिल की क्या हिम्मत थी कि चौटाला जैसा खूंखार उग्रवादी टाईप आदमी मुख्य मन्त्री हो और वह मिल हाईकोर्ट से स्टे ले जाती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, ** * * ** * ** * *

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ** * * ** * ** * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. देखिए डाक्टर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए सच्चाई सुनने की आपमें हिम्मत होनी चाहिए। (विघ्न एवं शोर) You must maintain the decorum. You please take your seat.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बड़े लीडर हैं और चुन कर यहां पर आए हैं आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए। (विघ्न) आप सच्चाई सुनने की भी हिम्मत रखें। (विघ्न) उन्होंने क्या वर्डज कहे हैं। (विघ्न) No...No... Please take your seats. Nothing is to be recorded.

श्री बीरेन्द्र सिंह : डा० साहब, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। आदमी को किसी के साथ लगकर चलना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए चाहे वह आदमी बुरा भी क्यों न हो। (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (interruptions and noises) आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) डा० साहब, यह बात आप अपनी सीट से भी कह सकते हैं। (विघ्न) क्या उन्होंने तानाशाह कहा है। नहीं नहीं, आप अपनी सीटों पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) Please take your seats. (Interruptions) इन्दौरा जी आप अपनी सीट पर जाएं और वहां से अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने तानाशाह शब्द कहा है। यह शब्द उनके लिए ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप सभी मेरी एक मिनट बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सहमत हूं कि मुझे उनके लिए उग्रवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं उसके लिए रिग्रैट करता हूं। लेकिन मैं इनकी इस बात के लिए कद्र करता हूं कि अगर समर्थक कोई हो तो इनके जैसा होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका जो यह समर्थन है यह समर्थन दिल से नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस सरकार ने लोगों के मन से चौटाला का भय और डर निकाल दिया है उसी तरह से इन लोगों के मन से भी उनका डर और भय इस सरकार को निकाल देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब ये और क्या क्या सुनेंगे ? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, कर्ण सिंह दलाल जी ने एक प्राइवेट मैम्बर्ज बिल रिगार्डिंग दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल (अमैंडमैन्ट) बिल, 2006 इन्ट्रैड्यूस किया है। इस बारे में शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी कहा है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के प्रयास पंजाब सरकार ने भी किए हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि जहां जहां पर आढ़ती सिस्टम है वहां पर किसानों से 100 रुपए पर 2,3,4 और 5 रूपए ब्याज के लिए जाते हैं। इस बारे में हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और इसका कोई न कोई समाधान लेकर आएंगे और हम इससे सदा के लिए छुटकारा पाएंगे। इस विषय में मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बहुत जल्दी फैसला ले लेता है जरा सोच लिया करो। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसानों की जो समस्या है उस बारे में गौर करके उसका समाधान किया

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

जाएगा जिससे किसानों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह आज के किसान की जरूरत भी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बात भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने कही है कि जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाईजेशन हुआ है उस एरिया का पानी खराब हो रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लुधियाना के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि उससे 10-10 किलोमीटर दूर तक अंडरग्राउंड पानी पोल्यूटिड ही नहीं बल्कि जहरीला हो गया है। आज उस पानी को किसी प्रकार से यूज में नहीं लाया जा सकता है। हमें इस किस्म की प्रवृति को रोकना चाहिए। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में यह समस्या हरियाणा में भी खड़ी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर तो इंडस्ट्रियलिस्टस ने अपने आपको बचाने के लिए अपनी फैक्टरी के पोल्यूटिड पानी को बाहर नहीं छोड़ा है बल्कि फैक्टरी वालों ने फैक्टरी के अंदर ही बोर किया हुआ है ताकि उनका वाटर पोल्यूशन डिटैक्ट न हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले पानीपत में था वहां पर हमें इस बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं लेकिन हमने पूरी जानकारी हासिल करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए कहा हुआ है। इसके अलावा जो इनपुटस हैं उनके बारे में मैं यहां तक कहूंगा कि इस बारे में एक प्रावधान करने की जरूरत है कि जो सीड या जो इनसैक्टीसाईडस या पैस्टीसाईडस एवं जो दूसरे स्प्रे हैं अगर इनकी दुकानों का लाईसेंस हम उन लोगों को दें जो एक्सपर्टस हैं चाहे वह ऐग्रीकल्चर एक्सपर्टस ही हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से कैमिस्ट की दुकान को चलाने के लिए एक फार्मेसिस्ट को लाईसेंस देते हैं तो इस बारे में भी ऐसा ही विचार किया जा सकता है ताकि यदि ये किसान को खाद बीज या और कीड़े मार दवाईयां दें तो वह गलत न हों और किसानों का इससे नुक्सान न हो। अध्यक्ष महोदय, यही बातें सदस्यों द्वारा उठायी गयी थीं। इंदौरा साहब, 2002-03 एवं 2003-04 में की गयी आपकी कुशल कार्रवाईयों का ही नतीजा है जो हम आज भुगत रहे हैं। अब हमें ही इस दौरान का वह पैसा देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clasue.

Clause 2

श्री रमेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि अभी पैडी का सीजन चला हुआ है और मंडियों में काफी मात्रा में जीरी आने लग रही है। सर, वैसे तो यह मामला सैंट्रल गवर्नमैंट से संबंधित है लेकिन जीरी की लेट खरीद होने से आढ़तियों और किसानों को काफी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। पहले पैडी सीजन 31 सितम्बर से शुरू होता था लेकिन अब की बार सैंट्रल गवर्नमैंट ने यह एक अक्तूबर से शुरू करना है। हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि वह सैंट्रल गवर्नमैंट से बात करें और पैडी की खरीद को जल्दी करवाने का निवेदन उनसे करें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो यह बात ठीक है कि पंजाब से पहले हरियाणा में जीरी की फसल आ जाती है। मैं इनकी इंफोर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि आज ही मैंने केन्द्र के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर वे इसका फैसला करके जल्दी से जल्दी इसकी खरीद शुरू करेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Qucstion is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (इविक्शन एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Public Premises and Land (Evicton and Rent Recovery) Amendment Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन एक चीज के बारे में कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं क्योंकि इसमें जो लिखा है उसमें कंप्लीकेसी तब आई है जब प्रोपर्टी से बेदखल करने का कानून पास नहीं किया। कर्नाटका स्टेट में इस किस्म की अमैंडमैंट आई उस अमैंडमैंट के आधार पर हमारी सरकार की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमैंट की तरफ से यह अमैंडमैंट पेश की गई थी। इसके बारे में मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे विलेज कॉमन लैंड थी वह पंजाब विलेज कॉमन लैंड ऐक्ट, 1956 के तहत ऑटोमैटिकली ग्राम पंचायत में वैस्ट कर गई और एक डेट फिक्स कर दी कि फलां डेट को all the village common land shall automatically vest in the Gram Panchayat. ऐसे ही इसमें एक लिखा है जिस पर मुझे ऐतराज है, after the words, "or any Corporation or Board owned or controlled by the State Government", the words "or a wakf registered with the Haryana Wakf Board" shall be added." मैं यह कहना चाहता हूं कि it should not be left on the Wakf people, whether they would like to get registration with the Haryana Wakf Board. All the Wakf property should automatically vest with the Board so that the people should not have the unauthorized possession. यही प्राब्लम है मेरे ख्याल से जिस वजह से यह अमैण्डमेंट लाई गई हैं। इसमें यह स्कोप है कि इसको पब्लिक प्रीमिसिस के तौर पर समझने के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। वक्फ प्रोपर्टी सारे स्टेट में है उसका मिसयूज हो रहा है इस पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो जल्दी से छोड़ता नहीं है। इसमें कुछ टैक्नीकल बातें हैं जैसे it exists in the name of God and that Wakf property cannot be acquired for the Government purpose also. इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें एक अमैण्डमेंट लायें Wakf property which exist in Haryana State that should vest in the Wakf Board automatically."

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय यह बिल लाने का मेन कारण यह था कि पूरे हरियाणा के अन्दर कई जगह इतनी सारी वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टीज हैं जिन पर इललीगल तरीके से इन्क्रोचमैंट हो रही है। कर्नाटक सरकार ने इस दौरान एक बिल पास किया है उसकी तर्ज पर ही हम यह बिल यहां पर लाए हैं। 7856 प्रोपर्टीज रूरल एरियाज में और 4073 प्रोपर्टीज अर्बन एरियाज में हैं लेकिन वक्फ बोर्ड की 716 प्रोपर्टीज ऐसी हैं जिन पर इन्डीविज्यूल इन्क्रोचमैंट है इनमें 176 तो सैमी गवर्नमैंट की हैं और बाकी गवर्नमैंट की है हमने अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव और हिसार में इस बात का सर्वे कराने के लिए आदेश दे दिए हैं । बेसिकली मतलब तो यही है कि वक्फ बोर्ड इसमें वैस्ट करेगा और बोर्ड का जो चीफ एग्जिक्यूटिव ओफिसर होगा उसको हमने वैस्ट कर दिया है कि वह इस मामले को डील करे ताकि इस प्रकार की इन्क्रोचमैंट न हों।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि कर्नाटक में जिस आधार पर यह अमैंडमेंट लायी गयी है वहां इस किस्म का कोई सिस्टम हो कि वहां के वक्फ बोर्ड को रजिस्टर कराने की जरूरत हो लेकिन हमारी स्टेट में जो वक्फ बोर्ड हैं उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है वे तो आटोमैटीकली वैस्ट करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इसको वैस्ट करके ही अमैंडमेंट करेंगे it will be the duty of the Chief Executive Officer to deal with such cases.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 2006 be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause- 2 of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause-2 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clasue 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause- 1 of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause-1 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलानाबाद-एस० सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे तो जन प्रतिनिधि की सुविधाओं की बात हो या फिर जनता की सुविधाओं की बात हो, विरोध करना हमारी प्रवृति नहीं है। हमारी प्रवृति है जनता के खिलाफ जो फैसले लिए गए हैं उनका विरोध करें। जन प्रतिनिधि जनता की सेवा करता है, जनता के बीच रहता है और जनता का दिया हुआ ही खाता पीता और पहनता है। मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या है। इस प्रकार की कई सुविधाएं दी जाएंगी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इससे एक करोड़ 60 लाख 70 हजार का राजस्व घाटा होगा तो इस प्रकार छोटे छोटे और बड़े बड़े घाटे उठा कर जैसे किसानों का बिजली के बिलों का 1600 करोड़ रुपया माफ करने की बात कही और इसी तरह बी0पी0एल0 की सुविधा देगें ताकि गरीब आदमी को खाद्यान्न मिले, ऐसे घाटे उठा कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुविधाएं दे रहे हैं तो मैं जन प्रतिनिधि होने के नाते खुशी महसूस करूंगा और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जन प्रतिनिधियों को सुविधा मिल रही है उसी तरह से जनता को भी सुविधाएं मिलें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause- 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा जी ने अपना पक्ष रखा, यह सच है कि विरोध करना इनकी आदत नहीं, इनकी मजबूरी बन गई है। ये सच कह रहे थे आदत से भी कई बार आदमी मजबूर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे इस सदन के पूर्व सदस्य हैं उनके लिए पैंशन पहले 3000 रुपये थी, मैं आपकी जानकारी के लिए

बताना चाहूंगा कि पड़ौस के पंजाब राज्य में भी यह 5 हजार है तथा और भी कई राज्यों में 5 हजार से भी ज्यादा है। बहुत से पूर्व सदस्य मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने अनुरोध किया कि हमारी पैंशन बढ़ाई जाए। सरकार ने भी इस बात पर विचार किया है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दरियादिली दिखाई और कहा जो इस सदन के पूर्व सदस्य हैं वे भी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने कि मौजूदा सदस्य हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह राशि भी 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी। इससे सरकार के राजस्व पर सालाना 1,60,70,000 रुपये का अधिक भार पड़ेगा। स्पीकर सर, विपक्ष के साथी घाटे की चिंता न करें क्योंकि हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंधन और नीतियां बहुत दक्ष और चुस्त हैं। हमने सदन के पूर्व सदस्यों की पैंशन बढ़ाकर उनको मान देने की कोशिश की है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि इस पर वे दलीय और छोटी राजनीति करेंगे तो गलत होगा। अंत में मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह बिल सभी सदस्य एक ध्वनिमत से पास करें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

छोटू राम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलौजी मुरथल बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal Bill be taken into consideration at once.

चौ0 धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): स्पीकर सर, जो बिल पेश किया गया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के टाईटल के बारे में मैं कहना चाहता हूं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस बिल का टाईटल दीन बंधु छोटू राम के नाम से होगा। इस तरह का चेंज टाईटल में कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, अब आप बैठें। आप जो चाहते थे उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन इस बिल के टाईटल में जो स्टेट शब्द है it should be omitted. क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टेट की नहीं बल्कि सारे देश या प्रदेशों की होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके साथ जो स्टेट शब्द लगा रखा है वह हटा दिया जाये। इसका टाईटल दीन बंधु छोटू राम जी के नाम से शुरू होगा यह तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर छोटू राम जी का एरिया ऑफ आपरेशन हमारे प्रदेश तक ही नहीं बल्कि सारा देश था। उसका हिस्सा पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी है। किसानों को आज भी उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही मलकियत एक्ट चालू करवाया था, मनी लैंडिंग एक्ट भी उन्होंने चालू करवाया था। आज यह बहुत खुशी की बात है कि उनके नाम से यह बिल आया है। वहां पर पहले कालेज चल रहा था। उससे पहले वहां सोसायटी चल रही थी जो फेल हो गई और सरकार ने उसको टेकओवर कर लिया था। अब वहां यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो यह बिल इस सदन में लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही माननीय मुख्य मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो क्लाज-10 के पार्ट-2 में वाईस चांसलर के बारे में जिक्र किया गया है उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि वाईस चांसलर की टर्म सरकार ने तीन साल की की है। अध्यक्ष महोदय, किसी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए तीन साल का समय बहुत कम होता है। वाईस चांसलर को साल डेढ़ साल का समय तो वहां के हालात जानने में ही लग जाता है।स्पीकर सर, अगर सरकार ठीक समझे तो उसकी टर्म पांच साल की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा एक सुझाव यह भी है कि बदलते जमाने के हालात को देखते हुए अगर हम एक्ट में ही यूनिवर्सिटी के लिए ड्रैस कोड डाल दें तो ठीक रहेगा यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बच्चे वहां पर पढ़ेंगे उनके लिए ड्रैस कोड लागू होना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें लड़के कौन से कपड़े पहनेंगे और लड़कियां कौन से कपड़े पहनेंगी यह पहले ही तय होना चाहिए और फिजूल की बातों को छोड़ना चाहिए। जैसे कि मोबाईल फोन की बात है, इसके कारण चण्डीगढ़ के कॉलेजों में कितने दिनों तक हड़ताल रही ।वहां की अध्यापिका ने बिल्कुल ठीक काम किया था। इस प्रकार के प्रावधान अगर ऐक्ट में ही करके हम भेजें तो वह प्रदेश के हित के लिए तथा अथोरिटी के लिए फैसला लेने में सहूलियत की बात हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यदि यह सम्भव हो तो ऐसा करना चाहिए।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : स्पीकर सर, दीन बन्धु छोटू राम के नाम से सरकार विश्वविद्यालय बना रही है मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूं। यह हमारे प्रान्त के देहात के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी था। सर छोटू राम जी ने गरीब और गरीब किसान के लिए कानून बना कर उनकी जो सेवा की, उसको देखते हुए भी उनके नाम पर ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक था। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय साथी मलिक साहब ने एक बात कही थी कि सर छोटू राम जी का जो ऐरिया था वह हरियाणा तक ही सीमित नहीं था बल्कि उसकी सीमा बहुत बाहर तक थी। चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो कोई भी इन्सान चाहे कहीं पर भी रहता हो जो कानून उन्होंने किसानों के हित के लिए बनाया वह सबके लिए

लाभकारी है इसलिए इसका नाम स्टेट की बजाए दीन बन्धु सर छोटू राम रखते तो ठीक रहता।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, मैं सरकार और मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक बधाई और मुबारिकबाद देता हूं और यह कहता हूं कि हालांकि यह बिल काफी देर से आया है लेकिन देर आयद दुरूस्त आयद। स्पीकर सर, 50-60 साल हो गए हैं लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण इन्स्टीच्यूट सर छोटू राम के नाम से नहीं बनाया गया है और इस प्रकार का बिल बहुत पहले आना चाहिए था। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं इनकी सरकार तो उनके नाम के ही खिलाफ थी इसलिए इन्होंने उनके बारे में कहां सोचना था। ये लोग नाम तो किसानों का लेते थे और सर छोटू राम जैसे किसान हिमायती महान नेता का विरोध करते थे। स्पीकर सर, मुबारिकबाद की दूसरी बात का विषय यह है कि साईंस एण्ड टैक्नोलोजी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हरियाणा में तो इसका बहुत अभाव है। पूरे हिन्दुस्तान में शायद साईंस एण्ड टैक्नोलोजी का इतना अभाव और कहीं नहीं है। साईंस एण्ड टैक्नोलोजी और आर्ट एण्ड कल्चर इन सारी बातों में हम बहुत पीछे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने साईंस एण्ड टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटी खोल कर एक खला तो भर दी है मुझे उम्मीद है कि सारे हरियाणा के अन्दर साईंस एण्ड टैक्नोलोजी का प्रचार-प्रसार और पढ़ाई करने के लिए यह यूनिवर्सिटी काफी उपयोगी साबित होगी। मेरी एक और दरख्वास्त है और मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी बात चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसा नेता ही कर सकता है। आर्ट एण्ड कल्चर का हरियाणा में बहुत ही अभाव है। हमारी जो भी प्रिमेटिव ऐज की संस्कृति थी वह भी थोड़ी देर ही रही और अब वह बिल्कुल गौण हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हरियाणा में किसी शादी-ब्याह में या किसी के जन्म दिन पार्टी में चले जाएं तो वहां पर सारे पंजाबी रिकार्ड और गाने बज रहे होते हैं। न हमारी स्टेज रही न हमारा ड्रामा रहा और न ही हमारा कल्चर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी स्टेज से इसी रास्ते से सारी दुनिया गुजर कर गई है। कोई 50 साल पहले जब हम अपने कल्चर में से गुजर रहे थे तब आजादी के बाद इतनी उथल-पुथल हुई कि हमारी सारी सोच-विचार, पढ़ाई और संस्कृति की बात गौण हो गई और हमारी संस्कृति पिछड़ गई। हमारी संस्कृति गौण होकर बहुत पीछे रह गई इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हमारी अपनी पहचान हो, हमारी संस्कृति की पहचान हो और कोई हमारी अपनी स्टेज हो, कोई हमारा अपना प्लेटफार्म हो। अगर किसी भी समय हरियाणा स्टेट में आर्ट एण्ड कल्चर की यूनिवर्सिटी बनेगी तो मैं समझता हूं कि वह भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जो प्वायंट उठाया है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही हरियाणा सांस्कृतिक अकादमी का गठन कर दिया है और उसकी अध्यक्षा श्रीमती ऊषा शर्मा जी को बनाया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप डिप्टी लीडर हैं। या तो आप पार्टी के लीडर बन जाएं फिर आप यहां पर खुल कर बोल लेना। आपकी पार्टी के नौ मैम्बर्ज ही सदन में है और आप अकेले ही हमेशा बोलते रहते हो। आपने अकेले ही बोलना है तो इनको कहीं और भेज दो। (विघ्न) या आप लीडर आफ दि इनैलो लिखें फिर आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। (विघ्न)

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बड़े हर्ष की बात है कि मुरथल इंजीनियरिंग कालेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आदरणीय दीन बन्धू छोटू राम जी के नाम से रखा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी

से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भिवानी में एक टैक्सटाईल का बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग कालेज है इसी तर्ज पर उस कालेज को भी पण्डित नेकी राम यूनिवर्सिटी किया जाए।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बिल पर बोलें।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि भिवानी के टैक्सटाईल कालेज को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इस बिल के बारे में मेरे बाकी साथियों ने सुझाव दिए हैं उसी तरह से मैं भी आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा। स्पीकर सर, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो मैं इनको इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनके नाम के आगे सर छोटू राम जी लगता है, उनको यह उपाधि मिली हुई थी। वे हमेशा सर के नाम से ही जाने गए हैं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के नाम को दीन बन्धु सर छोटू राम किया जाए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के मन में सर छोटू राम जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रही है और इस बारे में इतिहास गवाह है और जैसा कि चौधरी शमशेर सिंह जी ने कहा है कि हमने तो उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया था ताकि किसानों को संदेश दे सकें कि किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी हैं। स्पीकर सर, मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि उनका जो रुतबा है कहीं कल जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी का जो बिल पास किया गया है कि 10 एकड़ जमीन में यूनिवर्सिटी बना सकते हैं उसकी वजह से कोई भी उनका नाम यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ कर खराब न कर दे। इस बारे में भी सरकार को गौर करने की जरूरत है।

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, इन्दौरा जी जो कह रहे हैं, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले चुनावों से पहले राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इनको सर छोटू राम जी की याद आ गई थी। इनकी सरकार ने सर छोटू राम जी के पैतृक गांव में एक संग्रहालय बनवाने की भी बात कही थी। उनके जन्मदिन पर एक जलसा भी किया था। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि चौटाला साहब यह कहते रहे कि उन्होंने उस संग्रहालय को बनाने के लिए 36 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। स्पीकर सर, हमने अपनी गवर्नमैंट बनने के बाद उन सभी कागजातों को ढूंढवाया था कि कहीं पर कोई कागज मिल जाए जिस पर उन्होंने संग्रहालय को बनाने के लिए 36 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। हमने उस कागज को डिप्टी कमिश्नर के आफिस में भी ढूंढवाया था लेकिन हमें कहीं पर भी कोई कागज नहीं मिला है। इन्दौरा जी, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, जो कि आप करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने आज से 26 साल पहले ही पौने तीन सौ एकड़ जमीन प्राईवेट संस्था को दे रखी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह जो दीनबन्धु सर छोटू राम यूनिवर्सिटी बननी है उसमें मैं भी ट्रस्टी था। उस समय हम इसके लिए 23-24 लाख रुपए ही इक्ट्ठे कर सके थे। इस सरकार ने कहा कि अगर आप इसको नहीं बना सकते हैं तो आप यह हमें दे दें हम यह यूनिवर्सिटी बनवा देंगे। इसके लिए हमने सरकार के सामने दो ही शर्तें रखी थीं। एक तो इस यूनिवर्सिटी का नाम दीन बन्धु सर छोटू राम इंजीनियरिंग कालेज हो और दूसरे उस गांव के बच्चों के लिए उस कालेज में कम से कम 5 सीटें जरूर दी जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में यह मामला पांच सीटों से घटकर दो सीटों पर सैटल हो गया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि तो सीटस ही थीं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने यह 6 सीटस कर दी थीं। और अब यह फैसला किया गया है कि यह यूनिवर्सिटी बनने के बाद 6 सीट के बजाए दस सीटस करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आजादी से पहले जो छोटूराम जी का योगदान था उसकी सार्थकता आज भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। लेकिन जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा और सारा देश भी यह बात जानता है कि दुर्भाग्यवश पिछले आठ दस साल से कृषि के अंदर बिल्कुल ठहराव आ गया है। न किसान की फसल की उत्पादकता बढ़ी है और न ही उसको उसकी फसल के उचित दाम मिल रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों हुई यह इसलिए हुई कि जो जैनेटिक बैरियर हैं कृषि के बीज के लिए, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है और यह ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है इसलिए आप किसी भी उपज को जोकि अगर बीस क्विंटल मिलती हो तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर 22,23 या 25 क्विंटल ही ले सकते हो। उसको आप 50 या 60 क्विंटल नहीं कर सकते। इसलिए जब तक इस बीज के अंदर देश में रिसर्च वर्क उस स्तर का नहीं होगा जिससे जैनेटिक बैरियर को हम तोड़ सकें तब तक कोई समाधान किसान की व्यथा का, उसके दुख का, उसकी तकलीफ का नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो यह मुरथल में यूनिवर्सिटी बनेगी और इसमें जो अनुसंधान होंगे उनसे हमें काफी मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, साईंस के मामले में आज के दिन अमेरिका उस स्थिति में है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए क्योंकि Gradually, the Department of Science and Technology of America is giving these responsibilities to the developing nations and especially to India and China. but as far as research work is concerned, they prefer India to be the place where research work could be conducted. डा. साहब, आप तो बाई प्रोफेशन डाक्टर हैं आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर साहब, ये तो एनसथिसिया के डाक्टर हैं जो लोगों को बेहोश करता है। यह असली डाक्टर थोड़े ही हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो छोटू राम स्टेट यूनिवर्सिटी आफ साईंस एंड टैक्नोलॉजी बनेगी, उसमें जो आर०एन्ड०डी० के काम होंगे तो उसके बाद आप देखना कि डिफैंस और जो मैडीकल साईंस हैं उसमें काफी रिसर्च वहां पर होगी। अध्यक्ष महोदय, आज मैडीकल साईंस में नेनो टैक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं कि बगैर एक बूंद खून की निकाले बड़े से बड़ा आपरेशन सर्जरी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए यह इंस्टीच्यूट भी सारी की सारी रिसर्च का एक सैंटर बनेगा। मैं तो यह कहता हूं कि हरियाणा के लोगों के लिए यह एक ऐसा इंस्टीच्यूट होगा कि हरियाणा के लोग उस स्तर तक सोचने लगेंगे जिस स्तर की सुरजेवाला जी बात करते है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पढ़ाई का स्तर दुर्भाग्य से आज उस स्थिति में नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ सकें और दूसरे लोगों की बराबरी पर खड़े हो सकें। इसलिए यह इन सब चीजों को इम्प्रूव करने का एक केन्द्र बनेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा छोटू राम जी के लिए जो किसानों और गरीब लोगों के लिए अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन सब लोगों को हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री का और दूसरे लोगों का जिन्होंने इस बात को सोचा है और इतनी बड़ी संस्था बनायी है,

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

उनका समर्थन करना चाहिए। अगले तीन साल में 75 करोड़ रुपये की राशि हमने सरकार के खजाने से इसको इम्प्रूव करने और बनाने के लिए दी है। मैं यह भी बता देता हूं कि भारत सरकार और दूसरे जो दे रहे हैं 400 करोड़ रुपये उनसे लेने का प्रावधान है ताकि यह इंडस्ट्री का केन्द्र बने।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने दीन बन्धु छोटू राम विश्वविद्यालय मुरथल में बनाने की योजना बनाई है। मेरे हल्के के लोगों में यह भ्रम था कि यह प्राइवेट कालेज बनाया जाएगा। हमने पिछले सैशन में यह मुद्दा उठाया था कि यह प्राइवेट नहीं होना चाहिए। यह बहुत बढ़िया मील के पत्थर की योजना बनाई है। इसके लिए बहुत ज्यादा बधाई है। एक जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में बनाया है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि उसमें जो पहले से जैंट्स नौकरी में लगे हुए हैं उनको कहीं और ऐडजस्ट किया जाना चाहिए और वहां सिर्फ महिलाएं रहनी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में तो ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस बात हो चुकी है।

श्री सुखबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में टोटली लेडीज स्टाफ होना चाहिए। जैसे एक गंदा सेब/सेब की पूरी पेटी को ही खराब कर देता है और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है वहां ऐसा न हो जाए इसलिए हमें वह प्रिकॉशंज पहले ही ले लेनी चाहिएं। पिछले 25-30 सालों से सोनीपत को पिछड़ा रखा गया था जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा मुख्यमंत्री बने हैं तब से सोनीपत की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पिछली सरकार के कार्यकाल के समय में इन्होंने 8-10 बार महेन्द्र चौधरी को यहां बुलाया और दिया कुछ नहीं। उनके नाम पर जो राशि इकट्ठी की थी, वह सारी की सारी राशि हड़प गए। एक एक आदमी का पैसा हड़प गए। अध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी से एक छोटी सी प्रार्थना और है कि खरखौदा में 10 जमा 2 का स्कूल नहीं है। किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करके मुख्यमंत्री जी यह काम जरूर करवाएं क्योंकि खरखौदा में गरीब दुकानदार हैं, मजदूर हैं, गरीब से गरीब लोग वहां रहते हैं। इसलिए मेरी इस डिमांड को जरूर पूरा किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं और जो दीन बंधु छोटू राम स्टेट यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी का जो बिल आया है इसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने कल ही खानपुर में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोले जाने का बिल पास किया है और आज सर छोटू राम कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए बिल लाए हैं। जब से हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है तब से बहुत ज्यादा आर्थिक और तकनीकी क्रान्ति आई है। हरियाणा प्रदेश में इस समय स्पैशल इकोनोमिक जोन लगाए जा रहे हैं इससे बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हरियाणा में आएंगी जिनकी इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इस तरह की यूनिवर्सिटी से हायर ऐजूकेशन में और जितनी भी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, साइंस या इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी है या मैनेजमैंट टैक्नोलॉजी है इनके जरिए हमारे यहां आर्थिक क्रांति लाई जा रही है। यह नैशनल कैपिटल रीजन

दिल्ली के नजदीक है और कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में है इससे बहुत ही अच्छे इंजीनियर हमारे हरियाणा प्रदेश में आने की संभावना है। आई०टी० टैक्नोलॉजी, नैनो टैक्नोलॉजी और बायों इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी के हिसाब से जहां तक इस क्षेत्र की बात है इसमें 273 एकड़ जमीन है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहां तक एकेडैमिक की बात है, स्टाफ के हाउसिंग की बात है या स्टूडैंटस के हाउसिंग की बात है वहां हर प्रकार की सुविधाएं हमारे पास हैं और मैं यह समझती हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यह बात कहते हैं कि जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने बाहर जाते हैं अब दिल्ली के बच्चे भी यहां आकर शिक्षा प्राप्त करेंगे इससे मैं समझती हूं कि हरियाणा का नाम रोशन होगा। सरकार ने यह बहुत ही कारगर कदम उठाया है। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार का जो मुख्य मुद्दा था वह था निष्पक्ष बटवारा हो और निष्पक्ष बटवारा हुआ भी है। 40 साल बाद अब जाकर निष्पक्ष बटवारा हर विधान सभा क्षेत्र और हर जिले के लिए हुआ है। स्पीकर सर, कई माननीय सदस्य पहले पढ़कर तो आते नहीं उनको यह तो पता नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री का विधान सभा क्षेत्र कौन सा है और जिला कौन सा है। यह तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की दरियादिली है कि उन्होंने सोनीपत में दो विश्वविद्यालय खोलकर उन भाइयों को भी बराबर का हक दिया है। इन विश्वविद्यालयों में समस्त हिन्दुस्तान के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्य क्षेत्रवाद की बात करते हैं यह उनकी बड़ी ना-इन्साफी है और बेईमानी है। उनको पढ़कर आना चाहिए उनको मैं यह हिदायतें देता हूं उनका भी कसूर नहीं है वे कुछ प्राईवेट माल ज्यादा खा गए। इसलिए थोड़े दिन में उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी उनकी मैं आज शाम को एक्सरसाईज करवाउंगा । यह भाई हमारे साथ ही आ जायेंगे। आज हर हल्के में और हर जिले में समान बंटवारा हुआ है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हर इन्डीपैंडैंट विधायक को भी समान समय दिया जाए। क्योंकि हम सभी इन्डीपैंडैंट विधायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण इस सरकार के साथ चट्टान की तरह हैं और आज हरियाणा के हित में धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं । हम इस सरकार के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : दो इन्डीपैंडैंट विधायकों को बुलवाया है। एक तो राधेश्याम शर्मा जी को बुलवाया है और एक आपको बुलवा दिया।

श्री नरेश कुमार प्रधान : स्पीकर सर, एक माननीय सदस्य को आपने 25 मिनट तक बुलवाया न तो उसको बोलना आता है और न उसकी कोई बात है न उसका कोई आधार है । न उसको यह पता है कि मैं किस मुद्दे पर बोल रहा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। बीच-बीच में अटक कर खड़े हो जाते हैं और दो-तीन मिनट तक चुप्पी खींच जाते हैं। स्पीकर सर, ऐसे अनावश्यक और फिजूल सदस्यों को समय देकर आप सदन का समय बर्बाद न करें। स्पीकर सर, मेरी एक प्रार्थना है निष्पक्ष जब बटवारा होता है तो हम 24 घण्टें अपने हल्के में रहकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। स्पीकर सर, हरियाणा में एक विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जिसका प्रतिनिधि डेढ़ साल से भूमिगत है

[श्री नरेश कुमार प्रधान]

और मुझे उस विधान सभा क्षेत्र के लोगों पर दया आ रही है कि वे अपनी समस्याएं किसे सुनाते होंगे और क्या करते होंगे। जब हम रात के 12-12 बजे तक लोगों को मिलने का समय देते हैं और तब भी हमारा काम खत्म नहीं होता और हरियाणा या दिल्ली में मुख्यमंत्री महोदय से 5-5 और 6-6 बार मिलते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में निवेदन करते हैं और उनका निवारण करवाते हैं और धड़ाधड़ ग्रान्ट ले जाते हैं। यह तो मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है कि वे हर हल्के का ध्यान रखते हैं। जब किलोई हल्के की बारी आती है तो वे उसका भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो जन-प्रतिनिधि अपने हल्के और विधान सभा को मुंह नहीं दिखा सकता उसकी सदस्यता को बरखास्त किया जाए और उस हल्के को दूसरा प्रतिनिधि देकर उस हल्के के लोगों के साथ न्याय किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कई लोगों को जनता ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और न वे मुंह दिखाने के काबिल हैं। वे बार-बार मैडीकल दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ये अपने आप खड़े होकर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will give reply.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, * ** ** * * *

श्री अध्यक्ष : यादव साहब जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, दीनबन्धू छोटूराम यूनिवर्सिटी आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, मुरथल विवाद का विषय नहीं बल्कि सहमति का विषय है।

वाक-आऊट

श्री नरेश यादव: अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में दो दो यूनिवर्सिटी दे दी गई हैं और दूसरी बहुत सी सुविधाएं दे दी गई हैं लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

Mr. Speaker : Mr. Yadav, either you sit down or leave the House.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इस बिल पर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए एज ए प्रोटैस्ट मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय निर्दलीय सदस्य श्री नरेश यादव एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

विधान कार्य--

छोटू राम स्टेट यूनिवर्सिटी आफ साईंस एंड टैक्नोलोजी मुरथल बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, दीन बन्धु छोटूराम यूनीवर्सिटी आफ साईंस एण्ड टैक्नोलोजी, मुरथल बिल 2006 इस सदन में पेश किया गया है, कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। Speaker Sir, this is not a University on which anyone in the House has or can have possibly a difference of opinion. It is a centre of learning that the Government led by Ch. Bhupinder Singh Hooda seeks to set up. It is a centre of excellance that the Government led by Ch. Bhupinder Singh Hooda seeks to set up. It is a centre for knowledge of intensive high-tech industries that the Government led by Ch. Bhupinder Singh Hooda seeks to set up. अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 1987-88 में 273 एकड़ जमीन और एक लाख स्केयर मीटर कवर्ड एरिया पर इस कालेज आफ इंजीनियरिंग का गठन किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज के दिन केवल 370 सीट्स का इन्टेक जो है वह बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर आफ आर्किटैक्चर और दूसरी 8 ब्रांचिज के अंदर है। पूरे कोर्स में मात्र 1400 स्टूडैंटस यहां से निकल पाते हैं । अध्यक्ष महोदय, क्या कारण थे कि ऐसा सैंटर जो बिल्कुल दिल्ली के साथ है जो डिवैल्पड एरिया में है वह पूरा उभर नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं मैं दो बातें सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि सर छोटूराम एक ऐसी विभूति थे, चौ0 छोटूराम एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसी शख्सियत थे, जिनका परिचय करवाने की किसी व्यक्ति विशेष को आवश्यकता नहीं है। सर छोटूराम के नाम पर जैसे कि मेरे से पहले वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि कई प्रकार की राजनीति हुई, पाकिस्तान तक की यात्राएं हुई, किसी ने कहा कि हम संग्रहालय बनवाएंगे, किसी ने कहा कि हम सामान लेकर आएंगे और कई बार बार जलसे किया करते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन को विचारने की जरूर आवश्यकता है कि सर छोटूराम को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके दिखाए गए रास्ते को चरितार्थ करने का कार्य किसी व्यक्ति ने किया तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे आज सदन के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं उनके दिमाग की उपज है। सबसे सही श्रद्धांजलि और उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता, सशक्तिकरण का रास्ता गांव के आम गरीब आदमी, छोटे परिवार के अनुसूचित जाति के किसान के बेटे को सही मायनों में अपने भाग्य का विधाता बनाने का रास्ता अगर कहीं से निकल सकता है तो वह इसी प्रकार के बेहतरीन और उत्तम शिक्षण संस्थानों से निकल सकता है जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। कहा तो बहुत लोगों ने, राजनैतिक रोटियां बहुत लोगों ने सेंकी, संस्थाएं बहुत लोगों ने बनाई, जलसे बहुत लोगों ने किए, पाकिस्तान तक की यात्राएं बहुत सरकारों ने की और सरकारों के मुखियाओं ने की परन्तु किसी ने यह नहीं सोचा कि चौधरी छोटूराम गांव के जिस नौजवान के लिए मरते थे। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के नौजवानों का भला करना उनके मन में था। उनकी भलाई के लिए कोई ऐसी संस्था बनानी चाहिए थी। लेकिन पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस ओर ध्यान दिया है और करके दिखाया है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

करना चाहूंगा कि यह इन्स्टीच्यूट बहुत वर्षों से चल रहा था। यदि पिछली सरकार के बजट की ओर देखें तो वर्ष 2002-03 से लेकर 2005 तक 2.47 करोड़ रुपये ही इस इन्स्टीच्यूट को प्लान बजट से एलोकेट किए गए। यानि कि चार सालों में केवल 2.47 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने प्लान बजट से इस इन्स्टीच्यूट को दिए। इससे इनकी मंशा का पता चलता है। जबकि स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने कमान संभालते ही 18 करोड़ 89 लाख 42 हजार रुपये का बजट केवल एक साल के अंदर इस इन्स्टीच्यूट को दिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने जो प्रमुख शिक्षाविद डा0 आर०बी० वाजपेई जी हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है कि इस संस्था को और बेहतर कैसे बनाया जाये। कैसे सभी संस्थान देश के, विदेश के यहां आएं और हमारे बच्चों को लेकर जायें। हमारे यहां यह संस्था आई०आई०टी० और आई०आई०एम० से भी आगे निकल जाये इसका ईलाज किस प्रकार से हो। स्पीकर सर, उस कमेटी ने 7 जून, 2006 को अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने इसके अंदर कई प्रावधान भी किए हैं। इस पर सरकार ने जो निर्णय लिया है वह यहां बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है कि 25 करोड़ रुपये इस संस्था को प्रति वर्ष अगले तीन साल तक दिए जायेंगे ताकि इस संस्था को और बेहतर, अच्छा तथा चुस्त बनाया जा सके। यह पैसा इस संस्था को सैंटर ऑफ एक्सीलैंस और सैंटर ऑफ लरनिंग बनाने के लिए दिए जायेंगे। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त यहां पर जो कोर्सिज शुरू किए जायेंगे उनकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है। इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि इस साईंस एंड टैक्नोलोजी यूनिवर्सीटी में विभागों के अलावा सात सैंटर्ज ऑफ एक्सीलैंस होंगे और चार फैक्लटीज होंगी।जिसमें एक फैक्लटी ऑफ साईंस होगी, एक फैक्लटी ऑफ टैक्नोलोजी होगी, एक फैक्लटी ऑफ आर्कीटैक्चर और प्लानिंग होगी, एक फैक्लटी ऑफ मैनटीनैंस एंड इकनोमिक इनक्लूडिंग इंटरप्रनोरशिप होगी जो कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य होगी। स्पीकर सर, अब मैं जो सात सैंटर ऑफ एक्सीलैंस होंगे उनके बारे में भी बताना चाहूंगा जो कि सदन के लिए जानना बहुत अनिवार्य है । इस संस्था में सैंटर फार नैनो साईंसिज मल्टीडिसीप्लीनरी होगा। नैनो टैक्नोलोजी आने वाले कल की तकनीक है जिसके हाथ में हमारे नौजवानों का भविष्य है। इसके अतिरिक्त इस संस्था में सैंटर फॉर बायों इनफरमेटिक्सस, सैंटर फॉर बेसिक्स साईंस एंड रिसर्च, सैंटर फॉर कंवर्जन ऑफ इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी यहां पर बनाये जायेंगे। स्पीकर सर, बी०पी०ओ० का आज जमाना है। आज पूरी दूनियां फिर से ऐशिया की तरफ आ रही है और उस ऐशिया में दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जिनमें एक भारत है और दूसरा चाईना है। हम इसका किस प्रकार से फायदा उठायें इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि इस संस्था में सैंटर फॉर कंवर्जन ऑफ इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी बनाया जा रहा है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त इस संस्था में सैंटर ऑफ प्रोटोमिक्स एंड जैनोमिक्स दोनों का गठन किया जायेगा। इसी तरह से सैंटर फॉर बिजनैस स्टडी एंड पॉलिसी रिसर्च और बिजनैस इनक्यूबेशन सैंटर का गठन इस संस्था में किया जायेगा ताकि नौजवानों में नये-नये आईडियाज आयें और गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें। ऐसा करने पर डबवाली के दूर दराज के गांवों के बच्चों से लेकर अहीरवाल के दूर दराज के गांवों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और बावल से लेकर झज्जर एरिया के दूर दराज के गांवों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त देश के, प्रदेश के और बाहर के बच्चे भी यहां आयेंगे और वे अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से निखार सकेंगे। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने नेतृत्व में हमारी सरकार के दीन बंधु छोटू राम

जी के नाम से इस संस्था का गठन करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है ओरों की तरह हम उनको शब्दों की श्रद्धांजली नहीं देना चाहते। हमने इस संस्था का गठन करके उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करके सच्ची श्रद्धांजलि दीन बंधु सर छोटू राम जी को दी है ताकि गांव के और गरीबों के बच्चों को अपनी प्रतिभा को और मुखरता को सुधारने का अवसर मिल सके।

Mr. Speaker : Question is—

That the Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य धर्मपाल सिंह मलिक और कई दूसरे माननीय सदस्यों की तरफ से इस बिल के बारे में सुझाव आए हैं। उन सुझावों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी सहमति भी जाहिर की है। स्पीकर साहब, क्लाज 2 के बारे में मैं आपकी इजाजत से एक अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 2. He may please move his amendment.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"In sub-clause (j) of clause 2 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of science and Technology Murthal" Shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

"In sub-clause (j) of clause 2 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

"In sub-clause (j) of clause 2 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal" shall be substituted.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Hon'ble Members I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 3. He may please move his amendment.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"In sub-clause 1 of clause 3 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal," shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

"In sub-clause 1 of clause 3 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal," shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

"In sub-clause 1 of clause 3 for the words, "Chhotu Ram State University of Science and Technology Murthal," the words, "Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal," shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4 to 35

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 to 35 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in the Schedule of the Bill. He may please move his motion.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"That for the words, "Statutes of Chhotu Ram State University of Science and Technology, Murthal," the following words shall be substituted.

"Statutes of Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal."

Mr. Speaker : Motion moved–

"That for the words, "Statutes of Chhotu Ram State University of Science and Technology, Murthal," the following words shall be substituted.

"Statutes of Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal."

Mr. Speaker : Question is—

"That for the words, "Statutes of Chhotu Ram State University of Science and Technology, Murthal," the following words shall be substituted.

"Statutes of Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in the Schedule of the Bill. He may please move his motion.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"In sub para I (iii) of para 11, after the word "Haryana" and before the word "Education", the word "Technical" shall be inserted.

Mr. Speaker : Motion moved—

"In sub para I (iii) of para 11, after the word "Haryana" and before the word "Education", the word "Technical" shall be inserted.

Mr. Speaker : Question is—

"In sub para I (iii) of para 11, after the word "Haryana" and before the word "Education", the word "Technical" shall be inserted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule, as amended, be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in the Sub Clause (1) of Clause 1 of the Bill. He may please move his motion.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"That for the existing Sub-Clause (1) of Clause 1, the following Sub clause (1) of Clause 1, shall be substituted"

"This Act may be called Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Act, 2006."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That for the existing Sub-Clause (1) of Clause 1, the following Sub clause (1) of Clause 1, shall be substituted"

"This Act may be called Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Act, 2006."

Mr. Speaker : Question is—

"That for the existing Sub-Clause (1) of Clause 1, the following Sub clause (1) of Clause 1, shall be substituted"

"This Act may be called Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Act, 2006."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

"That Sub Clause (1) of Clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in the Title of the Bill. He may please move his amendment.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"That for the existing "Title", the following "Title" shall be substituted."

"Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Bill, 2006."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That for the existing "Title", the following "Title" shall be substituted."

"Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Bill, 2006."

Mr. Speaker : Question is—

"That for the existing "Title", the following "Title" shall be substituted."

"Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal Bill, 2006."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Title, as amended, be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहां 10 सीटें इस इंजीनियरिंग कालेज में केवल मुरथल के लोगों के लिए रखी जाएंगी। पहले इन सीटों की संख्या 2 थी और हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 6 सीटें की थीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 6 की बजाय 10 सीटें करेंगें, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोजैक्शन यह है कि हमारे 370 विद्यार्थी आते हैं और अगले 3 साल के अंदर 1000 से भी अधिक विद्यार्थी इस संस्था के माध्यम से आएंगें और हरियाणा के हजारों बच्चे लाभान्वित होंगें। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संसोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्तुत करती हूं-

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consieration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consieration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं--

कि यह बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 2. He may please move his amendment.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That in clause (b), for the existing provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that a Member who had drawn repayable advance for purchasing a built up house or for building a house for the first time, he may draw repayable advance for second time immediately after the completion of recovery of principal amount alongwith interest on previous advance.

Provided further that the total amount of repayable advance under clause (a) and (b) shall not exceed thirty one lakhs rupees".

Mr. Speaker : Motion moved—

That in clause (b), for the existing provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that a Member who had drawn repayable advance for purchasing a built up house or for building a house for the first time, he may draw repayable advance for second time immediately after the completion of recovery of principal amount alongwith interest on previous advance.

Provided further that the total amount of repayable advance under clause (a) and (b) shall not exceed thirty one lakhs rupees".

Mr. Speaker : Question is—

That in clause (b), for the existing provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that a Member who had drawn repayable advance for purchasing a built up house or for building a house for the first time, he may draw repayable advance for second time immediately after the completion of recovery of principal amount alongwith interest on previous advance.

Provided further that the total amount of repayable advance under clause (a) and (b) shall not exceed thirty one lakhs rupees".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद) : स्पीकर साइब, जो यह हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल 2006 सदन के समक्ष आया है तो इस बारे में पहले एक आर्डीनैन्स भी जारी किया गया था। उसमें जो भी प्रावधान किये गये थे वास्तविकता में वह इस सरकार की नेकनियती के ही परिचायक हैं। कोई भी सरकार अगर पारदर्शिता रखती है तो उसके कानून इतने मजबूत और स्वच्छ होते हैं कि उनकी ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती । उस आर्डीनैंस की दो बातों के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित मंत्री जी से कहूंगा । इस आर्डीनैन्स की क्लॉज 3 के सब सैक्शन 6 के ए पार्ट में उन्होंने टैक्स ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स की है। इसमें कहा गया है कि इस टैक्स ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट की 15 सालों की मिनिमम प्रैक्टिस ऐडवोकेट के रूप में होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। ऐडवोकेट का मतलब वह ऐडवोकेट जो टैक्सेशन से संबंधित हो या वह ऐडवोकेट जो कम से कम 15 साल की प्रैक्टिस रखता हो और हाई कोर्ट का ऐडवोकेट हो लेकिन आर्डीनरी एल०एल०बी० करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस डिग्री का मिसयूज करके आगे चलकर इस अच्छी नीयत को प्रदूषित न कर सके इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के स्टैटमैंट ऑफ औब्जैक्टस एंड रीजंज में दर्शाया गया है कि "टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के मामले में पद ग्रहण करने के तीन वर्ष अथवा उसकी आयु 65 वर्ष होने तक, जो पहले हो, पद पर बने रहने का प्रावधान है लेकिन न्यायाधिकरण का कोई सदस्य पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष बाद या जब तक वह 65 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता, जो भी बाद में हो, पद पर बना रहेगा"। उसमें चेयरमैन के बारे में तो लिख दिया गया कि whichever is later और मैम्बर के लिए लिख दिया whichever is earlier. मैं चाहूंगा कि इसको एक बार फिर देख लिया जाए और दोनों के लिए बराबर कर दिया जाए ताकि इसमें किसी तरह की डिसपैरिटी न हो।

डॉ० सीताराम (डबवाली, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, सरकार जो यह हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स अमैंडमैंट बिल लेकर आयी है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई के अंदर मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी पीठ स्वंय ही थपथपाने का काम किया है। अपने आपको इन्होंने कहा कि हम किसानों के हितेषी हैं लेकिन इनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार ने --

श्री अध्यक्ष : डॉ० साइब, आप बिल पर बोलिए। आप कच्चा रूट क्यों पकड़ते हों ?

डॉ० सीताराम : सर, मैं बिल पर ही आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो किसानों के हितेषी होने का दम भर रहे थे। केन्द्र की सरकार पहले तो डीजल के दाम बढ़ा देती है। उसके बाद उस पर जो वैट टैक्स है वह 12.5 परसैंट की दर से लगा दिया जाता है वह लगभग दो रूपये पर लीटर के हिसाब से लगता है और जब वापस लेते हैं तो 20 या 25 पैसे के हिसाब से लेते हैं। इससे ज्यादा भद्दा मजाक किसानों के साथ कोई और नहीं हो सकता । दाम जो बढ़ाए गए थे या तो उन्हें पूरी तरह से वापस लेना चाहिए था या केन्द्र सरकार को दाम बढ़ाने नहीं चाहिए थे। यह दोगली बात नहीं होनी चाहिए। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज बढ़ गए जिसकी वजह से खाने पीने की हर चीज मंहगी हो गई जिसने किसान को बर्बाद करने का काम किया और आम व्यक्ति की भी मंहगाई ने कमर तोड़ दी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर सीता राम जी ने कहा कि डीजल के प्राइसिज बहुत बढ़ गए। ये इस में टैक्स क्यों जोड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री

जी ने मंत्रिमंडल से निर्णय करवाया कि डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से हरियाणा में कीमतें न बढ़ें। अगर हम बढ़ी हुई प्राइसिज के ऊपर टैक्स लेते तो 90 करोड़ रुपया हरियाणा के राजस्व खाते में किसान और मजदूर की जेब से निकाल करके आता। आपको तो इस सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने राजस्व की परवाह न करते हुए एक झटके में यह पैसा दोबारा किसान और मजदूर की जेब में डाल दिया। आप इस बात का भी विरोध कर रहे हैं।

डॉ० सीता राम : मेरा विरोध यह है कि पहले आपकी सैन्टर गवर्नमैंट दो रुपये रेट बढ़ाती है बाद में 25 पैसे घटाते हैं यह आपकी दोगली नीति है।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय डाक्टर सीता राम जी का मतलब वह नहीं था जो कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने समझ लिया।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

डॉ० सुशील इंदौरा : हमारा यह कहना है कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी हरियाणा के बहादुर नेता के रूप में जाने जाते हैं और वे हरियाणा के किसानों व गरीब आदमियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं वे सैंटर से ही रेट न बढ़ने देते तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को फायदा होता।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Bill be passed.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कई सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। माननीय श्री ए०सी० चौधरी ने कहा कि जो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन है वह 15 साल के हाईकोर्ट के ऐडवोकेट से कम नहीं होनी चाहिए। मैं उनका और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 15 साल की प्रैक्टिस ऐडवोकेट हाईकोर्ट की है। पहली बार इस प्रकार का संशोधन किया गया है ताकि इस पद की गरिमा भी बनी रहे। मैं व्यक्तियों का नाम लिये बैगर कहूंगा कि जो निजी सचिवों को चेयरमैन लगाते रहे। इसलिए यह जरूरी है और जो दलों के पदाधिकारी है वे सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन लग जाया करते थे जो कभी कालेज में नहीं गये। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने कुछ परम्पराओं की अनुपालना की है। जहां तक ऐज का सवाल है ए०सी० चौधरी साहब अगर आप सब-सैक्शन (8) को पढ़ लें तो दोनों की ही आयु 65 वर्ष हैं उसके अन्दर बड़ा साफ लिखा हुआ है। शायद वे सदन में इस समय मौजूद नहीं हैं। फिर भी मैं सदन को वह सब-सैक्शन (8) का वह पोर्शन पढ़ कर सुना देता हूं उसमें लिखा है--

"(8) A member of the Tribunal including the Chairman shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.".

यह दोनों पर लागू होता है । बड़ा स्पष्ट है शायद माननीय सदस्य ने यह क्लाज पढ़ी नहीं है उनके नोटिस से निकल गई । एक और बात के लिए आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो गरीब छोटे-छोटे ढाबे, होटल वाले थे स्पीकर साहब वे आपके पास भी कई बार आये और आपके विधान सभा क्षेत्र में भी काफी होंगे और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा। जो पिछली सरकार थी उसने उन गरीबों पर टैक्स लगा दिया था। एक भट्ठी चलाने वाला जो गांव से आकर भट्ठी चलाकर रोटियां बनाकर अपनी आजीविका चलाता है। जो गरीब मजदूर को रात-बिरात खाना खिलाने वाला, छोटे-छोटे होटल चलाने वाला, छोटे-छोटे गरीब हलवाई, उनको भी टैक्स के बोझ तले पिछली सरकार ने दबा दिया था। पूर्ण तौर से हाहाकार मच गया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने आने के बाद यह निर्णय लिया कि हम ऐसे सभी गरीब आदमी चाहे वह हलवाई हो, ढाबे वाले हों, उनके ऊपर से यह टैक्स खत्म करेंगे। इसलिए आप यह देखें कि पिछली

सरकार जो उन गरीबों का टैक्स के माध्यम से खून चूसती थी इस सरकार ने 12 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि करके टैक्स से मुक्ति दिलाई है। इसके लिए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार मुबारिकबाद की पात्र है। पिछली सरकार ने हलवाई, ढाबे वाले, होटल वाले गरीब के हाथ से रोटी छीनी।यह तो भला हो कांग्रेस की सरकार का जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और स्पीकर सर, 12 करोड़ रुपये कोई सरकार नहीं छोड़ सकती कोई मुख्यमंत्री माफ नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। आज उनको पिछली सरकार के द्वारा जड़ी गई गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया है। इसके लिए यह सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री मुबारिकबाद के पात्र हैं। स्पीकर सर, विपक्ष के भाईयों से आप पूछिये कि जो हुड्डा साहब ने किसानों के 90 करोड़ रुपये लगने थे उनको छोड़ दिया क्या ये उसका विरोध करते हैं। क्या जो ढाबे वाले, होटल वाले और हलवाईयों पर जो टैक्स लगाया था उसको माफ किया है ये उसका यह विरोध करते हैं खिसयानी बिल्ली खम्बा नौंचे। यह कहावत इन विपक्ष के भाईयों पर सही चरित्रार्थ होती है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस कानून को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am thankful to the Leader of the House, Ch. Bhupinder Singh Hooda, all the Members of this Assembly and press representatives for their cooperation extended to me during the sittings of the House. I am also thankful to the officers of the Government Departments for timely supplying the information required in connection with the business of the House.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned sine die.

*13.46 Hrs. (The Sabha then *adjourned sinedie.)

Annexure 'A'

C.B.I. Raid

***516. Sh. Tejender Pal Singh Mann, :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any raid was conducted against the IAS and IPS Officers of the Haryana Government during the year 2001 to 2005, if so, the number thereof; togetherwith the present status of each individual case ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, CBI conducted raid against five IAS Officers of Haryana Government during the year 2001 to 2005. The present status of each individual case is given below :

Sr. No.	Case No. & date of registration	Name of the Officer and service whose premises were searched	Date (s) of search	Present status of the case vis-a-vis the officer
1	2	3	4	5
1.	RC.2 (A)/2003-ACU.III Delhi 26-3-2003	Sh. Anand Mohan Sharan, IAS, the then Commissioner (Land Disposal), DDA New Delhi	27-3-2003	Sanction for prosecution issued. Case under trial.
2.	RC. 3/2004-ACU. V, Delhi 16-4-2004	Sh. Sandeep Garg, IAS, the then Regional Director (North) Adulteration Cell, Ministry of Petroleum, New Delhi	16-4-2004 & 28-5-2004	Sanction for prosecution issued. Case is under trial.
3.	RC. 3(A)/2004-ACU. IX Delhi 24-5-2004	1. Sh. Vidya Dhar, IAS, the then OSD to CM Haryana, Chandigarh. 2. Sh. Sanjiv Kumar, IAS, the then Director, District Primary Education Project (DPEP) Haryana.	16-5-2004 & 7-4-2005	Under investigation.

4.	RC. 3 (A)/2005-ACU. IX Delhi 16-2-2005	Sh. Sanjiv Kumar As, the then Director, District Primary Education Project (DPEP) Haryana.	17-2-2005	Under investigation.
5.	RC. 11/01-SICI, Delhi 25-7-2001	Sh. Devender Singh, IAS, the then District Magistrate Gurgaon, Haryana.	2-11-2001	Sanction for prosecution refused.

2. CBI has not conducted any raid against any IPS Officer of Haryana Government during the year 2001 to 2005.

Annexure 'B'

Sites Auctioned by HUDA in Gurgaon, Faridabad and Panchkula.

44. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) The details of the sites auctioned by HUDA for Commercial/Hotel and for any other purpose in Gurgaon, Faridabad and Panchkula during the year April 2000 to March 2005 togetherwith the reserve and auctioned prices thereof alongwith the names and addresses of bidders who participated in the above bids ; and

(b) whether any complaint regarding irregularities committed in the auctions of the sites as referred to in part 'a' above have been received, if so; the detials thereof alongwith the action taken thereon?

Extract from the reply received from the Parliamentary Affairs Minister, Haryana :—

> "As the learned Member has not asked for any specific information qua a specific site or a number of sites, information sought is extremely voluminous and would require elaborate process of confirmation by visiting the field officers. In fact efforts involved in collection of information for answering this un-starred question are extremely time-consuming and in the opinion of the department as also of the Government, would not commensurate with benefit accruing therefrom."

42141—H.V.S.—H.G.P., Chd.